RNI NO. DELHIN/2008/23723

योगी सरकार ने बजट में भी रचा इतिहास ...

₹ 10/-

संपूर्ण माया

समाचार पत्रिका

वर्ष 13 ,अंक 2 , मार्च 2020

www.sampurnamaya.in

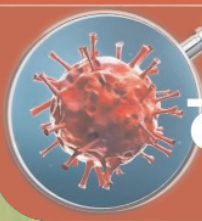

मौत के वायरस का उत्पादन?

'आप' की सफल राजनीति और सीएए को लेकर झुलसी दिल्ली

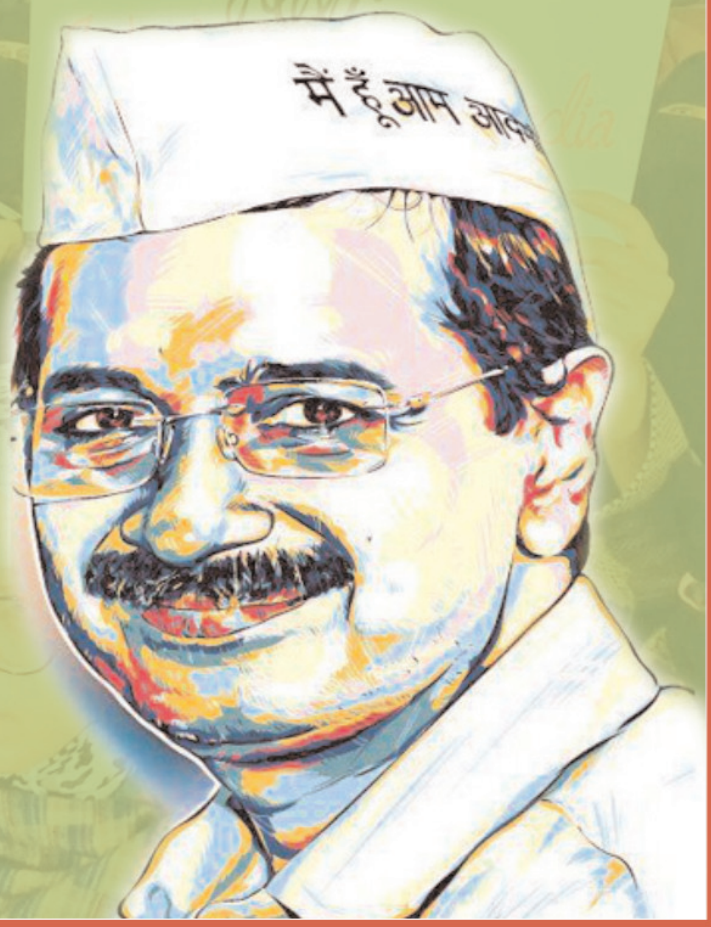

दिनभर की और मासिक खबरों के लिये

लॉगिन करें...

http://www.sampurnamaya.in

संपूर्ण माया
समाचार पत्रिका

सम्पूर्ण माया पत्रकार समूह से जुड़ने के लिये सम्पर्क करें

sampoornamaya@gmail.com

7905230036

संपूर्ण माया
समाचार पत्रिका

वर्ष 13, अंक 2, मार्च 2020

स्व. क्षितींद्र मोहन मित्र
स्व.आलोक मित्र
स्व. दीपक मित्र
प्रेरणास्रोत

स्नेह मधुर
संपादक

रवींद्र श्रीवास्तव
वरिष्ठ सलाहकार संपादक

आलोक एम. इन्दौरिया
सलाहकार संपादक

खड़क बहादुर सिंह
राजनीतिक सलाहकार

शशि किरण
कानूनी विशेषज्ञ

ब्यूरो

प्रदेश : देवदत्त दुबे
बिहार : जीवेश कुमार सिंह
उत्तराखंड : राम प्रताप मिश्रा

संवाददाता

(नागपुर) अपर्णा महादानी
(प्रतापगढ़) सौरभ सिंह सोमवंशी

कार्यालय

दिल्ली: जी एच 1/32, अर्चना आपार्टमेंट पश्चिम विहार, नई दिल्ली-63
लखनऊ: के-4,वनास्थली अपार्टमेंट गोमती नगर एक्सटेन्सन लखनऊ -010
भोपालरू फ्लैट-बी-103 कन्हैया अपार्टमेंट शहापुरा, भोपाल
इलाहाबाद : 1/ए हाशिमपुर रोड, टैगोर टाऊन, प्रयागराज-211002

प्रकाशन एवं मुद्रक, श्री संदीप मित्र द्वारा जी.एच 1/32,अर्चना अपार्टमेंट पश्चिम विहार,नई दिल्ली-63 से प्रकाशित एवं करन प्रिंटर्स एफ-29/2, ओखला फेस-3 नई दिल्ली से मुद्रित

प्रकाशक की आज्ञा के बिना कोई रचना उद्धृत नहीं की जानी चाहिए।

अन्दर

पदोन्नत में आरक्षण - 6

जनादेश खोती काँग्रेस ... 8
आप की जीत ने तय किया 10
संविधान का माखौल उड़ाता ... 12
दिल्ली हिंसा से 14
दंगों को उकसाने 15
निर्भया मामला ... 17
मतदान का गिरता ग्राफ ... 18
महापुरूषो के विरोध पर केन्द्रित 19
मौत के वायरस का उत्पाद ... 20
कोरोना : अन्तराष्ट्रीय राजनीति ... 21
राजनीति व अपराध के जोड़ ... 24
डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने 26
इनकम टैक्स शान के खिलाफ 27
निर्मला के निर्मल बजट में 31
राम मंदिर ऐतिहासिक धरोहर 32
जाति गणना की माँग ... 38

सोशल मीडिया : अश्लील विज्ञापनों से 40

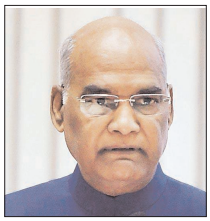

मैं विश्व के लोकतांत्रिक देशों की अपनी यात्राओं के दौरान भारत के विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र के विषय में बड़े गर्व के साथ चर्चा करता हूँ। हमारा लोकतंत्र, हमारी चुनाव प्रक्रिया और हमारे मतदाता, ये सभी, विश्व समुदाय में भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाते हैं।

— राष्ट्रपति कोविन्द

जो लोग दुनिया भर को शरणार्थी अधिकारों के लिए ज्ञान देते हैं, वो शरणार्थियों के लिए बने सीएए का विरोध करते हैं।

ऐसे समय में अफवाहें भी तेज़ी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग चार नई चीजें लेकर आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वाइरस से बचा जा सकता है। हमें इन अफवाहों से भी बचना है। जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मैं आज फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि सीएए से देश के एक भी मुसलमान, एक भी अल्पसंख्यक का नागरिकता अधिकार नहीं जाने वाला है।
सीएए नागरिकता देने का कानून है किसी की नागरिकता लेने का नहीं लेकिन सीएए को लेकर विपक्ष देश के अल्पसंख्यक वर्ग को सिर्फ गुमराह कर रही है।

अमित शाह , गृह मंत्री

आज देश को कोरोना वायरस, आर्थिक सुस्ती, विरोध और हिंसा की चुनौती का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री को अपने कार्यों से यह भरोसा दिलाना चाहिए कि देश इन चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है। उन्होंने चीन, इटली और अमेरिका की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को भी कोरोना के खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री ।

कांग्रेस पार्टी के नेता यदि आपस में निपटने से फुरसत हो गए हों तो ज़रा मध्यप्रदेश पर भी ध्यान दे लें!
पिछले एक साल में लापरवाही के एक से एक नमूने पेश किये जा रहे हैं!
मेरी मांग है कि इसके पीछे ज़िम्मेदार लोगों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाये!

शिवराज सिंह चौहान
पूर्व मुख्यमंत्री

सत्ता के अहंकार और मद में इतना चूर नहीं होना चाहिए कि आप विपक्ष को कुछ भी कहें! यह लोकतंत्र है, विरोध करने का विपक्ष का अपना अधिकार है। कांग्रेस सरकार वह कुचल देगी, तो हम कहते हैं कि हम इस कुचलने वाली मानसिकता को ही कुचल देंगे!

शिवराज सिंह चौहान

यदि यह चाहती है कि इन अधिकारों को सुनने में आया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सीएए को रखा जा रहा है. अगर यही हाल रहा तो शीघ्र मुखिया जी की जीवनी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी व लेक्चर की जगह उनके प्रवचन होंगे और बच्चों की शिक्षा में उनकी चित्र-कथा भी शामिल की जाएगी।

अखिलेश यादव , पूर्व मुख्यमंत्री

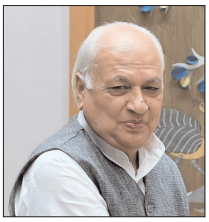

बच्चें गीली मिट्टी की तरह होते है उन्हें जैसी दिशा दोंगे वो वैसा ही रूप लेंगे.. ये तय करना पालक पर निर्भर है कि वो उन्हें 'उन 49 बच्चों जैसा बनाना चाहते जो इस गणतंत्र दिवस के मौके पर महामहिम से सम्मानित होने जा रहे' या फिर उनके जैसा जो अंधे विरोध में शाहीन बाग पर ज़हर उगल रहें ।

आरिफ़ मोहम्मद ख़ान, राज्यपाल

सरकार आरक्षण के संवैधानिक अधिकार होने के खिलाफ स्ष्ट में बयान दे रही है। महान संघर्षों और कुर्बानियों से ये अधिकार हासिल किए गए थे जिससे हिंदुस्तान एक ज्यादा बेहतर राष्ट्र बन सके। आज एक-एक करके वंचित तबकों के अधिकार छीनने की महासाजिश हो रही है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या है?

राहुल गाँधी, काँग्रेस पूर्व अध्यक्ष

'सादा जीवन-उच्च विचार' दर्शन के प्रतिमूर्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधिवेत्ता, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें कोटिशः नमन। विनम्रता और विद्वता से भरा आपका व्यक्तित्व हम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

योगी (मुख्यमंत्री)

सब्ज़ियों के दाम 50प्रति. तक बढ़ गये,दूसरी तरफ़ औद्योगिक उत्पादन में भी 0.3प्रति. की गिरावट,मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर के 23 उद्योगों में से 16 में ग्रोथ नेगेटिव,ग़ैर सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 144.50 तक बढ़े,खाने- पीने की चीजें महँगी,रोज़गार घट रहे है,यह देश किस दिशा में जा रहा है।

कमल नाथ
मुख्यमंत्री

उत्सव के रंग डिफेंस के संग

✍ डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। बावजूद इसके अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी भूमिका बेहद अहम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। रक्षा क्षेत्र में भारत को निर्यातक बनाने की हैसियत में पहुंचाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इस बार के रक्षा बजट में छह फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा बजट पेश करते हुए घोषणा कर चुकी हैं कि हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण के लिए 1,10,734 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस साल यह 3.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल यह 3.18 लाख करोड़ रुपये था। खास बात यह है कि रक्षा क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशन को जोड़ लें तो यह 4.7 लाख करोड़ हो जाता है। इसबार रक्षा क्षेत्र का पेंशन बजट 1.33 लाख करोड़ रुपये है। पिछले साल का रक्षा बजट 1.17 लाख करोड़ रुपये था। पिछले करीब छह साल में सामरिक क्षेत्र में भारत की भागीदरी बढ़ी है। अब कोई भी देश भारत को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है।

यहां हैं। भारत के स्वदेशी उपकरणों खरीद के लिए एमओयू होने की प्रबल संभावना है। पिछले डिफेंस एक्सपो में 3700 करोड़ रुपये का निवेश आया था। टैंक, विमान समेत सेना के तमाम हथियारों और उपकरणों का सजीव प्रदर्शन शुरू हो चुका है। शुरुआती तीन दिन बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए निर्धारित है। सेना ने सोल्जर मॉडल, स्माल आर्म्स, जम्प विद बैक ड्रॉप, टी नब्बे टैंक, बीएमपी, हेलिकॉप्टर मॉडल, पेट्रोलिंग बोट मॉडल, सेल बोट, आर्मी डॉग, बंकर के नाम से कुल 12 सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। इसके अलावा जेली सूट और सियाचीन सूट में भी लोग सेल्फी ले सकेंगे। आर्मी का टी नब्बे, टैंक, सर्फेस माइन क्लियरिंग सिस्टम, ब्रिज लेयर टैंक, बोफोर्स तोप, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर, चीता हेलिकॉप्टर, आर्म्ड रिकवरी व्हीकल, आकाश मिसाइल, वज्र, अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप, पिनाका व इंदिरा रडार, हाई मोबिलिटी व्हीकल और अडवांस्ड हेलिकॉप्टर ध्रुव समेत अनेक हथियारों का प्रदर्शन रोचक है। डीआरडीओ निर्मित अर्जुन टैंक, मॉड्यूलर ब्रिजिजिंग सिस्टम, आर्म्ड प्लेटफॉर्म, रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम रडार, एडवांस्ड रोड आर्टिलरी गन सिस्टर्न और रोबोट भी बिजनेस डे में शामिल हैं।

फ्रांस से राफेल डील यूपीए सरकार के समय से लंबित थी। मोदी सरकार ने इसको अंजाम तक पहुंचाया। राफेल विमान भारतीय सेना में शामिल भी हो चुका है। अमेरिका, रूस आदि प्रमुख देशों के साथ भी भारत की रक्षा साझेदारी बढ़ी है। इस संदर्भ में पांच फरवरी से लखनऊ में शुरू डिफेंस एक्सपो का विशेष महत्व है। यह पिछले डिफेंस एक्सपो से भी बड़ा है। इसे विशेष अंदाज में उत्सव और हुनर का भी स्वरूप दिया गया है। लखनऊ के जल-थल-नभ में उत्सव जैसे रंग दिखाई दिए। यह पक्का है कि डिफेंस एक्सपो के माध्यम से भारत को उभरते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी। इसी के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस का विचार भी गूंजेगा। यह एक्सपो नौ फरवरी तक चलेगा। इस एक्सपो में अमेरिका यूरोपीय देश, दक्षिण अमेरिकी देशों, सहित सत्तर देश सहभागी हैं। पिछला डिफेंस एक्सपो दो वर्ष पहले चेन्नई के पास हुआ था। उम्मीद है लखनऊ डिफेंस एक्सपो उसे मीलों पीछे छोड़ने वाला साबित होगा।

इसमें शामिल होने वालों और रक्षा प्रदर्शनी लगाने वालों की संख्या पहले के मुकाबले बहुत अधिक है। लखनऊ डिफेंस एक्सपो में सत्तर से अधिक देश भागीदरी हैं। मतलब अत्यंत छोटे और सामरिक मामलों में ज्यादा दिलचस्पी न रखने वाले देशों को छोड़कर विश्व के अन्य सभी देश यहां मौजूद हैं। उम्मीद है कि अनेक देश भारत में निर्मित रक्षा उपकरण खरीदेंगे। यह भारत के रक्षा उपकरण निर्यात का नया अध्याय बनेगा। थल और वायु सेना के जांबाजों ने वृंदावन आयोजन स्थल और जल सेना के जवान गोमती रिवर फ्रंट पर शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्तर देशों की रक्षा प्रदर्शनी के साथ ही भारत की डीआरडीओ और एचएएल के रक्षा उत्पाद प्रदर्शित हैं। मध्यम व छोटे कलपुर्जे बनाने वाली कम्पनियां भी वायु सेना की ओर से एमआई सेवेंटी, तेजस व एएलएच हेलीकॉप्टर के हैरतअंगेज करतब चल रहे हैं। रिवर फ्रंट पर रोजाना सिम्फनी बैंड, गतका, खुखरी और कुमाउनी डांस के साथ डॉग शो भी रोचक व आकर्षक है। यहां पर शाम को नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान गोमती नदी में करतब भी दिखाएंगे। अरमेनिया, बहरीन, तुर्केमेनिस्तान, यूएई, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जिम्बावे,अफगानिस्तान, अंगोला, अर्मेनिया, ओमान, कतर, रूस, रवांडा, सऊदी अरब, सर्विया, सेचेलीज, श्रीलंका, तजाकिस्तान, थाईलैंड, जमैका, मालदीव और नाइजर के प्रतिनिधि यहां हैं। इनके अलावा कई देशों की तीनों सेनाओं के प्रमुख और उनकी सिक्यॉरिटी विंग के इंटरनल अफसर, फील्ड अफसर और इंटरनल कोऑपरेशन विंग के सदस्य भी पहुंच चुके हैं। लखनऊ की सरजमीं पर सैन्य साजो-सामान सबको लुभा रहा है। ■

पदोन्नति में आरक्षण

वोट के खातिर कोर्ट के फैसले का विरोध

आरक्षण भारतीय राजनीति का वो मुद्दा है, जिसपर सर्वाधिक सियासत होती है। संविधान में जिस आरक्षण को केवल 10 साल के लिए लागू किया गया, उसे अबतक सात दफा 10-10 साल के लिए सभी दलों ने सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया। कोई वोटबैंक खोना नहीं चाहता। मोदी सरकार ने गैर आरक्षित वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देकर इस वर्ग की चिंताओं पर मरहम जरूर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर एक तरह से आरक्षण के चलते नौकरी और पदोन्नति दोनों में आरक्षण की मार झेलते आ रहे गैर आरक्षित वर्ग के समानता के अधिकार की ही रक्षा की है। लेकिन सियासत को यह रास नहीं आया है। एनडीए के घटक लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा देश की सियासत में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छटपटा रही कांग्रेस ने भी इसका विरोध कर इससे संविधान को खतरे में बता दिया। अभी मायावती और अन्य गैर भाजपा दलों का विरोध आना बाकी है लेकिन तय है कि वह भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायवादी रवैये के खिलाफ रहेंगे और इसके बहाने भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाजपा ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्यों में आरक्षित वर्ग में बड़े पैमाने पर सेंध लगाई है और गैर आरक्षित वर्ग को भी 10 फीसदी के आरक्षण से साध लिया है।

✍ **सतीश एलिया**

आरक्षण की समीक्षा बनाम माई का लाल

याद कीजिए करीब चार साल पहले हुआ बिहार विधानसभा का चुनाव। तब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर और राजद तथा कांग्रेस वाले महागठबंधन में थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुख्य वजूद भाजपा तथा छिटपुट दलों पर टिका होने के बावजूद महागठबंधन पर भारी था। उसी वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की जरूरत का बयान दिया था और भाजपा महागठबंधन से परास्त हो गई। आरक्षित वर्ग भाजपा के करीब आते-आते छिटक गए। उसी दौर में भागवत के ठीक उलट मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरक्षण के समर्थन में कह दिया कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। मप्र के 2018 के चुनाव में शिवराज के इस बयान पर गैर आरक्षित वर्ग की नाराजगी भारी पड़ी और भाजपा को मामूली अंतर से सत्ता गंवानी पड़ी। गैर आरक्षित वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने से भाजपा को लेकर इस वर्ग में नाराजगी कम होने के बावजूद शिवराज से लोग माई के लाल वाले बयान को लेकर नाराज थे।

पदोन्नति में आरक्षण

10 साल के लिए लागू आरक्षण के लगातार 70 साल से जारी होने के बावजूद लोगों में आरक्षण को लेकर नाराजगी उतनी नहीं, जितनी पदोन्नति में आरक्षण को लेकर है। वजह साफ है कि एक ही श्रेणी के पद पर एक आरक्षित और एक गैर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति एकसाथ नौकरी में आता है तो दोनों को एक सरीखा काम के बावजूद एक

सरीखा प्रमोशन नहीं मिल पाता। आरक्षित वर्ग का पद आरक्षित वर्ग से ही प्रमोशन से भरा जाएगा और गैर आरक्षित वर्ग का प्रमोशन का पद उसी वर्ग से भरा जाएगा। होता यह है कि गैर आरक्षित वर्ग में प्रमोशन के पद कम और उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, जबकि गैर आरक्षित वर्ग में हालात इसके उलट हैं। लिहाज तृतीय श्रेणी के पद पर आरक्षित वर्ग के ज्यादातर कर्मचारी प्रथम श्रेणी के पद तक पहुंचे बिना ही सेवानिव?त्त हो जाते हैं। जबकि आरक्षित वर्ग का समान सेवाकाल वाला व्यक्ति प्रथम श्रेणी के पद तक आसानी से पहुंच जाता है। बहुत दफा आरक्षित वर्ग के लिए तय पदोन्नति वाले पद भरे ही नहीं जाते। इसके लिए सरकारें बैकलॉग यानी पद तो है लेकिन उसपर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अर्हताधारी न मिलने से खाली रहने वाले पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाती है। दूसरी तरफ गैर आरक्षित वर्ग के लोगों को पद न उपलब्ध होने के कारण पदोन्नति नहीं मिल पाती, यही हाल नियुक्ति के पदों में भी होता है।

क्रीमी लेयर पर सहमति नहीं

आरक्षण में क्रीम लेयर के सिद्धांत को कोई राजनीतिक दल, अधिकारी-कर्मचारी संगठन नहीं मानना चाहता। क्रीम लेयर से आशय जिन्हें आरक्षण के आधार पर नौकरी या अन्य पद हासिल करने के बाद अगली पीढ़ी के लिए आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने से है। उदाहरण के लिए आरक्षित वर्ग से आईएएस या आईपीएस या अन्य किसी अखिल भारतीय सेवा या राज्य सेवा या अन्य किसी तरह की सेवा या पद हासिल करने वालों की संतानों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए या वे खुद इसे पाने की मांग न करें। आरक्षण का लाभ ले चुके परिवारों को जाति के आधार पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी आरक्षण का लाभ दिया जाना भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिए जाने का ही रूप है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी आरक्षण के अलावा पदोन्नति में भी आरक्षण जारी रखना, गैर आरक्षित वर्ग के उस व्यक्ति या परिवार के साथ अन्याय ही है, जिसे आगे बढ़ने के लिए उस तरह के अवसर मिले ही नहीं। आर्थिक आधार पर देखा जाए तो भारत की जाति व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हो चुका है। सवर्ण कहे जाने वाले वर्ग का बहुत बड़ा तबका वैसे सभी काम कर रहा है, जो एक सदी पहले शायद नहीं करता। इस वर्ग में विपन्नता तेजी से बढ़ी है और उसके पास आगे आने के सीमित अवसर हैं।

सियासी दांवपेंच

पदोन्नति में आरक्षण को लेकर राज्य सरकारें भी सियासी फायदे को ही महत्व देती रही हैं। मप्र की शिवराज सिंह चौहान सरकार के बाद आयी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी पदोन्नति में आरक्षण जारी करने का पक्ष लेती रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल कर पदोन्नतियां करने के बजाय फैसलों के खिलाफ कोर्ट में गई है। कमोबेश यही नजरिया अन्य राज्य सरकारों का भी रहा है। पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की रक्षा करने वाला है लेकिन सियासत को इससे क्या? देखना यह है कि इस फैसले से एनडीए और यूपीए की शक्लें कितनी बदलती, बनती और बिगड़ती हैं। ■

जनादेश खोती कांग्रेस

✍ रमेश सर्राफ धमोरा

आम आदमी पार्टी एकबार फिर भारी बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में आई है। आप को 62 व भाजपा को 8 सीटें मिलीं। सीटों के हिसाब से देखें तो आप की 5 सीटें कम हुई हैं। आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने पर खुश है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना वोट प्रतिशत व सीटें बढ़ने से खुश है। चुनाव में यदि किसी को सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वह है कांग्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रही-सही साख भी समाप्त हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुयी है। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद लगने लगा था कि कांग्रेस दिल्ली में पकड़ बना रही है। दिल्ली की सात लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही मुकाबले में आ पाई थी। उस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 22.46 प्रतिशत हो गया। जबकि उससे पूर्व 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 9.03 प्रतिशत ही वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा 65 पर व कांग्रेस 5 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त नहीं मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव के 8 माह बाद ही आप ने पासा पलटकर रख दिया व एकबार फिर भारी बहुमत के साथ सत्तारूढ़ हो गई।

चुनाव में यदि किसी को सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वह है कांग्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रही-सही साख भी समाप्त हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुयी है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 66 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था तथा 4 सीटें गठबंधन के तहत लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल को दी थी। लेकिन 70 में से कांग्रेस के देवेंद्र यादव बादली से, अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर से व अरविंद सिंह लवली गांधीनगर सीट से जमानत बचा पाने में सफल रहे हैं। बाकी कांग्रेस के सभी 63 व राजद के चारों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सबसे बुरी हालत तो कांग्रेस के सहयोगी राजद की हुई। उसके (बुरारी, किरारी, उत्तमनगर व पालम) चारों प्रत्याशियों को कुल मिलाकर 3 हजार 463 वोट मिल पाए।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप से कांग्रेस में आई अलका लंबा चांदनी चौक सीट पर मात्र 3032 वोट व आप से कांग्रेस में आए आदर्श शास्त्री द्वारका सीट से 5885 वोट हासिल कर सके। चुनाव के वक्त दोनों आप के विधायक थे। पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद की पत्नी पूनम आजाद संगम विहार सीट से मात्र 2604 वोट ही ले पाई। 1993 से 2013 तक दिल्ली में 5 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता जयकिशन को सुलतानपुर माजरा (सुरक्षित) सीट से मात्र 9033 वोट ही मिले। दिल्ली में कांग्रेस के कद्दावर नेता व कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हारून यूसुफ अपनी परम्परागत बल्लीमारान सीट से मात्र 4802 वोट ही बटोर पाए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीर्थ पटेल नगर (सुरक्षित) सीट से मात्र 3382 वोट ही ले पाईं। पूर्व विधायक मुकेश शर्मा को विकासपुरी सीट पर 5721 वोट मिले। पूर्व मंत्री परवेज हाशमी ओखला सीट से 2834 वोट ले पाये। 1993 से 2008 तक कृष्णा नगर सीट से लगातार पांच बार चुनाव जीतने वाले व शीला दीक्षित सरकार में 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉ. अशोक वालिया को महज 5079 वोट मिले। इस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 3 लाख 93 हजार 353 वोट मिले। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 35 लाख 20 हजार 253 वोट व आम आदमी पार्टी को 49 लाख 13 हजार 945 वोट मिले हैं।

इस तरह देखा जाए तो दिल्ली में कांग्रेस का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी इस तरह से चुनाव लड़ रहे थे मानो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए खड़े हुये हों। कांग्रेस के पारम्पिक दलित, मुस्लिम मतदाताओं ने भी कांग्रेस को छोड़कर पूर्णतया आम आदमी पार्टी का दामन थामा। जिसके चलते कांग्रेस शून्य पर पहुंच गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय जब शीला दीक्षित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थीं तो उस समय कांग्रेस काफी सक्रिय हो गई थी लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीसी चाको के शीला दीक्षित से मतभेदों के चलते कांग्रेस आम आदमी से नहीं जुड़ पाई थी। पिछले छह सालों से दिल्ली कांग्रेस

के प्रभारी रहे पीसी चाको ने चुनाव में शर्मनाक हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन उनके प्रभारी रहते दिल्ली में लोकसभा, विधानसभा व नगर निगम के जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली।

कांग्रेस का जनाधार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जनाधार घटा। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र, झारखंड, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस मुख्य मुकाबले में नहीं आ पाई थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने वहां शिवसेना जैसी कट्टर हिन्दूवादी पृष्ठभूमि वाली पार्टी के साथ मिलाकर सरकार चलाने को मजबूर है। इसी तरह झारखंड में भी कांग्रेस वोटों व सीटों के हिसाब से तीसरे नंबर की पार्टी है। वहां वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार में शामिल है।

दिसम्बर 2018 में कांग्रेस ने एक साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव जीतकर वहां सरकार बनाई थी। लेकिन मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से निरंतर सत्ता में थी। इस कारण वहां सत्ता विरोधी लहर थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विरोध था। जिसके चलते वहां कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही थी। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में महज 5 सीटों का फर्क रहा था। वहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से महज डेढ़ लाख वोटों से पीछे रह गई थी।

पार्टी के बड़े नेताओं के आम जनता से कट जाने के कारण कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। प्रदेशों में जो कांग्रेस के प्रभारी लगाए गए हैं वो मनमानी करते हैं। दिल्ली में प्रभारी रहे पीसी चाको के खिलाफ बार-बार आवाज उठती रही है मगर उनपर कोई असर नहीं हुआ। महाराष्ट्र के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ मुंबई प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरूपम सहित कई नेताओं ने चुनाव के समय खुलेआम आरोप लगाए थे लेकिन उनको नहीं हटाया गया। कांग्रेस आलाकमान ने अपने प्रदेश प्रभारियों को पूरी छूट दे रखी है। जिसके चलते वो प्रदेशों में अपनी मनमानी चलाते हैं। प्रदेश प्रभारियों के अमर्यादित व्यवहार के चलते कई जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़ देते हैं। जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस से नहीं जुड़ पाते हैं। यदि समय रहते कांग्रेस अपने पार्टी संगठन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती है तो आने वाले समय में उसके मतदाताओं की संख्या में और भी कमी देखने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ■

'आप' की जीत पर काँग्रेस की बधाई

✍ अनिल बिहारी श्रीवास्तव

दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम को आईना दिखाया है। उन्होंने उन कांग्रेसियों की बोलती बंद कर दी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) को मिली विजय पर 'बधाई' गा रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने चिदम्बरम के एक ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए कहा है, वह बस इतना जानना चाहतीं हैं क्या कांग्रेस पार्टी अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों को आउटसोर्स कर रही है? यदि नहीं तो फिर हम अपनी पराजय पर मंथन करने की बजाय 'आप' की जीत पर गर्व क्यों कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सम्भवतः अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। चिदम्बरम ने आम आदमी पार्टी की विजय पर कहा था, आप जीती, झांसा और दर्पोक्ति की हार। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं दिल्ली वालों को सलाम करता हूं। उन्होंने 2021 और 2022 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके लिए मिसाल पेश की है। जो दिल्ली में हुआ वह अन्य राज्यों में भी हो सकता है।

दिल्ली में कांग्रेस की बुरी हार पर चिंता की बजाय भारतीय जनता पार्टी की पराजय पर खुश होने वालों की सूची काफी लंबी है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया को लें। चौधरी ने एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर कह दिया था, ÷इस चुनाव में भाजपा ने अपना साम्प्रदायिक एजेंडा चलाया, अगर केजरीवाल जीतते हैं तो यह विकास के एजेण्डे की जीत होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया और भी बचकानी श्रेणी की रही। उन्होंने भाजपा को आईना दिखाने के लिए केजरीवाल को बधाई दी। कमलनाथ से सवाल किया जा सकता है केजरीवाल तो पिछले तीन विधानसभा चुनावों से कांग्रेस को भी आईना दिखा रहे हैं तब आपका, आप बधाई-गान सिर्फ भाजपा को कोसने तक क्यों सीमित रहा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया में आप की स्तुति झलकती है। सुरजेवाला की टिप्पणी का विश्लेषण करें। उन्होंने कहा, ध्रुवीकरण के प्रयास कुछ हद तक सफल रहे। दिल्ली ने साम्प्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दिया।

कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के दिल भी आप बधाई-गान के लिए मचल रहे थे लेकिन शर्मिष्ठा मुखर्जी के ट्वीट के बाद उन्हें मन-मसोसकर चुप रहना पड़ेगा। कांग्रेस में अलका लांबा और सांसद के.टी.एस. तुलसी की प्रतिक्रिया अवश्य संतुलित और व्यावहारिक कही जा सकती है। तुलसी ने कहा है कि दिल्ली में भाजपा-विरोधी वोटों का बंटवारा रोकने और आप को जिताने के लिए कांग्रेस ने खुद को कुर्बान कर दिया। 'अधीर रंजन चौधरी से अधिक राजनीतिक परिपक्वता अलका लांबा की प्रतिक्रिया से झलकती है। चांदनी चौक से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं अलका ने कहा कि पूरी तरह हिंदू और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हो गया था। वैसे, उनकी यह बात पचास प्रतिशत ही सही कही जा सकती है। मुफ्तखोरी की राजनीति के साथ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण 'आप' की विजय का एक बड़ा कारण रहा है। मुसलमानों ने भाजपा के विरोध में 'आप' के पक्ष में एकतरफा मतदान किया। दूसरी ओर भाजपा अपने पक्ष में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाई।

कांग्रेस के पुराने और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव परिणाम और उसपर कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर अवश्य चिंतित होंगे। लगातार तीन बार दिल्ली में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस लगातार तीन बार चुनाव हारी है। उसका वोट प्रतिशत गिरकर चार प्रतिशत पर आ गया। लगातार दूसरी बार कांग्रेस दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई। शर्मनाक बात यह है कि इस बार कांग्रेस के 63 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। मतदाताओं पर कांग्रेस की पकड़ छूटने के लिए दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पी सी चाको ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर दोष मढ़ा। पद से इस्तीफा देने के बाद चाको ने कहा कि 2013 में शीला दीक्षित के समय ही कांग्रेस का वोटबैंक कम होने लगा था। अब कांग्रेस का समूचा वोटबैंक 'आप' के पास चला गया है।' चाको की टिप्पणी को सही माना लें तब भी वह दिल्ली में कांग्रेस की चुनावी तबाही की जिम्मेदारी से स्वयं को अलग नहीं रख सकते। दिल्ली कांग्रेस का प्रभारी रहते स्वयं चाको ने पार्टी को बचाने और उबारने के लिए क्या किया था?

दिल्ली के चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह की बातें कांग्रेसी नेता कर रहे हैं, उससे बोध तो यही होता है कि इस दुर्दशा का पूर्वाभास उन्हें पहले से था। क्या कांग्रेस की शर्मनाक पराजय को 'टेक्टीकल डिफीट' कहा जा सकता है। कांग्रेस को अहसास था कि वह भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए उसने अनमने ढंग से विधानसभा चुनाव लड़ा। कह सकते हैं कि उसने चुनाव लड़कर चेहरा दिखाने की औपचारिकता पूरी की थी। भाजपा को विजय से वंचित करने के लिए उसने कब का मैदान छोड़ दिया था। इस आरोप का क्या कोई जवाब है कि कांग्रेस ने चुनाव भाजपा के हिंदू वोट काटने के लक्ष्य से लड़ा था? और अब क्या किया जा रहा है? 'आप' की विजय पर 'बधाई' गाई जा रही है। शर्मिष्ठा मुखर्जी जैसे खुद्दार कांग्रेसियों को इसपर दुख होना और गुस्सा आना स्वाभाविक है। दुश्मन की एक आंख फोड़ने के चक्कर में अपनी दोनों आंखें फुड़वा लेना क्या बुद्धिमानी है। ■

'आप की जीत' ने तय किया भविष्य का राजनीतिक एजेंडा

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यह पहले से ही सभी जान रहे थे कि आम आदमी पार्टी से कोई मुकाबला कर सकता है तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आती गई सभी ने देखा भी, जो एक लम्बी खाई आप और अन्य राजनीतिक दलों के बीच दिल्ली में थी, उसे कम से कम भाजपा बहुत हद तक दूर करने में सफल रही। लेकिन भाजपा या कांग्रेस जो नहीं कर पाई वह है अरविन्द केजरीवाल की तरह लोक लुभावने वादे। जो वादे किए भी वह उनपर जनता का भरोसा नहीं जीत पाई। दिल्ली की सियासी जंग फतह करने के लिए आज आप तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा देनेवाले घोषणापत्रों की तुलना कर सकते हैं। साधारण बुद्धि रखनेवाला भी यह समझ जाएगा कि सबसे अधिक लोभ और लालच किसके घोषणापत्र में है। फिलहाल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार एवं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने पर जो राजनीतिक समीक्षाएं की जा रही हैं, उनमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्र की समस्याएं समान होती हैं, संविधान राष्ट्र को फोकस कर निर्देश अधिक देता है, जिन विषयों पर भाजपा का दिल्ली में फोकस दिखाई दिया, वह राष्ट्रीय अधिक रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, हो सकता है कि इसलिए भाजपा के रणनीतिकारों ने समझा हो कि राष्ट्रीय विषय दिल्ली की आम जनता अधिक समझेगी लेकिन ऐसा इस चुनाव में देखने को नहीं मिला है। कहना यही होगा कि दिल्ली की अधिकांश जनता को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वे दिल्ली में आकर कानून व्यवस्था भंग करें या देश के संसाधनों का उपयोग कर भारत के आम नागरिकों के अधिकार छीनें। इस चुनाव के परिणामों ने यह भी बता दिया कि यहां की जनता को जम्मू-कश्मीर का केन्द्रीयकृत करना, देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कश्मीर के द्वार खोल देनेवाले निर्णय वहां से धारा 370-35ए हटाने से भी उसका कोई लेना-देना नहीं। कश्मीर के रास्ते आनेवाले आंतकवादियों को रोक पाने में केंद्र की भाजपा सरकार की सफलता भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अल्पसंख्यकों की जिस आधी जनसंख्या को तलाक जैसे क्रूरतम

फिलहाल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हार एवं कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने पर जो राजनीतिक समीक्षाएं की जा रही हैं, उनमें यह भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्र की समस्याएं समान होती हैं, संविधान राष्ट्र को फोकस कर निर्देश अधिक देता है,

रिवाज से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार ने किया, उसे भी दिल्ली की जनता स्थानीय स्तर पर अपने लिए कोई मुद्दा नहीं मानती है। हां, जिस शाहीन बाग का जिक्र इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान बार-बार आया, उस धरने का अवश्य ही सीधा असर यहां देखने का मिला है। नागरिक सशोधन कानूनल (सीएए) और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को जो मुसलमान अब तक समझ नहीं सके हैं, उन्हें इस धरने ने अवश्य ही पूरी दिल्ली में एकजुट करके रखा। मतदान के समय भी यह एकता स्पष्ट तौर पर दिखी। कुल मिलाकर दिल्ली के चुनाव में जो सबसे अधिक प्रभावी बात दिखाई दी है, वह है फ्री का जितना अधिक बटोरा जा सकता है उसे बटोर लो। इस संदर्भ में भारतीय दर्शन का एक प्रसिद्ध श्लोक याद आता है, 'यावज्जजीवेत सुखं जीवेत ऋण कृत्वा घृतं पीबेत। भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत। 'जबतक जियो सुख से जियो कर्ज लेकर घी पियो शरीर भस्म हो जाने के बाद वापस नही आता है।' सदियों पुराना भोगवादी चार्वाक दर्शन आज देश की आर्थिक नीतियों की नसों मे लहू बनकर दौड़ रहा है। व्यवस्था बिना श्रम के आये धन, फिर वह किसी भी रूप में क्यों न हो, मुफ्त बिजली, पानी, बस का सफर इत्यादि उसकी दीवानी है। वाकई में हम अपने तक सीमित सोच में यह भूल चुके हैं कि इसका असर आने वाले दिनों पर कितना भारी है। वस्तुत आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र को इस नजरिए से प्रमुखता के साथ देखा जा सकता है।

दिल्ली चुनाव पूर्व आप की घोषणा थी कि यदि जीतकर आए तो पांच साल तक 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी। दिल्ली में 10 लाख बुजुर्गों को फ्री तीर्थयात्रा कराई जाएगी। हर महीने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त में मिलेगा। दिल्ली में फ्री चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी। महिलाओं के साथ-साथ स्टूडेंट्स के लिए भी मुफ्त यात्रा करो। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को फ्री में पक्के मकान की फुल गारंटी दी जाती है। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू दी जाएगी, ध्यान रहे बीपीएल के लिए। पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इसबार के चुनाव परिणाम स्पष्ट करते हैं कि भारतीय राजनीति चार्वक के दर्शन की ओर जा रही है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब बदल चुकी है। वर्तमान में सिर्फ बहुत जरूरतमंद की सहायता करने को सहयोग नहीं माना जाता, जो सभी को लोक लुभावन सपने दिखाए, फ्री में स्कीम बांटे, सच पूछिए तो आज के दौर में वही हिट है। शायद यही वजह है कि दिल्ली में एकबार फिर अरविन्द केजरीवाल हिट हो गए और लाख देशसेवा करने का संकल्प लेकर चल रही बीजेपी यहां चारोंखाने चित हो गई। ■

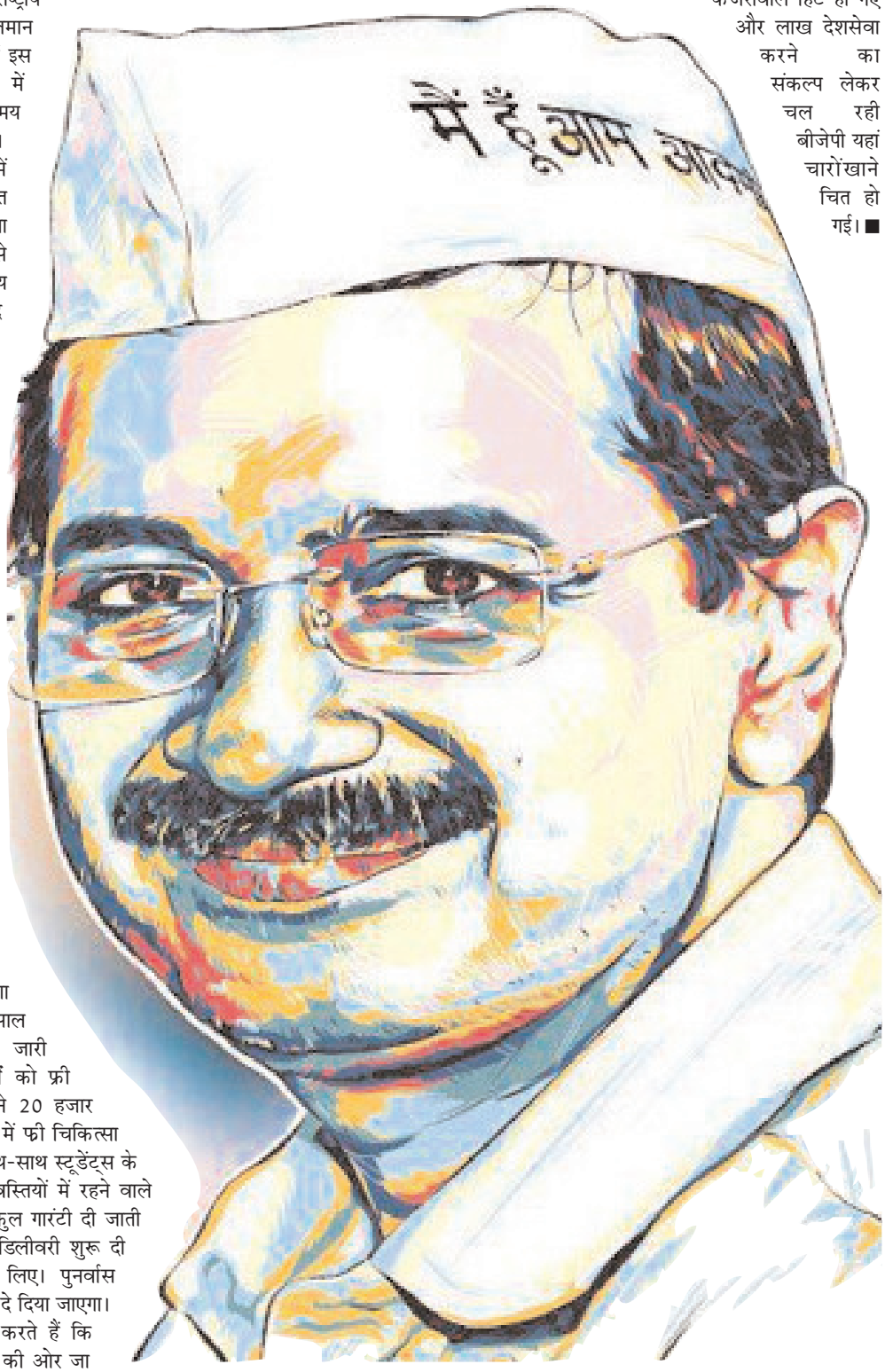

संविधान का मखौल उड़ाता शाहीन बाग

✍ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

> लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो मन विद्रूपता से भर उठता है। कुछ पल के लिए यह भी आपको लग सकता है कि ऐसे लोकतंत्र को कैसे अच्छा माना जाए, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर तिरंगे और संविधान की आड़ में लोकतंत्र की हत्या करने का ही कुचक्र रचा जा रहा हो।

एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में भारती संविधान की कॉपी, लोगों का हुजूम और एक ही रट- हम लोकतंत्र की हत्या के विरोध में धरना दे रहे हैं। देखते ही देखते इस धरने को 51 दिन बीत चुके हैं। दूर से आप धरने को देखेंगे तो लगेगा, वाह क्या बात है। वस्तुतः शाहीन बाग सीधे तौर पर गहराई से देखने और समझने पर यही बता रहा है कि देश तोड़नेवालों ने अब अपने पैंतरे बदल दिए हैं। लोकतंत्र की सर्वसमावेशी ताकत के बीच तमंचे को अपना हथियार न बनाते हुए देश तोड़नेवालों ने इसबार बड़ी चालाकी से इसकी ताकत (संविधान-तिरंगा) राष्ट्रीय ध्वज को ही अपना हथियार बना लिया है। यह कैसा विरोधाभास है कि यहां बैठे लोग अपने लिए आजादी मांग रहे हैं। कहने को यह आजादी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर नागरिक संशोधन कानून (सीएए) को लेकर है लेकिन इसकी आड़ में जो नारे और भाषणबाजी यहां हो रही है, (देश तोड़ने के संदर्भ में) वह इतनी खतरनाक है कि यहां उसका उल्लेख करना भी एक तरह से भारत की सार्वभौमिकता एवं सर्वसमावेशिता के सिद्धांत का अपमान होगा। इसके लिए आज सोशल मीडिया बहुत कुछ बयां कर रहा है।

यह कोई देखना नहीं चाहता कि जिस संविधान की यहां दुहाई दी जा रही है, उसी भारतीय संविधान ने संसद को यह ताकत दी है कि वह कोई भी कानून बनाकर उसे देशभर में लागू करवाए। यदि कोई कानून पूर्व में सही हो किंतु वर्तमान में सही नहीं है तो उसे लोकहित में समाप्त कर दे। यही भारतीय संविधान देश के महामहिम राष्ट्रपति को यह ताकत देता है कि वह संसद द्वारा पारित कानून पर स्वविवेक से संवैधानिक नियमों के तहत विचार करें और उन्हें आगे कानून बना देना है अथवा नहीं, यह निर्णय लेकर अपनी अंतिम मुहर उस पर लगाएं।

यह एक बड़ा प्रश्न है कि विधिसम्मत बने जिस कानून का शाहीन बाग में विरोध हो रहा है, क्या उस ''सीएए'' में कहीं संवैधानिक नियमों की अवहेलना हुई है? यदि वह राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, एक सिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रपति उसपर विधिवत अपनी मुहर लगाते हैं तो फिर यह विरोध किसलिए? इसके क्या मायने हैं? क्या कुछ मुट्ठीभर लोगों को यह इजाजत दी जा सकती है कि वे लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बंधक बना लें ? जैसा कि इन दिनों शाहीन बाग में देखा जा रहा है। पूरी सड़क रोक रखी है। लोग परेशान हैं। बीमार तक को निकलने का रास्ता नहीं दिया जा रहा। अब जो लोग इस धरने से परेशान हो रहे हैं, वे अपना आपा तक खोने लगे हैं, कहीं कोई बंदूर लेकर इन प्रदर्शनकारियों के विरोध में सड़क पर आ रहा है तो कहीं इनका विरोध इन्हीं के तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर शुरू हो गया है।

जो लोग शाहीन बाग के बहाने लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मकसद क्या है? यदि ये अपनी

आजादी की बात कह रहे हैं और इसके पीछे वे अपने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हवाला देते हैं तो क्या उन बहुसंख्यक लोगों के मौलिक अधिकार नहीं, जो इस सड़क का नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं? जो बंदूक लेकर हवा में इस आन्दोलन के विरोध में फायर करेगा, वह कानून तोड़ेगा, उससे पुलिस पूछताछ करेगी। हो सकता है कि न्यायालय भी ऐसे व्यक्ति को लेकर पुलिस को रिमाण्ड पर लेने का लम्बा वक्त दे दे। जो बिना इजाजत इस धरने के विरोध में अचानक सड़कों पर उतरेगा, पुलिस उसपर भी कानून तोड़ने के तहत कार्रवाई करेगी और जेल में डाल देगी लेकिन जो बिना पुलिस की इजाजत लिए पिछले कई दिनों से शाहीन बाग को बंधक बनाए हुए हैं, यही पुलिस उनकी चारों ओर से सुरक्षा करती नजर आएगी।

वस्तुतः क्या यह विरोधाभास किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? वास्तविकता में संविधान का मखौल कौन उड़ा रहा है? वे जो भारतीय संविधान से चुनी हुई सरकार से आजादी चाहते हैं? उसके विरोध में नारे लगाते-लगाते इतने बेखौफ हो जाते हैं कि ऐसा कुछ भी बोलने लगते हैं जो सीधे-सीधे भारतीय संविधान और खासकर देश के लोकतंत्र के लिए चुनौती है या वे लोग आज देश के लिए खतरा हैं जो सहज तरीके से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीना चाहते हैं। इस सड़क पर चलते हुए अपने काम पर जाना और फिर सुरक्षित अपने घर लौटना चाहते हैं। अब इस संदर्भ में विचार आपको करना है कि आजादी के नाम पर देश के संविधान सम्मत कानून को नहीं मानने की जिद पर अड़े रहकर भारतीय संविधान और लोकतंत्र को वर्तमान में चुनौती कौन दे रहा है? ■

मुस्लिम महिलाओं को ताकत देने की जरूरत

✍ डॉ. नाज परवीन

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून-2019 ने महिलाओं को पर्याप्त ताकत दी लेकिन इससे अलग भी अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय मुसलमान देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। मुस्लिम समाज दस्तकारी, कारखनदारी और कुटीर उद्योग जैसे धंधों से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम महिलाएं भी हर कार्यक्षेत्र में मेहनत मशक्कत करती हैं। उनका रहन-सहन, खानपान, सोच-विचार, व्यवसाय से जुड़ी कठिनाइयां और नैतिकताएं बहुत उलझी हुई हैं। विभिन्न विशेषताओं और मजबूतियों के बावजूद महिलाओं के मसले बेहद पेचीदा और संगीन बने हुए हैं। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति धर्म, समाज, कानून, राजनीति सबके दायरे में दयनीय बनी हुई है। ऐसी स्थिति में प्रसिद्ध नारीवादी इतिहासकार फातिमा जी की टिप्पणी अहम है- 'मुस्लिम महिलाएं अपना इतिहास जानने के लिए विद्वान या किसी अन्य पर निर्भर नहीं रह सकतीं, फिर चाहे वह इंसान उनका पक्षधर हो या निष्पक्ष। अपने इतिहास को पढ़ना-समझना उनका दायित्व है और कर्तव्य भी।'

भारत को आजाद हुए सात दशक हो रहे हैं। परन्तु आज भी भारतीय मुस्लिम महिलायें कम शिक्षित, आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त, राजनैतिक हाशिए पर नज़र आती हैं। मुस्लिम समाज की महिलाओं के वाजिब हक के मुददे हों या भारतीय नागरिक की हैसियत से उनके अधिकारों का प्रश्न, तमाम पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में मुस्लिम महिला साक्षरता दर 53.7 प्रतिशत है। इनमें से भी अधिकांश महिलाएं केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित हैं। 07-16 आयुवर्ग की स्कूल जाने वाली लड़कियों की दर केवल 03.11 है। शहरी इलाकों में 4.3 और ग्रामीण इलाकों में 02.26 लड़कियाँ ही स्कूल जाती हैं। प्राइमरी से जूनियर विद्यालयों तक पहुँचते ही इनकी उपस्थिति लगातार घटने लगती है। शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं का पिछड़ापन उन्हें समाज के प्रत्येक स्तर पर पिछड़ा बनाये हुए है। अधिकांश मुस्लिम बालिकाओं को केवल मदरसों की शिक्षा तक सीमित रखा जाता है। यद्यपि बदलते समय के साथ मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधार हो रहा है। परन्तु अन्य वर्ग की महिलाओं की तुलना में उनकी स्थिति अभी भी बहुत खराब है।

भारत का संविधान महिलाओं समेत समाज के सभी कमजोर वर्गों को सुरक्षा और सामर्थ्य प्रदान करता है। किसी भी देश की कानूनी व्यवस्था दर्शाती है कि राजसत्ता अपने नागरिकों के हकों के प्रति कितनी संवेदनशील व जिम्मेदार है। हमारे देश में संसद, कोर्ट, पंचायत या पुलिस थाने कानून बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक में पुरुषों का वर्चस्व है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019 विभिन्न संवैधानिक बंधों-उपबंधों के तहत संरक्षण प्रदान करता है, उनके सशक्तिकरण के अनेक प्रावधान करता है। यह आधुनिक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के माथे पर कलंक था। लेकिन भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं को आन्दोलित करने वाले भावनात्मक मुद्दों से कहीं ज्यादा सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्थागत मुद्दे भी हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति से जुड़े आर्थिक, तलाक, घरेलू उत्पीड़न और पारिवारिक झगड़े जैसे मुद्दे कम नहीं हैं। मुस्लिम महिलाओं के विकास और उनकी बदलती स्थिति ही उन्हें अपने अधिकारों को समझने की नई दृष्टि देगी। ■

दिल्ली हिंसा
सबक और संदेश

✍ चन्द्र प्रकाश

> किसी के घर अतिथि पधारे हों, उस वक्त यदि पड़ोसी किसी बात को लेकर हंगामा शुरू कर दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मेहमान भी क्या सोचेगा और आपकी कैसी छवि लेकर जाएगा।

शर्म की बात है कि देश की राजधानी का उत्तरी पूर्वी इलाका तीन दिनों तक घोर अराजकता का शिकार रहा। वह भी ऐसे वक्त में जब महत्वपूर्ण विदेशी मेहमान राजधानी में मौजूद था। नागरिक होने के नाते सोचिए कि घरेलू मुद्दे को लेकर राजधानी की सड़कों पर खुला तांडव चल रहा हो तो विश्व बिरादरी में आपकी क्या साख बन रही होगी। किसी के घर अतिथि पधारे हों, उस वक्त यदि पड़ोसी किसी बात को लेकर हंगामा शुरू कर दे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मेहमान भी क्या सोचेगा और आपकी कैसी छवि लेकर जाएगा।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के महापुरुषों और क्रांतिवीरों ने बलिदान देकर देश को इसलिए नहीं आजाद कराया कि इस देश को तमाशा बनाया जाए। आजादी का मकसद सबका सर्वांगीण विकास था। स्वतंत्रता लोगों को मुक्त हवा में सांस लेने का अवसर दिलाने की थी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक ऐसे देश की परिकल्पना की थी, जिसके नागरिक सिर उठाकर गर्व से जी सकें। जहां किसी के मन-मस्तिष्क में कोई भय न हो। सब जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकें। जीवन का विकास कर सकें। निर्धारित लक्ष्य को बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें। लेकिन आजादी के सात दशक बीतने के बाद भी लगता है कि लोग इसके मायने को समझ नहीं पाए हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते। देश की स्वतंत्रता यहां के लोगों के लिए स्वछंदता न बन जाए इसलिए भारत को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया। विधि-विधान और नियम-कानून बने।

ऐसा लगता है कि देश के नागरिक वर्तमान में भी पुरानी जड़ता से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। देश में समय-समय पर हुए दंगे-फसाद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कहीं न कहीं स्वतंत्रता के ऊपर स्वछंदता हावी है। यही वजह है कि आजाद देश में आजादी की मांग की जाती है, नारे लगाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इस मांग के पार्श्व में स्वछंदता अंगड़ाई ले रही है, जो देश को नीचा दिखाने की मंशा पाले हुए है। विचारकों का भी कहना है कि लोकतंत्र एक शिक्षित और सभ्य समाज में ही फलीभूत हो सकता है, वरना वह देश और समाज का ही बेड़ा गर्क करेगा। इसके साथ यह भी सत्य है कि यदि आप प्राप्त सुअवसर का सदुपयोग नहीं कर सके तो भविष्य में पछतावे के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अपनी विफलता का ठीकरा किसी अन्य पर फोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र देश के नागरिकों को स्वयं के अनुरूप जीवन जीने का एक अवसर देता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है या हमारी मनमर्जी चलेगी।

जरा सोचिए कि जब देश का हर व्यक्ति रक्त पिपासु हो गया तो परिणाम क्या होगा। शायद तमाम नस्लें ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए देश के नागरिकों को चाहिए कि वे थोड़ा सब्र और संयम बरतें। दंगे-फसाद भड़का कर दूसरों के जीवन को तबाह करना या कठिन परिश्रम से अर्जित सम्पतियों को क्षति पहुंचाना या बेवजह की बातों को मुद्दा बनाकर देश में आग लगाने से बाज आना चाहिए। यदि कोई देश का वैध नागरिक है तो कौन उसे देश से बाहर निकाल सकता है। बिना जाने या सोचे-समझे बहकावे में आकर देश की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने का दुष्प्रयास हरगिज नहीं करना चाहिए। आग लगाना आसान होता है लेकिन उसकी तपिश से बचता कोई नहीं है। इसलिए विनाश के खेल को बंद करिए। यदि देश और समाज का हित नहीं कर सकते तो कम से कम अहित मत करिए। अगर इतना ही कर लें तो आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ माहौल में जीवन के विकास का अवसर मिलेगा। ■

दंगों को उकसाने-भड़काने वाले कौन?

✍ आर.के.सिन्हा

अब तो आग की लपटों से बाहर निकल आई है दिल्ली। मासूमों को मारने के लिए सड़कों पर उतरे मौत के सौदागर अपना सुनियोजित काम करके पतली गली से निकल चुके हैं। लेकिन, तीन-चार दिनों तक दिल्ली में मानवता बार-बार मरती रही। दर्जनों लोग मार डाले गए और सैकड़ों घायल हुए। हजारों दुकानें और घर राख में तब्दील कर दिए गए। इतना सब होने के बावजूद अब भी यहां 'मेरा-तुम्हारा' करने वाले सक्रिय हैं। वे अब भी इस बात से दुखी हैं कि उनके मजहब वाले भी दंगों में शिकार हुए। उन्हें दूसरे मजहब के मानने वाले मृतकों या घायलों को लेकर किसी तरह की सहानुभूति का भाव नहीं है। तो इतना पत्थर दिल बन गये हैं हमारे समाज के कुछ नकाबपोश। गंगा-जमुनी तहजीब की बातें मानों बेमानी-सी ही लगती है।

बहरहाल, दिल्ली के दंगों के लिए एक खास समूह कपिल मिश्र की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। उन्हें इन दंगों के लिए दोष दे रहा है। अगर वे कानून की नजर में दोषी हैं तो उन पर एक्शन होगा ही। किसी के चाहने या ना चाहने से उन्हें खलनायक नहीं बनाया जा सकता है। पर मिश्र को दोष देने वाले ही वारिस पठान को दूध का धुला बता रहे हैं। वही पठान जो 15 करोड़ मुसलमान बनाम 100 करोड़ हिन्दुओं की जहरीली बातें कर रहा था। आम आदमी पार्टी (आप) के नगर पार्षद ताहिर हुसैन को भी दोषी नहीं माना जा रहा है। हुसैन इन दंगों का सबसे भयानक चेहरे के रूप में उभरा है। उसके घर से तमाम असलहे और बमों की फैक्ट्री मिली। उसके घर में छिपे सैकड़ों दँगाई गुंडों ने भारत सरकार के इंटेलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा पर 400 बार चाकुओं से वार करके उन्हें मौत के घाट उतारा। आंखें और अतड़ियां निकाल लीं और गर्दन को ठीक वैसे ही रेता जैसे बकरे को जबह किया जाता है। पर मजाल है कि ताहिर हुसैन को कोई सेक्युलरवादी दंगों का दोषी मान रहा हो। फिलहाल वह फरार है। अगर वह निर्दोष है तो उसे फरार होने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। आपको पता ही होगा कि 18 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से मजदूरी करने आये ताहिर हुसैन अब घोषित तौर पर 18 करोड़ की सम्पत्ति के मालिक हैं और आप पार्टी के रसूखदार नेता और पार्षद हैं।

क्या दिल्ली में दंगे अचानक से भड़क गए? नहीं, जी कतई नहीं। बेशक दंगों की भूमिका लंबे समय से बन रही थी। छतों और घरों में पेट्रोल बम रखे जा रहे थे। पत्थर एकत्र किए जा रहे थे ताकि दिल्ली को दूसरा कश्मीर बना दिया जाए। यही कोशिश भी हुई। फिलहाल दंगों के कारणों को अपने स्तर पर तलाशने की कई स्तरों पर चेष्टा हो रही है। जाहिर है दिल्ली पुलिस जॉच तो पूरी ईमानदारी और पारदर्शी अंदाज में करेगी ही। उन्हीं से अपेक्षा है कि वे कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भड़काऊ बयानों को भी नजरअंदाज करने की भूल नहीं करेंगे। इनके उकसाऊ और आग में घी डालने वाले भाषणों ने हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक खास वर्ग को चीख- चीखकर यह एहसास करा दिया कि उनके साथ इस देश में वाकई घोर अन्याय हो रहा है। सोनिया गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वे नागरिकता संशोधन नियम के खिलाफ एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रही हैं- हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम घरों से बाहर निकलें और आंदोलन करें और इसके (नागरिता संशोधन अधिनियम) खिलाफ आँदोलन करें। किसी देश की जिंदगी में इस तरह का वक्त आता है कि उसे इस या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। हमें कठोर संघर्ष करना होगा। मोदी सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइये कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं...। सोनिया गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्ष हैं। उनसे कम से कम इतनी अपेक्षा देश अवश्य करता है कि वे माहौल को विषाक्त नहीं

करेंगी। पर वह तो मानो मुसलमानों को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर रहीं थीं। लेकिन, जब दंगे भड़के तो वे अज्ञातवास में चली गईं। जिस कांग्रेस पार्टी से महात्मा गांधी का संबंध रहा हो उसका अध्यक्ष इतनी गैर-जिम्मेदारी भरा भड़काऊ भाषण देगा, यह कभी नहीं सोचा था। सोनिया गांधी यह क्यों भूल गई कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित किया गया है। क्या वह संसद में लिए गए निर्णय को नहीं मानेगी जिसकी वह खुद सदस्य हैं? क्या वे सॅसद और सॅविधान का अपमान नहीं कर रहीं हैं? राष्ट्रद्रोह और होता क्या है?

जरा देखिए कि जब दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा जब जल रहा था तब सोनिया गांधी लुटियन दिल्ली के अपने विशाल बंगले से बाहर तक नहीं निकलीं। क्यों नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के आला नेता दंगाइयों से लड़ने के लिए निकले जब उनकी ही एक नेता और पार्षद इशरत जहां पत्थरबाजों के एक उग्र गिरोह से पुलिस पर पत्थरबाजी करवाकर पुलिस

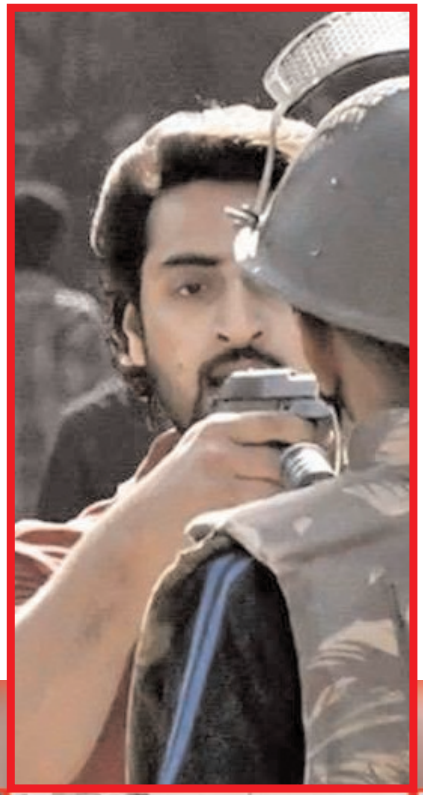

उनके एक हालिया रिकार्ड किये गये भाषण के अंश पढ़ लें। वे कहते हैं- जिम्मेदारी आपकी भी है। जब आपको दबाया जाता, कुचला जाता है तो ये आप पर आक्रमण नहीं होता। ये हिन्दुस्तान की आत्मा पर आक्रमण होता है। डरो मत। आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज जो डर का माहौल है। इस डर के माहौल को मिटा डालेंगे। कुछ इसी तरह की उकसाने वाली भाषा उनकी बहन प्रियंका गांधी भी बोलती हैं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। वे कहती हैं इस तरह के कानून बनाए जाते हैं जिससे लाखों नागरिक बंदी की तरह रखे जाते हैं। इस देश को बचाना है तो भाइयों और बहनों मन बना लो...। इस देश की मिट्टी प्यारी है तो साहस बांधो।

प्रियंका गांधी को यह बताना होगा कि किस भारतीय नागरिक को बंदी की तरह से रखा गया। वे तो लाखों नागरिकों की बातें कर रही हैं। यहां बात सियासत से परे की हो रही है और देश देख रहा है कि किस तरह से देश की सबसे बड़ी पार्टी के तीन शिखर नेता दंगों की जमीन को तैयार कर रहे हैं और लगता है कि

को दॅगाग्रस्त इलाकों में जाने से रोक रही थीं। इसी तरह दॅगा के केन्द्र बने शिवपुरी से सटे गोविन्दपुरी में फिरोज खान नाम के एक शख्स की अवैध फैक्ट्री से साठ हजार लीटर तेजाब बरामद की गई है। लगता है कि दंगों के लिये तेजाब की सप्लाई यहीं से हो रही थी। साठ हजार लीटर तो लाखों लोगों को जला मारने के लिये पर्याप्त था। यह बिना किसी राजनीतिक सॅरक्षण के हो रहा होगा क्या?

राहुल गांधी भी पीछे कहां रहे। वे भी मुसलमानों को भड़काने में लगे रहे अपने भाषणों के माध्यम से। उनसे प्रेरणा लेकर ही कुछ छुटभैये नेता पत्थरबाजी तक कर रहे हैं। आने पर इनसे सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। याद रखें कि दिल्ली दंगों के लिए कुछ और खासमखास लोग भी जिम्मेदार हैं, जिनकी सच्चाई परत-दर-परत खुल रही है। ■

निर्भया मामला और न्यायिक भरोसा

✍ डॉ. रमेश ठाकुर

विधि इतिहास में राममंदिर मसले के अलावा निर्भया कांड दूसरा ऐसा केस है जो हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर भी चर्चा का विषय है। मंदिर मसला तो निपट गया लेकिन निर्भया केस अदालतों की चौखट पर अभी भी इंसाफ मांग रहा है। फैसले की घड़ी नजदीक आकर भी दूर चली जाती है। दोषियों को फांसी भी मुकर्रर हो जाती है पर जब तारीख पास आती है तो उनकी फांसी टल जाती है। निर्भया केस में डेथ वारंट के नाम पर खिलवाड़ एक बार नहीं, तीन हुआ। तीनों बार दोषियों ने लचर न्यायतंत्र का फायदा उठाया।

बीते चालीस दिनों में तीन बार फांसी टल जाने के बाद देशवासी भी न्यायतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने लगे हैं। उनके सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है। निर्भया के साथ जैसी क्रूरता आधा दर्जन दरिंदों ने की थी, उसे याद करके आज भी रूहें कांप उठती हैं। दोषियों ने बच्ची को जानवरों की भांति नोचा था। शरीर में कुछ नहीं छोड़ा था, सिवाए कुछ सांसों के? दिल्ली से लेकर सिंगापुर तक जिस तरह से अपने जीवन को बचाने के लिए निर्भया ने संघर्ष किया था, उसे देखकर कलेजा कांप उठता है। जिस दिन बच्ची की सांसों ने उनके शरीर से साथ छोड़ा था, समूचा देश रो पड़ा था। तब ऐसा लगा कि निर्भया किसी और की बहन या बेटी नहीं, बल्कि उनकी ही है। ऐसे दरिंदों पर रहम दिखाने का मतलब, विधितंत्र से जनमानस के विश्वास को कम करना होगा? मौजूदा वक्त में अदालतें ही लोगों की आखिरी उम्मीद हैं। स्थानीय पुलिस-प्रशासन, जनप्रतिनिधि, अफसरशाही और सिस्टम से पहले ही लोग दुखी हैं। सिर्फ न्यायतंत्र पर ही सभी का अटूट विश्वास है। अगर वहां भी निर्भया के माता-पिता की तरह निराशा हाथ लगेगी तो किस पर लोग विश्वास करेंगे।

निर्भया केस में डेथ वारंट के नाम पर खिलवाड़ कई बार हो चुका है।

निर्भया मामले में कोर्ट की लचरता से कई सवाल खड़े हुए हैं। खैर, देर आए दुरूस्त आए। देश-दुनिया को झकझोर देने वाले निर्भया कांड के दोषियों की फांसी के लिए फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है। यह चौथा डेथ वारंट है, इससे पहले तीन डेथ वारंट जारी हुए, जो फांसी की मुकर्रर तारीख के एक दिन पहले तक निरस्त होते रहे। दोषियों को सूली पर लटकाने के लिए कोर्ट ने अब चौथा वारंट जारी किया। पहले डेथ वारंट पर देशवासियों ने जो उत्सुकता दिखाई थी, वह दूसरे और तीसरे में नहीं दिखाई। चौथे डेथ वारंट पर तो लोग एकदम शांत हैं। दरअसल, अब लोगों को भरोसा ही नहीं है कि इसबार भी फांसी होगी भी या नहीं? अदालतों के ऐसे रवैये पर सामाजिक स्तर पर बहस का छिड़ना स्वाभाविक भी है।

लोग कोर्ट के रवैये को देखते हुए उनकी गंभीरता पर भी सवाल उठाने लगे हैं। पहला डेथ वारंट जब जारी हुआ था तो लोगों ने न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा था लेकिन लचर अदालती प्रक्रिया ने लोगों के मन को ढेस जरूर पहुंचाया है। बहरहाल, कोर्ट द्वारा जारी नए डेथ वारंट के मुताबिक इसी माह की बीस तारीख के तड़के सुबह निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। निर्भया के दोषियों के सभी कानूनी विकल्प बीते तीन मार्च को उस वक्त खत्म हो गऐ थे, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौथे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया था। बाकी के तीन आरोपियों की दया याचिका तो पहले ही खारिज की जा चुकी थी। कानूनी पचड़ों को निपटने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन फांसी की नई तारीख लेने पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी कोर्ट में दलीलें रखी कि निर्भया के सभी दोषियों के कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। अब किसी दोषी की कोई की याचिका कहीं भी लंबित नहीं है। ऐसे में कोर्ट को नया डेथ वारंट जारी करना चाहिए। दोषियों की फांसी के लिए तीन बार डेथ वारंट जारी किया जा चुका है लेकिन तीनों बार ही उनकी फांसी टल गई थी। कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद ही नया डेथ वारंट जारी किया।

बहरहाल, आरोपियों के वकील को अभी भी उम्मीद है कि चौथा डेथ वारंट भी खारिज होगा। शायद उनके दिमाग में अब भी कोई तिकड़म है, जिसे भिड़ाने का प्रयास करेंगे। कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा मानसिक तौर पर कोर्ट को उलझाने का प्रयास किया जा सकता है। बीमारी का बहाना भी किया जाएगा। फांसी पर चढ़ने से पहले दोषी का स्वस्थ्य होना जरूरी है। दोषियों का वकील एपी सिंह जजों पर मीडिया के दबाव में फैसला लेने का आरोप लगा रहा है। सिंह ने चारों दोषियों की फांसी को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग रखी है। चौथे डेथ वारंट के मौके पर एपी सिंह ने अदालत में कहा, जो आरोप इन चारों पर हैं वैसे आरोप कई नेताओं, अभिनेताओं एवं देश के अनगिनत लोगों पर हैं। जब इनको सूली पर लटकाने की इतनी जल्दी है तो उनपर रहम क्यों दिखाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई दलीलें कोर्ट में रखी। हालांकि कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को हमेशा की तरह नकारा। ■

मतदान का गिरता ग्राफ

✍ डॉ. रमेश ठाकुर

चुनाव प्रक्रिया को लोकतंत्र के त्योहार की संज्ञा दी गई है। यह तभी अर्थपूर्ण है जब इसमें आमजनों के मतों की आहुति सामूहिक रूप से हो लेकिन इसमें लगातार नीरसता देखने को मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की बेरुखी ने वोटिंग ग्राफ को काफी नीचे धकेल दिया। राजधानी दिल्ली के चुनावी इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब मतदान का प्रतिशत इतना कम रहा। इसमें सरकार को भी सीधे तौर पर दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग पर होती है। दिल्ली चुनाव में आयोग की कुछ भी खामियां सामने आई हैं। बीते शनिवार को छह बजे चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी चुनावी आंकड़े पेश नहीं करने पर आयोग सवालों के घेरे में है।

मतदान के दिन प्रत्येक न्यूज चैनलों की डिबेट्स में वोट प्रतिशत कम होने को लेकर चर्चा हुई। चुनाव समीक्षक भी इस बात से अचंभित थे कि दोपहर 12 बजे तक 16 फीसदी और 3 बजे तक मात्र 31 फीसदी ही वोट क्यों पड़े? मतदाताओं ने मतदान में ज्यादा रूचि नहीं दिखायी। ज्यादातर बूथों पर पूरे दिन कम मतदाता ही दिखे। दिन जैसे-जैसे ढलता गया, मतदान का आंकड़ा और गिरता गया। तीन बजे तक मात्र 31 प्रतिशत के आसपास ही वोटिंग हुई। उसके बाद मात्र तीन घंटे की वोटिंग और शेष बची। कमोबेश, उसमें भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तुलनात्मक रूप से जिस हिसाब से वोटिंग की गति रही, उस लिहाज से शाम तक चालीस फीसदी के आसपास ही आंकड़ा पहुंच सकता था। कम वोटिंग को देखते हुए चुनाव आयोग के हाथ-पांव फूल गए। तभी उन्होंने वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वोटिंग का आंकड़ा मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया। देखते-देखते शाम हो गई, दूसरे दिन की सुबह भी हो गई। इस बीच चैबीस घंटे बीत गए पर वोटिंग कितनी हुई चुनाव आयोग ने नहीं बताई।

आयोग के इस रवैये पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नजर बनी हुई थी। उनकी पार्टी ताक में बैठी थी। इसे लेकर आयोग को घेरने में उन्होंने देरी नहीं की। प्रेस को आमंत्रित कर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आयोग पर एक साथ कई गंभीर आरोप जड़ दिए। मामला जब मीडिया की सुर्खियों में आया तो आनन-फानन में चुनाव आयोग ने रविवार देर शाम वोटिंग के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया। 62 फीसदी के करीब आंकड़ा बताया। जबकि पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव में 67 फीसदी मतदान हुआ था।

चुनाव आयोग ने मतदान के लिए दिल्लीवासियों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन लोग फिर भी घरों से ज्यादा नहीं निकले। ऐसा क्यों हुआ इस बात की फिलहाल समीक्षा शुरू हो गई है। समीक्षा होनी भी चाहिए, कारकों को खोजा जाना चाहिए। कुल मिलाकर चुनाव आयोग किसी भी तरह इज्जत बचाना चाहता है लेकिन मतदान का गिरता ग्राफ न सिर्फ आयोग के लिए चिंता का विषय है बल्कि समूची सियासत और हम सभी के लिए सोचनीय मुद्दा है। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की हिस्सेदारी अगर आगे भी ऐसी रही तो सिस्टम को नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि आखिर जनता में वोटिंग के प्रति इतनी नीरसता क्यों?

> दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की बेरुखी ने वोटिंग ग्राफ को काफी नीचे धकेल दिया।

दिल्ली विधानसभा के मतदान में आई गिरावट को लेकर तरह-तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पिछले डेढ़ माह से केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मूवमेंट छिड़ा हुआ है, हो सकता है उस नाराजगी के चलते भी लोगों ने मतदान करने से दूरी बनाई हो। लेकिन, दिल्ली में रहने वाले अतिशिक्षित वर्गों द्वारा लोकतंत्र के महापर्व से दूरी बनाना बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली की इस तस्वीर का बुरा असर हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों में न पड़े, उससे पूर्व चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सिस्टम से ताल्लुक रखने वाले लोगों को गंभीरता से मंथन की आवश्यकता है। सरकारों और समाज के दरम्यान तेजी से बनती दूरी को समय रहते मिटाना होगा। दोनों की भूमिका में जबतक आपसी तालमेल नहीं होगा, वोटिंग में ऐसी ही गिरावट आती रहेगी। ■

महापुरुषों के विरोध पर केंद्रित राजनीति?

✍ तनवीर जाफ़री

'सबका साथ सबका विकास', गुजरात से शुरू हुआ यह नारा 2013-14 के दौरान चुनाव प्रचार का सबसे प्रमुख नारा बनकर उभरा था। विदेशी मीडिया ने भी इस नारे पर कई सकारात्मक टिप्पणियां कीं। और इस बात के लिए प्रशंसा की गयी कि यदि वास्तव में भारत सरकार 'सबका साथ सबका विकास' के नज़रिये के तहत काम करती है तो यह समग्र भारत वासियों के हित में ही होगा। परन्तु आज यही विकास 'शब्द ' एक मज़ाक़ के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। लोग व्यंगात्मक अंदाज़ में 'विकास' को ढूंढते नज़र आ रहे हैं। कोई पूछता है कि विकास पैदा हुआ भी या नहीं तो कोई पूछ रहा है कि 'विकास के पापा कहाँ चले गए'। वैसे भी औद्योगिक उत्पादन,अर्थ व्यवस्था,जी डी पी,विकास दर व रोज़गार संबंधी तमाम आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि भारत में विकास नाम की चीज़ कहीं ढूंढने पर भी दिखाई नहीं दे रही है। न स्मार्ट सिटी हैं,न आदर्श गांव हैं न नौकरी न नए उद्योग। हाँ सरकारी नवरत्न कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने के दृश्य ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। रोज़गार के नाम पर देश के शिक्षित युवाओं को पकौड़े बेचने जैसी 'बेशक़ीमती' सलाह ज़रूर दी जा चुकी है। देश में साम्प्रदायिक व जातिगत आधार पर तनाव ज़रूर बढ़े हैं। सबका साथ सबका विकास करने के बजाए सब के 'मतों का ध्रुवीकरण' ज़रूर कराया जा रहा है। नोटबंदी से लेकर एन आर सी जैसे प्रयोगों तक में अब तक सैकड़ों देशवासी अकारण ही अपनी जानें गँवा चुके हैं। अनिश्चितता के इस वातावरण में एक सवाल यह भी पूछा जाने लगा है कि जो सरकार,दल अथवा विचारधारा देश के महापुरुषों को समान रूप से सम्मान नहीं दे सकती,सम्मान देना तो दूर की बात है जो विचारधारा अपनी 'राजनैतिक दुकानदारी' चलाने के मुख्य हथकंडे के रूप में महापुरुषों की आलोचना,उनकी निंन्दा व बुराई करने को ही अपना 'शस्त्र' समझती हो उस से देश के लोगों को साथ लेकर चलने की उम्मीद करना आख़िर कितना मुनासिब है?

सकारात्मक राजनीति का तक़ाज़ा तो यही है कि आप अपने राजनैतिक आदर्श महापुरुषों की चर्चा करें,उनके विचारों को सार्वजनिक करें और उन्हें लोकप्रिय बनाने की कोशिश करें। परन्तु धर्मनिरपेक्ष भारत सहित पूरे विश्व में चूंकि अतिवादी विचारों की स्वीकार्यता की संभावना कम है इसीलिए अपने अतिवादी विचारकों का सार्वजनिक रूप से महिमामण्डन करने के बजाए धर्मनिरपेक्षता के ध्वजावाहक महापुरुषों को नीचा दिखाने व उनपर झूठे आरोप मढ़कर उनपर हमलावर होने के लगतार प्रयास किये जाते रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम इतिहासकारों ने यहाँ तक की आलोचकों व विरोधियों ने भी जिन महापुरुषों को सम्मान की दृष्टि से देखा,राष्ट्र का गौरव समझे जाने वाले उन्हीं महापुरुषों की आलोचना या निंदा करने में पूरी ताक़त झोंकी जा रही है। सम्राटअकबर,टीपू सुल्तान,महात्मा गांधी,पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी अनेक शख्सियतें जिनकी नीयत व नीतियों की दुनिया क़ायल है,जिनकी धर्मनिरपेक्ष नीतियों की पूरी दुनिया इज़्ज़त करती है वही महापुरुष इन अतिवादी दक्षिणपंथियों के निशाने पर रहते हैं। गुजरात में नर्मदा घाटी के मध्य मोदी सरकार द्वारा जनता के टैक्स के लगभग तीन हज़ार करोड़ रूपये ख़र्च कर जिस स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी का निर्माण कराया गया वह भी किसी हिंदूवादी नेता या दक्षिणपंथी विचारक की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता व नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रहे सरदार बल्लभ भाई पटेल की है। उस जगह किसी अपने आदर्श महापुरुष की स्टेच्यू भी लगाई जा सकती थी। परन्तु इन्हें मालूम था कि सरदार पटेल के क़द का भी कोई नेता इनके पास नहीं है। इनकी पूरी ताक़त इस बात के प्रचार में लगाई जाती है कि नेहरू-पटेल एक दूसरे के दुश्मन थे। नेहरू ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इन नेताओं में पटरी नहीं खाती थी। नेहरू, पटेल का कहना नहीं मानते थे। भारत पाक विभाजन से लेकर कश्मीर की समस्याओं तक के लिए अकेले नेहरू ज़िम्मेदार हैं जबकि उन सभी फ़ैसलों में गृह मंत्री के नाते सरदार पटेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका व सहमति हुआ करती थी।

गत एक दशक से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विरोध इस स्तर तक फैल गया है मानो देश में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गोडसे फिर से पैदा हो गए हों। अतिवादी शिक्षा से प्रभावित आम लोगों द्वारा ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा गाँधी जी को अपमानित करने व उन्हें बदनाम करने के अनेक तरीक़े इस्तेमाल किये जा रहे हैं। जिस बापू की सोच,हौसले व विचारों के आगे अंग्रेज़ नत मस्तक होते थे और आज तक जो गाँधी दुनिया के तमाम देशों,सरकारों व शीर्ष नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हों उसी गांधी का कभी चरित्र हनन किया जाता है,कभी उन्हें शहीद भगत सिंह का विरोधी बताया जाता है,कभी उन्हें मुस्लिम परस्त या दलित परस्त बताया जाता है। कुछ मंद बुद्धि 'सांस्कृतिक राष्ट्रवादी' तो गाँधी के बजाए गाँधी के हत्यारे गोडसे को ही राष्ट्रभक्त व महापुरुष मान रहे हैं।कर्नाटक के एक सांसद जिन्होंने भारतीय संविधान से 'सेक्युलर' शब्द हटाने की बात कही थी तथा यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करने के लिए ही सत्ता में आई है, उसी सांसद अनंत हेगड़े ने एक बार फिर अपनी ज़ुबान से अपनी 'सांस्कारिक शिक्षा' का परिचय दिया है। इस बार तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में गाँधी जी की किसी तरह की भूमिका को ही चुनौती दे डाली है। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने एक जनसभा में कहा कि -'देश के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष को अंग्रेज़ों की सहमति व समर्थन से अंजाम दिया गया। हेगड़े के अनुसार 'इन कथित नेताओं में से किसी भी नेता को पुलिस के द्वारा नहीं पीटा गया। उनका स्वतंत्रता आंदोलन बड़ा ड्रामा था। अंग्रेज़ों की सहमति से यह आंदोलन किया गया। यह सही मायनों में आंदोलन नहीं था। यह मिलीभगत से किया गया आंदोलन था।' हेगड़े ने महात्मा गाँधी की भूख हड़ताल और सत्याग्रह को भी ड्रामा बताया। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि भारत को आज़ादी सत्याग्रह के कारण मिली लेकिन यह सही नहीं है। अंग्रेज़ों ने इस देश को सत्याग्रह के कारण नहीं छोड़ा था।' उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेज़ों ने परेशान होकर देश को आज़ादी दी थी। हेगड़े ने ने कहा, 'जब मैं इतिहास पढ़ता हूं तो मेरा खून उबल जाता है। ऐसे लोग हमारे देश में महात्मा बन जाते हैं।'

दक्षिणपंथी नेताओं द्वारा देश के धर्मनिरपेक्ष महापुरुषों को अपमानित करने की एक कोई पहली घटना नहीं है। हाँ इसमें लगातार इज़ाफ़ा ज़रूर होता जा रहा है। गाँधी के साथ साथ स्वतंत्र संग्राम के अनेक नायकों व योद्धाओं को भी अपमानित किया जा रहा है। इससे साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि रचनात्मक,विकास आधारित राजनीति करने के बजाए महापुरुषों के विरोध पर केंद्रित राजनीति करने में ही अपने राजनैतिक लाभ की तलाश की जा रही है। ऐसे प्रयास महाप्रुषों के साथ साथ देश की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं।

मौत के वायरस का उत्पादन?

✍ प्रमोद भार्गव

चीन में नोबेल कोरोना नाम के जिस वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है, दुनिया के वैज्ञानिकों ने उसे चीन के महानगर वुहान स्थित वायरस प्रयोगशाला पी-4 में उत्सर्जित किए जाने की आशंका व्यक्त की है। दरअसल आजकल जीवाणु व विषाणुओं की मूल संरचना में जेनेटिकली परिवर्तन कर खतरनाक जैविक हथियार बनाए जाने लगे हैं। यह आशंका इसलिए जताई गई है क्योंकि चीन ने एक महीने तक इस बीमारी के फैलने की जानकारी किसी को नहीं दी। बीमारी फैलने के बाद चीन करीब डेढ़ महीने तक इसे मामूली बीमारी बताता रहा। जब बीमारी बेकाबू होती चली गई तब चीन ने इस जानकारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ दुनिया के अन्य देशों से साझा किया। लेकिन तबतक 3 दिसंबर 2019 से शुरू हुई यह बीमारी दुनिया के 35 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। दरअसल, यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि कोरोना के पहले भी चीन में ही कई वायरस पहली बार पाए गए। 1996 में बर्ड फ्लू चीन से ही फैला और 440 लोग इसके शिकार हुए। 2003 में दक्षिण चीन से सार्स नामक वायरस फैला और इसने दुनिया के 26 देशों के 800 लोगों की जिन्दगी ले ली। 2012 में चीन से ही मर्स नाम का वायरस फूटा और इसने 27 देशों में कहर ढाकर करीब 800 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इन सभी वायरसों का उत्सर्जन उसी वुहान शहर से हुआ, जहां चीन की वायरॉलोजी पी-4 प्रयोगशाला है। इसलिए यह शक वैज्ञानिकों को है कि कोरोना वायरस किसी अन्य वायरस के जीन में वंशानुगत परिवर्तन करते समय भूलवश प्रयोगशाला से निकला और दुनिया को महामारी के संकट में डालने का सबब बन गया।

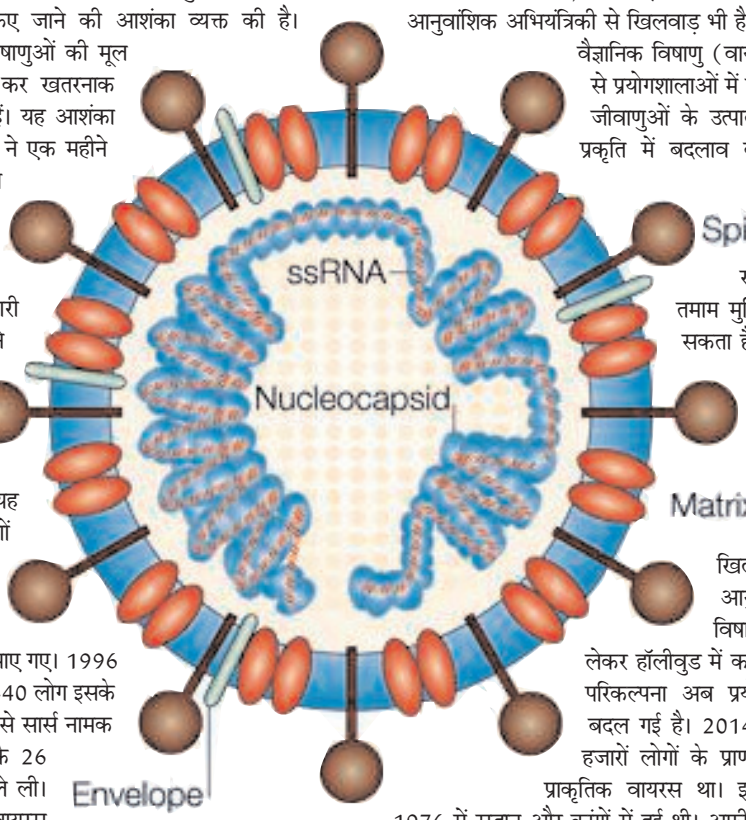

प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने मानव समुदाय को सुरक्षित रखने की दृष्टि से जो चेतावनियां दी हैं, उनमें एक चेतावनी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अर्थात आनुवांशिक अभियंत्रिकी से खिलवाड़ भी है। खासतौर से चीन और अमेरिकी वैज्ञानिक विषाणु (वायरस) और जीवाणु (बैक्टीरिया) से प्रयोगशालाओं में छेड़छाड़ कर एक तो नए विषाणु व जीवाणुओं के उत्पादन में लगे हैं, दूसरे उनकी मूल प्रकृति में बदलाव कर उन्हें और ज्यादा सक्षम व खतरनाक बना रहे हैं। इनका उत्पादन मानव स्वास्थ्य के हित के बहाने किया जा रहा है लेकिन ये बेकाबू हो गए तो तमाम मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। कई देश अपनी सुरक्षा के लिए घातक वायरसों का उत्पादन कर खतरनाक जैविक हथियार भी बनाने में लग गए हैं। कोरोना वायरस के बारे में यह शंका स्वाभाविक है कि कहीं यह वायरस किसी ऐसे ही खिलवाड़ का हिस्सा तो नहीं?

आनुवांशिक रूप से परिवर्धित किए विषाणु व जीवाणुओं के प्रकोप को लेकर हॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। फिल्मों की यह परिकल्पना अब प्रयोगशालाओं की वास्तविकता में बदल गई है। 2014-15 में फैले इबोला वायरस ने हजारों लोगों के प्राण लील लिए थे। जबकि इबोला प्राकृतिक वायरस था। इबोला की सबसे पहले पहचान 1976 में सूडान और कांगों में हुई थी। अफ्रीकी देश जैरे की एक नन के रक्त की जांच करने पर नए विषाणु इबोला का ज्ञान हुआ था। यह नन पीले ज्वर (यलो-फीवर) से पीड़ित थी। करीब 40 साल तक शांत पड़े रहने के बाद एकाएक इस विषाणु का संक्रमण सहारा अफ्रीका में फैलना शुरू हुआ। इसके बाद इसका हमला पश्चिम अफ्रीका के इबोला में हुआ। जहां से यह बीमारी अन्य अफ्रीकी मुल्कों में

फैली। इबोला के विषाणु संक्रमित जानवर से मनुष्य में फैलते हैं। हालांकि यह महामारी में बदलता इससे पहले इसे काबू में ले लिया गया। जब इबोला वायरस बड़ा तांडव रचने में कामयाब हो सकता है तो जेनेटिक इंजीनियार्ड वायरस तो वर्णसंकर होने के कारण भयंकर तबाही मचा सकता है? बावजूद प्रयोगशालाओं में विषाणु-जीवाणु उत्पादित करने के प्रयोग चल रहे हैं।

अमेरिका के विस्कोसिन-मेडिसन विवि के वैज्ञानिक योशिहिरो कावाओका ने स्वाइन फ्लू के वायरस के साथ छेड़छाड़ कर उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मनुष्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मसलन मानव प्रतिरक्षा तंत्र उसपर बेअसर रहेगा। यहां सवाल उठता है कि वैज्ञानिक खोजें न तो बहुत अधिक विकसित हो पाई हैं और न ही उनके निष्कर्षों का सटीक परीक्षण हुआ है। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि प्रयोगशालाओं में जीन परिवर्धित करके जो विषाणु-जीवाणु अस्तित्व में लाए जा रहे हैं, हो सकता है, उनके तोड़ के लिए किसी के पास एंटी-बायोटिक एवं एंटी-वायरल ड्रग्स ही न हों?

कुछ समय पहले खबर आई थी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड अभियांत्रिकी से ऐसा जीवाणु तैयार कर लिया है, जो 30 गुना ज्यादा रसायनों का उत्पादन करेंगे। जीन में बदलाव कर इस जीवाणु के अस्तित्व को आकार दिया गया है। माना जा रहा है कि यह एक ऐसी खोज है, जिससे दुनिया की रसायन उत्पादन कारखानों में पूरी तरह जेनेटिकली इंजीनियर्ड उत्पादन क्षमता रखने वाली कोशिकाएं ही जीवित रहें। इन कोशिकाओं के जीन में बदलाव कर ऐसे रसायन उत्पादन में सक्षम बनाया जाता है, जो उसे एंटीबायोटिक से बचाने में सहायक होता है। ऐसे में एंटीबायोटिक का सामना करने के लिए बैक्टीरिया को ज्यादा से ज्यादा रसायन का उत्पादन करना पड़ता है। रसायन उत्पादन की यह रफ्तार एक हजार गुना ज्यादा होती है। यह खोज 'सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट' के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुरूप यह चक्र निरंतर दोहराए जाने पर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले चुनिंदा जीवाणुओं की कोशिकाएं ही बची रह जाती हैं। मानव शरीर में उनका उपयोग रसायनों की कमी आने पर किया जा सकेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इस खोज से फार्मास्युटिकल बायोफ्यूल

खतरनाक विषाणु को आखिर और खतरनाक बनाने का औचित्य क्या है? कावाओका का दावा है कि उनका प्रयोग 2009 एच-1, एन-1 विषाणु में होने वाले बदलाव पर नजर रखने के हिसाब से नए आकार में ढाला गया है। वैक्सीन में सुधार के लिए उन्होंने वायरस को ऐसा बना दिया है कि मानव की रोग प्रतिरोधक प्रणाली से बच निकले। मसलन रोग के विरुद्ध मनुष्य को कोई संरक्षण हासिल नहीं है।

हम आए दिन नए-नए बैक्टीरिया व वायरसों के उत्पादन के बारे खबरें पढ़ते रहते हैं। हाल ही में त्वचा कैंसर के उपचार के लिए टी-वैक थैरेपी की खोज की गई है। इसके अनुसार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ही विकसित कर कैंसर से लड़ा जाएगा। इस सिलसिले में स्टीफन हॉकिंग सचेत किया था कि इस तरीके में बहुत जोखिम है। क्योंकि जीन को मोडीफाइड करने के दुष्प्रभावों के बारे में अभीतक बैक्टीरिया का ही उपयोग होगा। विस इंस्टीट्यूट फॉर बॉयोलॉजिकली इंस्पायर्ड इंजीनियंरिंग और हावर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं के दल ने यह शोध किया है। अनुवांशिकविद जॉर्ज चर्च के नेतृत्व में किए गए इस शोध के तहत बैक्टीरिया के जींस को इस तरीके से परिवर्धित किया गया, जिससे वे इच्छित मात्रा में रसायन का उत्पादन करें। बैक्टीरिया अपनी मेटाबॉलिक प्रक्रिया के तहत रसायनों का उत्सर्जन करते हैं। इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने ई-कॉली नामक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। इसमें बदलाव के लिए इवोल्युशनरी मैकेनिज्म को उपयोग में लाया गया।

दरअसल जीवाणु एक कोशकीय होते हैं, लेकिन ये स्वयं को निरंतर विभाजित करते हुए अपना समूह विकसित कर लेते हैं। वैज्ञानिक इन जीवाणुओं पर ऐसे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, जिससे केवल और अक्षय रसायन भी तैयार होंगे। लेकिन मानव शरीर में इसके भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं, यह प्रश्न फिलहाल अनुत्तरित ही है। इसीलिए इन विषाणु व जीवाणुओं के उत्पादन पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या वैज्ञानिकों को प्रकृति के विरुद्ध वीषाणु-जीवाणुओं की मूल प्रकृति में दखलदांजी करनी चाहिए? दूसरे यह कि प्रयोग के लिए तैयार किए गए ऐसे जीवाणु व विषाणु कितनी सुरक्षा में रखे गए हैं? यदि वे जान-बूझकर या दुर्घटनावश बाहर आ जाते हैं तो इनके द्वारा जो नुकसान होगा, उसकी जबावदेही किसपर होगी? ऐसे में वैज्ञानिकों की ईश्वर बनने की महत्वाकांक्षा पर यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर वैज्ञानिकों को अज्ञात की खोज की कितनी अनुमति दी जानी चाहिए? यदि वाकई वायरसों से छेड़छाड़ जैविक हथियारों के निर्माण के लिए की जा रही है तो यह स्थिति बेहद खौफनाक है। ■

कोरोना : अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कुत्सित रूप

✍ नीलम महेन्द्र

चीन के शहर वुहान से जिस तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस समेत विश्व के 30 से अधिक देशों में फैला, वैश्वीकरण के दौर में इस प्रकार की घटनाएं हमें ग्लोबलाइजेशन के दूसरे डरावने पहलू से रूबरू कराती हैं। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से विश्व भर में अबतक 2012 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 75303 लोग इसकी चपेट में हैं। आशंका है कि यथार्थ इससे ज्यादा भयावह हो सकता है। यह विश्व भर में लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान तक सीमित नहीं है बल्कि पहले से मंदी झेल रहे विश्व पर इसका नकारात्मक प्रभाव चीन समेत उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा जो चीन से व्यापार करते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है।

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से विश्व भर में अबतक 2012 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 75303 लोग इसकी चपेट में हैं।

जेनेटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस के अति वैज्ञानिक युग में जब किसी देश में नए तरह का संक्रमण फैलता है जो सम्भवतः वैज्ञानिक भूल का अविष्कार होता है। उसकी उत्पत्ति को लेकर बायो टेरेरिज्म जैसे विभिन्न विवादास्पद सिद्धान्त सामने आने लगते हैं तो यह ना सिर्फ हैरान बल्कि परेशान करने वाले भी होते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान के दम पर प्रकृति से खिलवाड़ करने की मानव क्षमता और उसके आचरण को सम्पूर्ण सृष्टि के हित को ध्यान में रखते हुए गंभीरता के साथ नए सिरे से परिभाषित किया जाए। चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण जितना घातक है उससे अधिक घातक वो अपुष्ट जानकारियां हैं जो इसकी उत्पत्ति से जुड़ी हैं। शायद इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ को कहना पड़ा कि, विश्व स्वास्थ्य संगठन में हम केवल वायरस से ही नहीं लड़ रहे बल्कि साज़िश की अफवाहों से भी लड़ रहे हैं, जो हमारी ताकत को कमजोर कर रही है।

दरअसल, चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न देश अलग-अलग दावे कर रहे हैं। रूस, अरब, सीरिया जैसे देश कोरोना वायरस के लिए अमेरिका और इजरायल को दोष दे रहे हैं, वहीं अमेरिका खुद चीन को ही कोरोना का जनक बता रहा है। सबूत किसी के पास नहीं है लेकिन तर्क सभी के पास हैं। रूस का कहना है कि कोरोना वायरस अमेरिका द्वारा उत्पन्न एक जैविक हथियार है, जिसे चीन की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। अरबी मीडिया का कहना है कि अमेरिका और इजरायल ने चीन के खिलाफ मनोवैज्ञानिक और आर्थिक युद्ध के उद्देश्य से इस जैविक हथियार का प्रयोग किया है। सऊदी अरब समाचार पत्र अलवतन लिखता है कि मिस्र की ओर से इस घोषणा के बाद कि कुछ दिनों बाद वो चिकन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और निर्यात करने में भी सक्षम हो जाएगा इसलिए वह अमेरिका और फ्रांस से चिकन आयात नहीं करेगा, अचानक बर्ड फ्लू फैल जाता है। इससे मिस्र का चिकन उद्योग तबाह हो जाता है। इसी तरह जब चीन ने 2003 में घोषणा की कि उसके पास दुनिया का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है तो उसकी घोषणा के बाद चीन में अचानक सार्स फैल जाता है और चीनी विदेशी मुद्रा भंडार विदेशों से दवाएँ खरीद कर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार सीरिया का कहना है कि कोरोना वायरस का इस्तेमाल अमेरिका ने चीन के खिलाफ उसकी अर्थव्यवस्था खत्म करने के लिए किया है। सीरिया के अनुसार इससे पहले भी अमेरिका एबोला, जीका, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एंथ्रेक्स, मैड काऊ जैसे जैविक हथियारों का प्रयोग अन्य देशों पर दबाव डालने के लिए कर चुका है। जबकि इज़राइल का कहना है कि कोरोना वायरस चीन का ही जैविक हथियार है जिसने खुद चीन को ही जला दिया। अपने इस कथन के समर्थन में इज़राइल का कहना है कि कोरोना का संक्रमण वुहान से शुरू होना कोई इत्तेफाक नहीं है जहाँ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलोजी नामक प्रयोगशाला है जो वहाँ की सेना के साथ मिलकर इस प्रकार के खतरनाक वायरस पर अनुसंधान करती है।

चीन का कहना है कि वुहान के पशु बाजार से इस वायरस का संक्रमण फैला है लेकिन विभिन्न जांचों से यह स्पष्ट हो चुका है कि जिन साँपों और चमगादड़ों से वायरस के फैलने की बात की जा रही थी वो सरासर गलत है। साँपों में यह वायरस पाया ही नहीं जाता और चमगादड़ का जब सूप बनाकर या पकाकर उसका सेवन किया जाता है तो पकाने के दौरान अधिक तापमान में यह वायरस नष्ट हो जाता है। इस सिलसिले में अमेरिका के सीनेटर टॉम कॉटन का कहना है कि कोरोना वायरस वुहान के पशु बाजार से नहीं फैला। हम नहीं जानते कि वो कहाँ से फैला लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि यह कहाँ और कैसे फैला क्योंकि वुहान के पशु बाजार के कुछ ही दूरी पर चीन का वो अनुसंधान केंद्र भी है जहां मानव संक्रमण पर अनुसंधान होते हैं। जब अमेरिका में चीनी राजदूत से टॉम कॉटन के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका कहना था कि चीन में लोगों का मानना है कि कोरोना अमेरिका का जैविक हथियार है। कोरोना वायरस खुद चीन की लैबोरेटरी से फैला, इस बात को बल इसलिए भी मिलता है कि जब चीन के आठ डॉक्टरों की टीम ने एक नए और खतरनाक वायरस फैलने को लेकर सरकार को चेताने की कोशिश की तो चीनी सरकार द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया। कुछ समय बाद इनमें से एक डॉक्टर की इसी संक्रमण की चपेट में आकर मृत्यु हो जाने की खबर भी आई। इतना ही नहीं जब 12 दिसंबर को चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया तो चीन ने उसे दबाने की कोशिश की। चीन की सरकारी साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक संभव है हुबेई प्रांत में सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल ने रोग फैलाने वाली इस बीमारी के वायरस को जन्म दिया हो। स्कॉलर बोताओ शाओ और ली शाओ का दावा है कि इस लैब में ऐसे जानवरों को रखा गया जिनसे बीमारियां फैल सकती हैं, इनमें 605 चमगादड़ भी शामिल थे।

स्पष्ट है कि कोरोना वायरस वैज्ञानिक युग का बेहद गंभीर एवं दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रभाव है। चाहे किसी अन्य देश ने इस जैविक हथियार का प्रयोग चीन के खिलाफ किया या चीन दूसरे देशों के लिए खोदे जाने वाले गड्ढे में खुद गिर गया हो, घायल तो मानवता हुई है। इसी वजह से विश्वयुद्ध काल में जैविक हथियारों के प्रयोग से बहुत बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की रूपरेखा तैयार की गई। जैविक हथियारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाला यह नियम 1975 से अस्तित्व में आया, जिसपर 180 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार हस्ताक्षर करने वाले देश कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के जैविक हथियार का निर्माण, उत्पादन या संरक्षण नहीं करेंगे। लेकिन यह अभिसमय देशों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी रक्षा के लिए अनुसंधान कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में एक वायरस को मारने के लिए दूसरा वायरस बना सकते हैं। इसकी आड़ में अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश जैविक हथियारों पर अनुसंधान करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के ताज़ा घटनाक्रम से यह जरूरी हो गया है कि वैज्ञानिक नए अनुसंधान करते समय मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को भी समझें। ■

'नमस्ते' का इतिहास

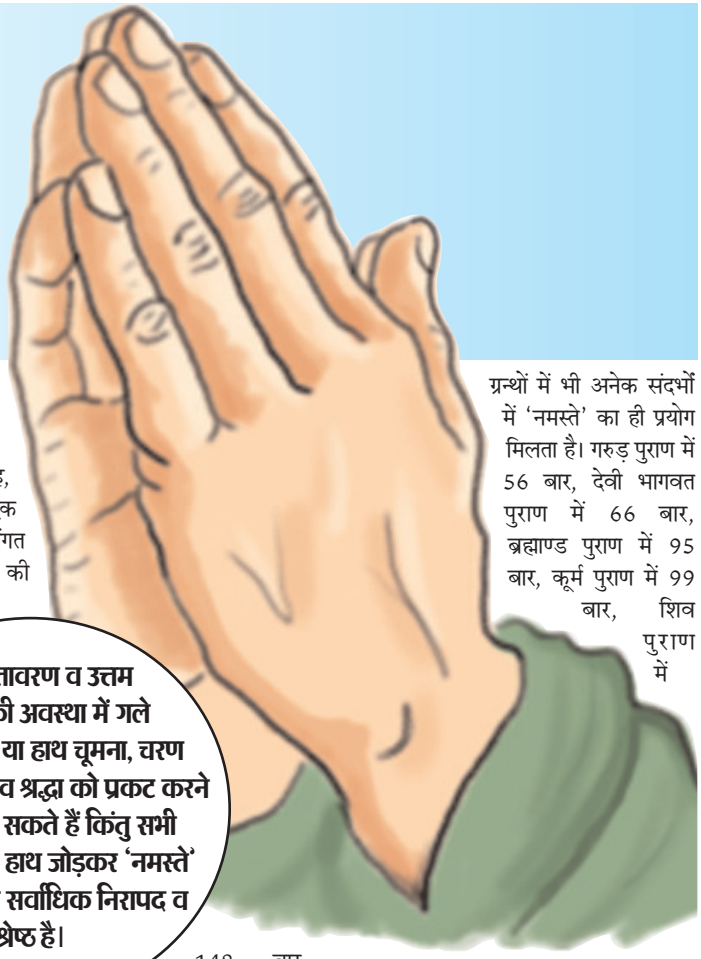

✍ डॉ. मोक्षराज

कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, वेस्ट नाइल, सार, निपाह, जीका या कोई त्वचा रोग भी यदि है तो उस संक्रामक रोग को एक सीमा तक फैलने से रोकने के लिए अभिवादन का ढंग भी वैज्ञानिक व युक्तिसंगत होना चाहिए। एक ऐसा अभिवादन प्रकार, जिसमें किसी मत-संप्रदाय आदि की गंध व संकुचित भावों का कोई स्थान न हो। जिसका प्रयोग सभी स्थानों पर और सदैव सबके लिए किया जा सके। शुद्ध वातावरण व उत्तम स्वास्थ्य की अवस्था में गले मिलना, माथा या हाथ चूमना, चरण स्पर्श करना प्रेम व श्रद्धा को प्रकट करने हेतु उचित हो सकते हैं किंतु सभी परिस्थितियों में हाथ जोड़कर 'नमस्ते' करने की मुद्रा सर्वाधिक निरापद व श्रेष्ठ है।

शुद्ध वातावरण व उत्तम स्वास्थ्य की अवस्था में गले मिलना, माथा या हाथ चूमना, चरण स्पर्श करना प्रेम व श्रद्धा को प्रकट करने हेतु उचित हो सकते हैं किंतु सभी परिस्थितियों में हाथ जोड़कर 'नमस्ते' करने की मुद्रा सर्वाधिक निरापद व श्रेष्ठ है।

'नमस्ते' ही प्रमुख अभिवादन था

वैदिक काल अर्थात् करोड़ों वर्ष से ऋषि-मुनि व समस्त आर्य नर-नारी अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर 'नमस्ते' करने की रीति को अपनाये हुए थे। वेद, ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्, रामायण, महाभारत आदि आर्ष ग्रन्थों एवं पुराण आदि में भी 'नमस्ते' का ही उल्लेख मिलता है। आर्यों की मूल परंपरा के अनुसार वेदों को 1,96,08,53,120 वर्ष हो रहे हैं, तब से ही 'नमस्ते' का चलन रहा है। किन्तु पिछले 400-500 वर्षों में अनेक संप्रदायों व संस्थाओं ने अपने-अपने मठाधीश गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अभिवादन शब्द गढ़ लिए हैं। अपने इष्ट का स्मरण करना या उसकी जय बोलना पृथक विषय है लेकिन अभिवादन के लिए तो सर्वजनीन शब्द होना ही चाहिए। उसके लिए 'नमस्ते' से बढ़कर दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। प्रत्यक्ष अभिवादन के लिए 'नमस्ते' ही करना चाहिए। नमस्ते के भाव की पूर्णता नमस्कार शब्द में कदापि संभव नहीं है। अतः मित्र-शत्रु, सज्जन-दुर्जन, स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध सबको 'नमस्ते' कहने की वैदिक परंपरा है। वस्तुतः 'नमस्ते' एक शब्दमात्र नहीं बल्कि यह पूर्ण वाक्य है। 'नम÷ते ' अर्थात् मैं आपका मान्य करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपके हृदय में विद्यमान दिव्य आत्म तत्त्व के प्रति नतमस्तक हूँ।

वैदिक ग्रंथों में 'नमस्ते' का प्रयोग

वेदों में 'नमस्ते' शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । जैसे कि 'शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽअस्तु मा मा हिंसी' तथा यजुर्वेद का 16 वाँ अध्याय तो नमस्ते पद से ही आरंभ होता है -'नमस्ते रुद्र मन्यव।' शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मवादिनी गार्गी महर्षि याज्ञवल्क्य को 'नमस्ते याज्ञवल्क्याय' कहकर संबोधित करती हैं। कठोपनिषद् में भी यमाचार्य अपने अतिथि नचिकेता को 'नमस्ते ब्रह्मन् ! स्वस्ति...' कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि को 'नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा' कहकर अपने मित्रभाव को व्यक्त करते हैं। महाभारत में गान्धार देश के रहने वाले दुर्योधन के मामा शकुनी, युधिष्ठिर से 'नमस्ते भरतर्षभ' कहते हैं तथा राजा युधिष्ठिर भी श्रीकृष्ण जी को 'नमस्ते पुंडरीकाक्ष' बोलकर अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार परवर्ती पौराणिक ग्रन्थों में भी अनेक संदर्भों में 'नमस्ते' का ही प्रयोग मिलता है। गरुड़ पुराण में 56 बार, देवी भागवत पुराण में 66 बार, ब्रह्माण्ड पुराण में 95 बार, कूर्म पुराण में 99 बार, शिव पुराण में 148 बार अभिवादन के रूप में नमस्ते का ही प्रयोग किया गया है।

आर्य समाज द्वारा 'नमस्ते' का प्रचार

'वेदों की ओर लौटो' का नारा देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, जिसके अंतिम भाग में उल्लेखित स्वमंतव्यामतव्य प्रकाश में उन्होंने %नमस्ते% को ही सबके अभिवादन के लिए प्रसिद्ध किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सन् 1875 से प्रत्येक आर्य समाज में %नमस्ते% के अभिवादन को अनिवार्य किया तथा इसे वैदिक अभिवादन की संज्ञा प्रदान की। उनकी प्रेरणा से अनेक देशों में उनके प्रचारकों ने भी इसी अभिवादन को विशेष प्रसिद्धि दिलायी। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्णवर्मा, अमेरिका में लाला हरदयाल, लाला जिंदाराम व सिद्धूराम, अफ्रीका में भाई परमानंद, भवानी दयाल संन्यासी व स्वामी शंकरानंद आदि ने 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध व 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में वेद प्रचार करते हुए 'नमस्ते' की परंपरा का भी प्रचार किया। आर्य समाज के अनेक विद्वान प्रचारकों ने मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, गयाना, बर्मा, नेपाल आदि अनेक देशों में इसी शब्द को प्रचलित किया, जिसके कारण सम्पूर्ण विश्व में आज भी भारतीय अभिवादन के रूप में 'नमस्ते' को ही जाना जाता है।

अमेरिका व इजराइल को भी भाया 'नमस्ते'

हाल ही में अहमदाबाद में हुए विशाल आयोजन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार 'नमस्ते ट्रंप' कहकर इसी मूल अभिवादनपद को पुनः विश्व पटल पर प्रचारित कर दिया तथा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू व डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाथ जोड़कर 'नमस्ते' करना मनमोहक था। आज कोरोना वायरस की विभीषिका को नियंत्रित रखने के लिए विश्व के अनेक देश नमस्ते के परंपरागत ढंग को अपना रहे हैं। यह महर्षि दयानंद के संकल्प की गाथा का भी सफल मंचन है। भारत की संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा को प्रमाणित करने के लिए ये उत्साहजनक उदाहरण है। ■

राजनीति व अपराध के जोड़ को खोलने की सार्थक पहल

✍ सियाराम पांडेय 'शांत'

राजनीति में अपराधियों का बेतहाशा प्रवेश, लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण से चिंतित है। पिछले चार आम चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा में दागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की अवमानना याचिका पर सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए, वे काबिलेगौर हैं। चुनाव सुधार के लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय की पहल अत्यंत मुफीद है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों से बताने को कहा है कि उन्होंने आपराधिक छवि के लोगों को टिकट क्यों दिये? राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाने का इससे बेहतर सवाल दूसरा नहीं हो सकता।

अपने निर्णयों से सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा ही देश को नई दिशा दी है, यह भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने कहा है कि उम्मीदवारों का चयन योग्यता और मेरिट के आधार पर होना चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतने का पैमाना दागियों को टिकट देने का कारण नहीं हो सकता। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि उम्मीदवार अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी देने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के सितंबर 2018 के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इस याचिका के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों से वेबसाइट पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के चयन की वजह बताने और उनके खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के मुताबिक राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों की जानकारी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित कराना है। उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा करना है। प्रत्याशियों के चयन के 72 घंटे में उनके खिलाफ दायर मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर चुनाव आयोग को अपने अधिकार के मुताबिक राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों से बताने को कहा है कि उन्होंने आपराधिक छवि के लोगों को टिकट क्यों दिये? राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाने का इससे बेहतर सवाल दूसरा नहीं हो सकता।

इस तरह के निर्णय पहले भी दिए गए थे लेकिन राजनीतिक दलों ने उसे हल्के में लिया। यही वजह है कि हर पांच साल में देश की संसद में दागियों की तादाद बढ़ती गई। वर्ष 2004 में देश के 24 प्रतिशत सांसद दागी थे। 2009 में यह संख्या बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में दागी सांसदों की तादाद बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने वाले ऐसे सांसदों की संख्या 43 प्रतिशत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े और जस्टिस बीआर गवई ने दो माह पूर्व 25 नवंबर को चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आदेश पारित करे, ताकि तीन महीने के अंदर राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने से रोका जा सके। राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने अगर अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई होती तो न्यायालय को ऐसा निर्णय बार-बार नहीं देना पड़ता।

थोड़ा और पहले जाएं तो 2014 में लोकसभा चुनाव से पूर्व नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार बनते ही वे स्पेशल कोर्ट बनवाएंगे। आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कराएंगे। उन्होंने अपना यह वादा निभाने की पहल शुरू की लेकिन यह सब करने में उन्हें तीन साल लग गए। मोदी सरकार ने 1581 सांसदों और विधायकों पर लंबित मुकदमों पर तेजी से सुनवाई के लिए 12 स्पेशल कोर्ट बनवाने का जो मसौदा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था, उसे कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को ऐसे सभी माननीयों के खिलाफ लंबित मामलों का डेटा जुटाने के लिए दो महीने का वक्त भी दिया था और 1 मार्च 2018 तक इन कोर्ट में कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को भी हाईकोर्ट के साथ मिलकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि विशेष फास्ट अदालतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को तय 7.8 करोड़ में से आवश्यक राशि जारी करे। केंद्र सरकार ने दो स्पेशल कोर्ट सांसदों के खिलाफ सुनवाई के लिए तय किए थे। इसके अतिरिक्त एक-एक कोर्ट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बनाने का प्रस्ताव दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि सजा पाने वाले नेता की सदस्यता समाप्त हो, उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाए। लेकिन बिहार में लालू यादव को जब चारा घोटाला मामले में सजा हुई तो विपक्ष केंद्र सरकार को निशाना बनाने लगा। उसपर आरोप लगाने लगा कि कोर्ट के आदेश की आड़ में मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसलों पर सरकार को घेरने का ट्रेंड इन दिनों तेजी से विकसित हुआ है। ऐसे में नए आदेश पर राजनीतिक दल कितना अमल करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। ■

घरेलू कलह से मुश्किल में 'कमल' सरकार

अजय खेमरिया

मध्य प्रदेश में कमल नाथ के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार पर बार बार जो संकट के बादल छाते हैं, वे दरअसल पार्टी आलाकमान की कमजोरी और मंत्रिमंडल चयन में बरती गई अपरिपक्वता का नतीजा है। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 116 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। वर्तमान में कांग्रेस के 114, भारतीय जनता पार्ट के 107, बहुजन समाज पार्टी के 02 और समाजवादी का 01 का एक निर्वाचित विधायक है। इसके साथ ही 6 विधायक निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। सपा, बसपा सहित सभी 6 निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे है। भाजपा और कांग्रेस के एक-एक विधायक का निधन हो चुका है। इसलिए मौजूदा सदन में सदस्यों की संख्या 228 है।

कमलनाथ ने 114 विधायकों के साथ सरकार बनाई थी लेकिन केवल एक निर्दलीय प्रदीप जायसवाल को सरकार में मंत्री बनाया गया है। इसके चलते सरकार को समर्थन दे रहे लगभग सभी विधायक मंत्री बनने के लिये कमलनाथ पर आरम्भ से ही दबाब बनाये हुए है। इस बीच कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल चयन में अपने तमाम वरिष्ठ विधायकों को अनदेखा कर नए लोगों को मंत्री बना दिया गया। जैसे 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह, 5 बार के विधायक बिसाहू लाल सिंह की जगह दूसरी बार विधायक बने कई लोगों को सीधे कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुली चुनौती से कमलनाथ की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थी।

कमलनाथ सरकार पर बार-बार संकट का कारण पार्टी आलाकमान की कमजोरी और मंत्रिमण्डल चयन में बरती गयी अपरिपक्वता का नतीजा है।

मध्य प्रदेश सरकार का ताजा संकट कांग्रेस के तीनों बड़े नेताओं दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच परम्परागत गुटबाजी और खींचतान का एक प्रसंग है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दो दिन से लगातार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भाजपा पर हार्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते रहे लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस विषय पर पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने ऐसी किसी संभावना और सूचना से इनकार कर दिया। जाहिर है मप्र के दिग्गज कांग्रेसियों के बीच न समन्वय है और न ही संवाद। बड़े नेताओं के इस विवाद के चलते संगठन और सरकार दोनों के बीच भी कोई समन्वय नहीं रहा।

15 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार आई तो सभी नेताओं की अपनी-अपनी भूमिकाओं से थी। लेकिन मंत्रिमण्डल चयन के समय कांग्रेस की खेमेबाजी सतह पर आ गई। सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने जो नाम मंत्री पद के लिए कोटे से शामिल कराए उसमें वरिष्ठता और अनुभव का ध्यान ही नहीं रखा गया। या कहें कि वरिष्ठों को अपमानित किया गया। जिन चार विधायकों के बेंगलुरु जाने की खबर है उनमें से बिसाहूलाल सिंह तो मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर आदिवासी नेताओं में एक हैं। वह अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। उनके सामने पैदा हुए मरकाम सिंह और हनी बघेल जैसे आदिवासी विधायक को कैबिनट मंत्री बना दिए गए।

एदल सिंह कंसाना गुर्जर जाति के प्रभावशाली विधायक हैं और उनका चंबल के इलाके में अच्छा प्रभाव भी है। मध्य प्रदेश में गुर्जरों ने इस बार थोक वोट कांग्रेस को दिए, लेकिन इस जाति-समाज से किसी को मंत्री नही बनाया गया। एदल सिंह सिंधिया पर आरोप लगाते रहते हैं कि उन्हीं के वीटो के चलते कमलनाथ ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया। बागी हुए तीसरे विधायक हरदीप सिंह डंग हैं जो मन्दसौर की सुवासरा सीट से दोबारा चुनकर आये हैं और सिख समाज के इकलौते विधायक है। मन्दसौर में किसानों के आंदोलन से जुड़े डंग बहुत ही संघर्षशील नेता है। चौथे विधायक शेरा ने भाजपा सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हराकर सबको चौंका दिया था। शेरा को कांग्रेस ने तब भी अपना टिकट नहीं दिया था लेकिन वह मूल रूप से कांग्रेस नेता ही हैं। बसपा की रमावाई परिहार और संजीव कुशवाह, सपा के राजेश शुक्ला भी सरकार के लिए मुसीबत बने रह सकते है, क्योंकि ये सभी भाजपा नेताओं के साथ मानेसर के होटल में पहुँचे थे।

मध्य प्रदेश में केपी सिंह, बिसाहूलाल सिंह, घनश्याम सिंह, एदल सिंह, लक्ष्मण सिंह जैसे वरिष्ठ विधायकों को मंत्री न बनाया जाना असल में पार्टी के बड़े नेताओं की आपसी जंग का नतीजा है। यही नही मंत्रिमण्डल में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन नहीं है। सरकार में वैश्य, गुर्जर, सिख, मीणा, जाटव, दलितों का प्रतिनिधित्व भी नही है। इस मौजूदा संकट से कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही जूझते नजर आ रहे है, सिंधिया परिदृश्य से गायब हैं।

जिस समय मप्र सरकार को समर्थन दे रहे 9 विधायक भाजपा नेताओं के साथ दिल्ली उड़ान भर रहे थे तब सिंधिया ग्वालियर क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। प्रदेश में सिंधिया के साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के रिश्तों में तल्खी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है आधी रात को दो मंत्री- जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को दिल्ली में डैमेज कंट्रोल के लिये चुना गया वहीं सिंधिया कोटे के मंत्रियों को इस ऑपरेशन वापसी से दूर ही रखा गया। दिग्विजय सिंह रात को मानेसर तक विधायकों को वापस लेने गए। वह तीन दिन से इस मामले में खुद ही जूझते हुए दिख रहे थे। दिग्विजय सिंह की मप्र की राजनीति में अंदरूनी पकड़ भी इस पूरे प्रकरण में साबित हुई। क्योंकि उन्होंने जो आशंका व्यक्त की थी, वह सच साबित हुई। इसका एक गहरा अर्थ भी है। भाजपा की रणनीति की जानकारी दिग्विजय सिंह को भी पता थी। साफ है कि राजनीति के धुरंधर दिग्विजय सिंह ने भाजपा में भी कहीं न कहीं अपने सूत्र जोड़ रखे हैं। ■

डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने की जरूरत

✍ लाल जी जायसवाल

भारत सरकार डिजिटल भारत की ओर कदम दर कदम बढ़ाती जा रही है, दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा की दीवार के लिए ठोस तरीके से एक ईंट भी नहीं रखी जा सकी है। इसके चलते डिजिटल दुनिया के अपराधी अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं। उदारीकरण के बाद के युग में जहां इंटरनेट, नेट बैंकिंग, यूपीआइ का चलन सब्जी के ठेले से लेकर गांव के मजदूर, किसान, श्रमिक वर्ग तक तेजी से बढ़ा है, वहीं जागरूकता और सतर्कता की कमी के कारण इन सभी को डिजिटल फर्जीवाड़े से भारी क्षति भी उठानी पड़ी है। आज किसानों को जहां ई-बैंकिंग सुविधा और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना व्यापार करने और कृषि संबंधी जानकारियां हासिल करने में सफलता मिली है, वहीं प्रशिक्षण की कमी और बढ़ते साइबर धोखाधड़ी के कारण इन वर्गों के लिए यह नेटवर्किंग की दुनिया ठगी की दुनिया में सिमटती जा रही है। यही कारण है कि आज लोगों का ऑनलाइन सुरक्षा पर विश्वास नहीं बन पा रहा है।

हाल की घटनाओं पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि डिजिटल अपराधी आज ओएलएक्स जैसे तमाम ऐप का उपयोग करते हैं। आज साइबर सुरक्षा के अभाव की वजह से साइबर अपराधियों के लिए इस तरह के एप और प्लेटफॉर्म 'ठगी बैंक' बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहां क्रेता और विक्रेता के मोबाइल नंबर अपराधी को सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं। सवाल है कि आखिर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? आज यह सवाल प्रत्येक डिजिटल उपभोक्ता का है जो सरकार की ओर बड़ी आस लगा कर कड़ी सुरक्षा की मांग कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, साल 2018-19 में डिजिटल बैंकिंग जालसाजी 74 फीसद बढ़कर 71,543 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। जबकि इससे एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2017-18 तक यह आंकड़ा 41,168 करोड़ रुपए था। बैंकों ने 2018-19 में जालसाजी के 6, 801 एक मामलों की जानकारी दी, जो कि 2017-18 में 5916 थी। जाहिर है, पिछले तीन साल में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं और इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे आगे हैं। धोखाधड़ी के कुल मामलों में 55.4 फीसद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े थे। वहीं धोखाधड़ी में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 30.7 फीसद और विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 11.2 फीसद रही।

आज अपराधियों के काम करने का तरीका भी नया हो गया है। अभी तक तो यही हो रहा था कि अपराधी किसी भी बैंक लेन-देन के लिए बैंक खाताधारक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) भेजकर उससे ओटीपी को हासिल कर लेता था और खाताधारक कुछ समझ पाए, इससे पहले ही उसके खाते से पैसे साफ हो जाते थे। लेकिन इन गिरोहों ने जालसाजी के नए-नए तरीके निकाल लिए हैं। अब फोन पे, ट्रू-कॉलर, तेज और भीम ऐप आदि के यूपीआइ के जरिए जमकर ठगी हो रही है। ज्यादातर मामलों में जानकारी के अभाव में लोग पुलिस में शिकायत भी नहीं करते हैं और न ही उन्हें यह पता होता है कि ऐसे मामलों की शिकायत कहां की जाए। देश के प्रशासनिक अधिकारियों के ढुलमुल रवैये से सब लोग अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसे में पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक डिजिटल लेन-देन में तमाम तरह की अड़चनें हैं, जिन्हें अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। जैसे, आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर डिजिटल बाजार का नियामक कौन है। डिजिटल लेन-देन से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए कोई व्यवस्था या प्रणाली उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज एटीएम और डेबिट कार्ड से संबंधित फर्जीवाड़े की शिकायतों का निपटारा नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि डिजिटल लेन-देन और इसके संभावित खतरों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया जाए।

हम आखिर यह क्यों नहीं सोचते हैं कि किसानों को डिजिटल दुनिया से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन उनको डिजिटल जालसाजी के शिकार होने से बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। किसी अन्य देश के मुकाबले भारत में साइबर धोखाधड़ी के ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में देश में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत के साथ इसकी पुख्ता सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए थी।

नतीजतन, लोगों को जागरूक किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हर ग्राम पंचायत में एक ऐसे जानकार व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो ग्रामवासियों को डिजिटल मिशन के प्रति प्रेरित भी करे और धोखाधड़ी से अपने धन की सुरक्षा के उपाय बाबत पुख्ता प्रशिक्षण भी किसानों, मजदूरों अथवा कम शिक्षित लोगों को दे। साथ ही सरकार को भी चाहिए कि यूपीआई के माध्यम से फोन पे, भीम, ट्रूकॉलर आदि ऐप में जो मनी रिक्वेस्ट का विकल्प है, उसे पूरी तरह समाप्त कर दे, क्योंकि आज अपराधियों के जालसाजी का यह मुख्य केंद्र बन गया है। सरकार, बैंकिंग विशेषज्ञों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को मिलकर एसे सुरक्षा उपाय करने होंगे जो हर व्यक्ति के खाते को पूरी सुरक्षा प्रदान कर सकें। वरना डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने वाली कवायद निरर्थक साबित होगी। ■

इनकम टैक्स देना शान के खिलाफ क्यों?

✍ आर.के. सिन्हा

अब यह कहने का मन करने लगा है कि हम हिन्दुस्तानियों को अपना इनकम टैक्स अदा करने में बड़ा कष्ट होता है। चूंकि, नौकरीपेशा लोगों का टैक्स तो उनकी सैलरी से ही काट लिया जाता है, पर शेष लोग भारी-भरकम कमाने के बाद भी टैक्स देने से बचते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में इस मसले की निशानदेही भी की थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि देश के सिर्फ 22,00 पेशेवरों ने साल 2019 के दौरान अपनी आय एक करोड़ रुपए से अधिक दिखाई। सच में यह आंकड़ा 130 करोड़ की आबादी वाले देश में बेहद छोटा नजर आता है। हालांकि उनके बयान पर कुछ हलकों में नाहक बवाल भी काटा गया। उसमें मीन-मेख भी निकाला गया। मोदी का पेशेवरों से मतलब डाक्टरों, चार्टर्ड एकाउंटेट, वकीलों आदि से था।

दरअसल साल 2018-19 के दौरान भरी गई इनकम टैक्स रिटर्नों से पता चलता है कि मात्र 5.78 करोड़ हिन्दुस्तानियों ने ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरा। इनमें से 1.03 करोड़ ने तो अपनी आय ढाई लाख रुपए या इससे भी कम दिखाई। 3.29 करोड़ ने बताया कि उन्हें 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की ही आय हुई। अब पांच लाख रुपये तक कमाने वालों को तो कोई टैक्स देना ही नहीं होता है। यानी देश में डेढ़ करोड़ से कुछ कम यानी 1.46 करोड़ लोग ही इस साल टैक्स अदा करने की कैटेगरी में थे। तो 125- 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में इनकम टैक्स देने वाले ऊंट के मुंह में जीरे के समान नहीं तो क्या कहे जायेंगे? अब बताइये कि देश में विकास की इतनी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं कैसे चलेंगी। सरकार की विकास योजनाएं तो उसे मिले टैक्सों से ही चलती है।

125- 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में इनकम टैक्स देने वाले ऊंट के मुंह में जीरे के समान नहीं तो क्या कहे जायेंगे? अब बताइये कि देश में विकास की इतनी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं कैसे चलेंगी। सरकार की विकास योजनाएं तो उसे मिले टैक्सों से ही चलती है।

अब देखिए कि एक तरफ तो हमारे यहां इनकम टैक्स देने वाले बढ़ ही नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर में सैर-सपाटा करने वाले और विदेशी सामानों की शॉपिंग करने वाले भारतीयों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में उम्मीद जताई थी कि 2019 में पांच करोड़ हिन्दुस्तानी घूमने के लिए देश से बाहर जाएँगे। बता दें कि 2017 के दौरान सवा दो करोड़ हिन्दुस्तानी घूमने के लिए विदेशों में गए भी थे। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते टॉप-10 हवाई अड्डों में भारत के दो हवाई अड्डों ने जगह बना ली है। इसमें बेंगलुरु का केम्पेगोडा हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा छठे नंबर पर है। यह जानकारी ग्लोबल एयरलाइंस इवेंट ऑर्गनाइजर रूट्स ऑनलाइन नाम की संस्था ने दी है। पहले स्थान पर तोक्यो का हनेदा हवाई अड्डा रहा। अब छोटे और मंझोले शहरों, जिन्हें टियर दो और तीन का शहर कहा जाता है, उनके हवाई अड्डों के अंदर-बाहर भी मुसाफिरों की भीड़ लगी ही रहती है। ये सब देश-विदेश आ जा रहे होते हैं। लखनऊ, अमृतसर, पटना, त्रिचि, नागपुर जैसे शहरों के हवाई अड्डों में भी अब तिल रखने की जगह नहीं बची होती। ये तस्वीर है नए भारत के हवाई अड्डों की। इन हवाई अड्डों से हिन्दुस्तानी दुबई, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया वगैरह घूमने के लिए निकल रहे होते हैं, तो कुछ काम-धंधे के सिलसिले में अन्य देशों का रुख कर रहे होते हैं। आप लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, दुबई, काहिरा, मॉरीशस जैसे स्थानों पर देखेंगे कि सबसे अधिक पर्यटक भारत से हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही पर्यटन क्षेत्र के लोग पहचान लेते हैं। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि विगत 15-20 बरसों से बहुत बड़ी तादाद में भारतीय देश से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि घूमने के लिए मोटा धन खर्च करने वाले इनकम टैक्स देने में कोताही बरतते हैं। उन्हें अपने देश के विकास के लिये टैक्स देने में शर्म आती है।

आप गौर करें कि भारतीय सिर्फ घूमने-फिरने के लिए ही देश से बाहर नहीं जा रहे हैं, ये भोजन भट्ट भी हो चुके हैं। एक औसत मिडिल क्लास हिन्दुस्तानी खाने-पीने और खरीदारी में भी खासा खर्च कर रहा है। आपको सारे देश में भांति-भांति के व्यंजन परोसने वाले रेस्तरां खुलते नजर आएंगे। ये नए-नए व्यंजनों के रेस्टोरेंट इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि अब सारा देश सुस्वादु भोजन चखना चाह रहा है। इसके लिए हिन्दुस्तानी अपनी मोटी जेब ढीली करने के लिए तैयार हैं। सारे देश में नए-नए सामिष-निरामिष व्यंजन चखने की प्रवृति बढ़ी है। अब दिल्ली वाला शख्स मात्र छोले-कुल्चे, राजमा-चावल या कढ़ी चावल वगैरह खाकर ही संतुष्ट नहीं है। उसे उत्तर भारतीय व्यंजनों के साथ-साथ दक्षिण भारतीय, मारवाड़ी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गोवा व गुजराती वगैरह व्यंजन भी चखने की इच्छा होती है। उधर, मुंबईकरों को भी उत्तर भारत के साथ चाइनीज और इटालियन जायकों के साथ न्याय करने की लालसा बनी रहती है। तो घूमने, फिरने और स्वादिष्ट जायके चखने वाले हिन्दुस्तानी उत्तम कपड़े पहनना और महंगे मोबाइल रखना भी पसंद करते हैं। इन्हें मॅहगे कारों में घूमना भी अच्छा लगता है। यहां तक तो सब ठीक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि कोई इंसान कमाने के बाद कुछ खर्चा भी करे। पर दिक्कत यह है कि हिन्दुस्तानी अपना इनकम टैक्स देने से कतराते हैं। वे इनकम टैक्स न देने की जुगाड़ में लगे रहते हैं।

यह बात तो माननी ही होगी कि अधिकतर इनकम टैक्स देने वाले कार्यरत सरकारी कर्मी, पेंशन पाने वाले सरकारी बाबू और प्राइवेट फर्मों और कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मचारी ही हैं। आयकर रिटर्न अदा करने के मामले में सिर्फ नौकरीपेशा वर्ग ही सही रास्ते पर चलता है। वह भी मजबूरन क्योंकि टीडीएस की अनिवार्यता की वजह से उनके नियोक्ता ही उनके लिए यह काम कर देते हैं। बेशक, इनकम टैक्स कम या न देने वालों में दुकानदार, ट्रॉसपोर्टर, टेंट और कैटरिंग वाले, रेस्तरां वाले, किराना स्टोर के मालिक वगैरह हैं। ये इनकम टैक्स देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। देश में लोगों की आय लगातार बढ़ रही है पर इनकम टैक्स ईमानदारी से अदा करने वाले उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। अब इस स्थिति का मुकाबला करने का एक ही रास्ता है कि इनकम टैक्स की चोरी करने वालों पर कठोर एक्शन लिया जाए। अन्यथा बात नहीं बनेगी।

लेखक राज्यसभा सदस्य हैं ■

बजट का सार, नौकरियों की बहार

✍ आर.के. सिन्हा

निश्चित रूप से मोदी सरकार के साल 2020-21 के आम बजट की गहन समीक्षा करने के बाद कोई भी तटस्थ अर्थशास्त्री भी मानेगा कि इस बजट का मोटा-मोटी फोकस देश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को सृजित करने पर रहा है। यह समय की मांग भी थी। सारे देश को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से पूरी उम्मीद भी यही थी कि उनके बजट प्रस्तावों में नौकरियों को सृजित करने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीतारमण के बजट प्रस्तावों से शिक्षा, इंफ्रॉस्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों में लाखों नौकरियां आएंगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा भी कि अब शिक्षा और नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां आएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। इसमें अब नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों अवसर और पैदा होना बेहद सुखद है। उनके बजट भाषण में रोजगार शब्द का 13 बार जिक्र हुआ। साफ है कि मोदी सरकार का अब लक्ष्य देश के नौजवानों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करवाना है। भारत में शिक्षा के प्रसार-प्रचार के बाद अब यह जरूरी हो गया है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़ें। बजट में इंफ्रॉस्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए 103 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। यानी आगामी पांच साल में सरकार हर साल 20 लाख करोड़ रुपये के आसपास इस क्षेत्र में लगाएगी। माना जाता है कि कृषि के बाद इंफ्रॉस्ट्रक्टर क्षेत्र में ही सबसे अधिक रोजगार के अवसर रहते हैं। बेशक अब देश का इन्फ्रॉस्ट्रक्चर सेक्टर लंबी छलांग तो लगाएगा ही। छह हजार किलोमीटर राजमार्ग बनेंगें। इससे करीब दो करोड़ रोजगार भी पैदा होंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि इन्फ्रॉस्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए नेशनल इन्फ्रॉस्ट्रक्चर पाइ पलाइन (एनआईपी) के तहत 103 लाख करोड़ रुपये के 6500 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। इनसे रोजगार भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। इसके लिए अभी तक 22 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इस निवेश से इन्फ्रॉस्ट्रक्चर सेक्टर को अत्यधिक मजबूती मिलेगी। एनआईपी के तहत हाउसिंग, स्वच्छ पेयजल, एनर्जी, हेल्थ केयर, शिक्षण संस्थान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, मेट्रो, रेलवे, लॉजिस्टिक और सिंचाई आदि में प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।

इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ सेक्टर लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। इसमें अब नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों अवसर और पैदा होना बेहद सुखद है। उनके बजट भाषण में रोजगार शब्द का 13 बार जिक्र हुआ।

दरअसल मोदी सरकार की देश में बढ़ते बेरोजगार को लेकर तीखी आलोचना हो रही थी। जाहिर है, सरकार ने अपने इस बजट में उन तमाम आलोचनाओं के भरपूर जवाब दिए हैं। हालांकि अधिकतर अर्थशास्त्रियों ने बजट पर अपनी राय देते हुए इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि सरकार शिक्षा पर 99,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बेशक यह बड़ी राशि है। इसका उपयोग कई स्तरों पर होगा। जैसे स्कूल- कॉलेजों में अध्यापकों की भर्तियों से लेकर शिक्षा के मंदिरों को विश्वस्तरीय बनाना। कहना न होगा कि इसके चलते भी रोजगार के अकूत अवसर पैदा होंगे पर सबसे अहम बिन्दु यह अब कौन अध्यापक बन रहा है? आप किसी शहर या मेट्रो में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आपके आसपास रहने वाले तमाम क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, पर वे प्राय- अध्यापक नहीं है। मास्टरजी बनने को लेकर मानो सारे समाज में विरक्ति का भाव हो चुका है। मेधावी नौजवान अध्यापक बनने के बजाय प्राइवेट सेक्टर की छोटी-मोटी नौकरी करना पसंद करने लगे हैं। आप अखबारों में छपने वाले वैवाहिक विज्ञापनों का अध्ययन कर लीजिए। आपको उनमें अध्यापकों के विज्ञापन बेहद कम मिलेंगे। भावी वधु तो टीचर फिर भी मिल जाएगी, पर भावी वर के टीचर मिलने की संभावना बेहद क्षीण ही रहती है।

एनसीईआरटी के आंकड़ों के अनुसार, देश में 69.1 फीसद अध्यापक महिलाएं हैं। अब कमोबेश स्कूलों में वहीं टीचर बन रहे हैं, जो रोज क्लास लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वे अपने पेशे को लेकर कतई प्रतिबद्ध नहीं हैं। आप किसी भी स्कूल-कॉलेज के अध्यापकों का एक सैम्पल सर्वेक्षण करवा लीजिए कि उन्होंने अपने करियर में कितने शोधपत्र लिखे या कोई उल्लेखनीय नया कार्य किया। आपको नतीजा सिफर ही मिलेगा। यानी अब अध्यापक वे ही बन रहे हैं, जिनकी अपने पेशे के प्रति निष्ठा ही संदिग्ध है। आशा की जाए कि सरकार के शिक्षा क्षेत्र में फोकस के बाद हालात सुधरेंगे। शिक्षा क्षेत्र की अनदेखी तो किसी भी हालत में नहीं की जा सकती। आखिर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से ही देश को अपने भावी इंजीनियर, डॉक्टर, लेखक, नेता आदि मिलते हैं। अब भी हमारे शिक्षा क्षेत्र में बजट चीन की तुलना में बहुत कम है। चीन की बात करें तो उसने 2019-20 में 29.58 लाख करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च किए थे, जबकि 2019-20 में भारत का पूरा बजट इससे 4त्न कम यानी 27.86 करोड़ रुपये था। वैसे हमारी आबादी भी तो कम है । यह पिछली बार के 94,890 करोड़ से महज 4 फीसद है। शिक्षा पर हमारा निरंतर फोकस रहना चाहिए। इस बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। यह अच्छी बात है कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं कीं। भारत ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पेटेटिव इंडेक्स में 2019 में 34वीं रैंकिंग पर आ गया। यह 2014 में 65वीं थी। हालांकि इस रैंकिंग को अभी और सुधारने की जरूरत है। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए 25,00 करोड़ का बजट अलॉट किया।

सबको पता है कि पर्यटन क्षेत्र ने सिंगापुर, थाईलैंड और दुबई की किस्मत ही बदल दी है। इनमें भारत से अधिक पर्यटक सैर-सपाटा के लिए जाते हैं। हमें भी दुनियाभर के पर्यटकों को अपने यहां खींचना होगा। उसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब दुनियाभर के पर्यटकों को जम्मू-कश्मीर लेकर जाने की भी जरूरत है। अब चूंकि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं, इसलिए पर्यटकों को राज्य में घूमने-फिरने के अवसर देने होंगे। कश्मीर देसी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहे तो अच्छा होगा। इससे वहां की तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी और लोगों की माली हालत सुधरेंगे। यह सोलह आने सच है कि कश्मीर के पर्यटन को आतंकवाद ने मिट्टी में मिलाकर कर रख दिया था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भारत विरोधी तत्वों ने पर्यटकों की बसों पर पत्थर फेंकने चालू कर दिए थे। इन सब कारणों से वहां पर पर्यटक जाने से पहले दस बार सोचने लगे थे। भारत को अपने यहां भगवान बुद्ध को मानने वाले देशों जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, जापान आदि देशों के बौद्ध पर्यटकों को भी लाना होगा। सरकार ने टूरिज्म सेक्टर के चौतरफा विकास के लिए मोटी राशि रखी है, उसके नतीजे तो आएंगे ही अगर सब मिलकर काम करें। तब पर्यटन क्षेत्र में भी रोजगार के भरपूर अवसर निकलेंगे। बहरहाल, देश के इस आम बजट ने बेहतर रोजगार के अवसर तलाश रहे लाखों-करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद तो जगाई ही है। अब यह उम्मीद कितनी सही साबित होती है, यह एक यक्ष प्रश्न है। ■

संविधान हिन्दी वर्ड ऑफ दी ईयर

✍ डॉ. अजय खेमरिया

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने 'संविधान' शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ दी ईयर 2019 घोषित किया है। भारत में बीते वर्ष यह शब्द संसद, सुप्रीम कोर्ट और सड़क पर सर्वाधिक प्रचलित और प्रतिध्वनित हुआ।

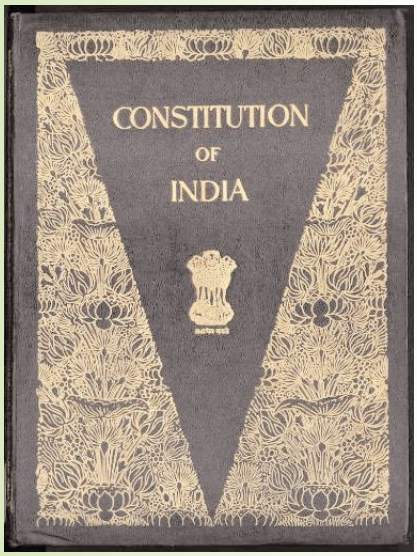

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश हर साल इस तरह के भाषीय शब्दों को उस वर्ष का शब्द घोषित करता है। भारतीय संदर्भ में इस शब्द की उपयोगिता महज डिक्शनरी तक सीमित नहीं है। असल में संविधान आज भारत की संसदीय राजनीति और चुनावी गणित का सबसे सरल शब्द भी बन गया है। हजारों लोग संविधान की किताब लेकर सड़कों, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग धरने में संविधान की किताबें सैंकड़ों हाथों में दिखाई दे रही हैं। संविधान जैसा विशुद्ध तकनीकी और मानक शब्द भारत में प्रायः हर सरकार विरोधी व्यक्ति की जुबान पर है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या, तीन तलाक और 370 जैसे मामलों की सुनवाई भी संविधान के आलोक में की इसलिए वहां भी बीते साल यह शब्द तुलनात्मक रूप से अधिक प्रचलन में आया। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने इसी बहु उपयोगिता के आधार पर क्संविधान को 2019 का वार्षिक हिंदी शब्द घोषित किया है।

सवाल यह कि क्या देश के लोकजीवन में संविधान और उसके प्रावधान (जिन्हें मानक शब्दावली में अनुच्छेद, भाग, अनुसूची कहा जाता है) आम प्रचलन में है? 130 करोड़ भारतीय जिस संविधान के अधीन हैं, क्या वे संवैधानिक उपबन्धों से परिचित हैं? हकीकत यह है जिस संविधान शब्द की गूंज संचार माध्यमों में सुनाई दे रही है वह चुनावी राजनीति का शोर है। हमें समझने की आवश्यकता है कि हाथों में संविधान की किताब उठाये भीड़ और उसके नेतृत्वकर्ता असल में संविधान के आधारभूत ढांचे से कितने परिचित हैं? संविधान की पवित्रता की दुहाई देने वाले आंदोलनकारियों ने इसकी मूल भावना को समझा है या वे इतना ही समझते हैं जितना सेक्यूलर ब्रिगेड ने अपने चुनावी गणित के लिहाज से वोटरों में तब्दील हो चुके नागरिकों को बताया है। सच यही है कि आज भारत के लगभग 95 फीसदी लोग अपने संविधान की बुनियादी बातों से परिचित नहीं हैं। क्या एक परिपक्व गणतंत्रीय व्यवस्था में उसके नागरिकों से संवैधानिक समझ की अपेक्षा नहीं की जाना चाहिये? जिस देश का संविधान लिखित रूप में दुनिया का सबसे विशाल और विस्तृत है, उसके 95 फीसदी शासित उसकी मूलभूत विशेषताओं और प्रावधानों से नावाकिफ रहते हुए आखिर कैसे संविधान की रक्षा की दुहाई दे सकते हैं? हकीकत यही है कि हम भारत के लोग इतना ही संविधान की समझ रखते हैं कि कुछ जन्मजात अधिकार संविधान से मिले हैं। जो घूमने, बोलने, खाने, इबादत, व्यापार करने, सरकार के विरुद्ध खड़े होने, सरकारी योजनाओं में हकदारी का दावा करने की आजादी देता है। संविधान की इस एकपक्षीय समझ ने भारत में पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक आत्मकेंद्रित फौज खड़ा करने का काम किया है। इसी फौज के बीसियों संस्करण आपको देशभर में अलग-अलग रूपों में मिल जायेंगे। जिनका एक ही एजेंडा है, सरकारी खजाने का दोहन और संवैधानिक कर्तव्य के नाम पर उसकी तरफ से पीठ करके खड़ा हो जाना।

वस्तुतः भारत संवैधानिक रूप से एक ऐसे नागरिक समाज की रचना पर खड़ा किया गया है, जहां नागरिक जिम्मेदारी के तत्व को कभी प्राथमिकता पर रखा नहीं गया। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1976 में 42 वें संशोधन से 10 कर्तव्य जोड़े गए। यानी 26 साल तक इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि लोकतंत्र जैसी सभ्य शासन प्रणाली कैसे बगैर जवाबदेही के चलाई जा सकती है? आज भी संविधान की इस अनुगूंज में केवल अधिकारों के बोल हैं। एकपक्षीय प्रलाप जिसके पार्श्व बोल उन नेताओं और बुद्धिजीवियों ने निर्मित किये हैं जो भारत में हिंदुत्व और तालिबानी बर्बरता को एक सा निरूपित करते हैं, एक विकृत सेक्युलर अवधारणा को 65 साल तक भारत के भाल पर जबरिया चिपका रखा है। क्योंकि पेट्रो और वेटिकन डॉलर से इनकी बौद्धिकता का सूर्य सुदीप्त रहता है। यही वर्ग भारत में स्वाभाविक शासकों के थिंक टैंक रहे हैं। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तक पहुँचा भारत का संविधान शब्द किसी जनोपयोगी, लोक प्रचलन या सामाजिकी में स्थापना के धरातल पर नहीं खड़ा है बल्कि यह एक बदरंगी तस्वीर है भारत के सियासी चरित्र की।

संविधान की आड़ में भारत को चुनावी राजनीति का ऐसा टापू समझने और बनाने की जहां सत्ता खोने या हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिये लोग तैयार हैं। झूठ, अफवाह और मिथ्या प्रचार भारतीय जीवन का स्थाई चरित्र बनता जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सब कुछ संविधान की किताब हाथ में लेकर किया जाता है। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 'जो सीएए में लिखा है आप उसे मत देखिये, मत पढ़िए, जो इसमें नहीं लिखा है उसे पढ़िए, जो मैं बता रहा हूं उसे मानिये।' इसका मतलब यही कि जिस विहित संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाकर भारत की संसद ने कानून बनाया उसे जनता मूल रूप से नहीं, नेताओं के बताए भाष्य ओर व्याख्यान के अनुरूप माने। यही भारतीय संविधान की बड़ी विडम्बना है। इसी का फायदा एक बड़ा वर्ग हिंदुस्तानी नागरिक बनकर उठाता आ रहा है। इसी बड़े मुफ्तखोर और गैर जवाबदेह नागरिक समाज की भीड़ के शोरशराबे में आपको संविधान शब्द सुनाई देता है। हमारी चुनावी राजनीति ने लोगों को कभी नागरिक बनने का अवसर नहीं दिया। अपने फायदे के लिए वोटर समाज की रचना में जिस पराक्रम और निष्ठा के साथ सियासी लोगों ने काम किया, अगर इसी अनुपात में वे संवैधानिक साक्षरता के लिये काम करते तो भारत की तस्वीर अलग होती। ■

निर्मला के 'निर्मल' बजट में हर भारतीय की चिंता

✍ सियाराम पांडेय 'शांत'

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारण ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े।

एक यह और बात है कि इसके लिए प्रतिपक्ष ने उन्हें बधाई तो नहीं दी। अलबत्ता उनकी आलोचना जरूर की। एक झटके में बजट को नकारना व्यवस्था को नकारने जैसा होता है। हालांकि आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी बजट पेश हुए हैं, उससे विपक्ष कभी खुश नजर नहीं आया। राहुल गांधी को लगता है कि बेरोजगारी से निपटने का बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। माकपा नेता सीताराम येचुरी का मानना है कि जब तक मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा नेता भारतीय समाज को नष्ट करने के लिए काम करेंगे, तब तक देश में कोई भी आर्थिक पुनरुत्थान नहीं हो सकता। यह विपक्ष का पक्ष है लेकिन इस बजट में निर्मला सीतारमण ने भारतीय करदाताओं को बड़ी राहत दी है। पांच लाख तक की वार्षिक आय को करमुक्त कर टैक्स स्लैब में व्यापक बदलाव किया है। इसका लाभ हर आम और खास को मिलना तय है। उन्होंने अनुमान जताया है कि 2020-21 में विकास दर 10 फीसदी रहेगी। आगामी वित्त वर्ष में सरकार की कुल कमाई 22.46 लाख करोड़ रुपये हो सकती है जबकि कुल खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपये हो सकते हैं। चालू वित्त वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमानित खर्च 26.99 लाख करोड़ और कमाई 19.32 लाख करोड़ रुपये तक होने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 2021 में उधारी 5.36 लाख करोड़ रह सकती है जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार की शुद्ध बाजार उधारी 4.99 लाख करोड़ रहेगी। उन्होंने देश को यह बताने का भी प्रयास किया है कि कर संग्रह में उछाल आने में समय लगेगा, क्योंकि हाल में कॉर्पोरेट टैक्स की कटौती के चलते अल्पकाल में कर संग्रह घट सकता है। मगर उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच का इजहार किया है कि अर्थव्यवस्था को भारी लाभ होगा। बजट में वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.5 प्रतिशत रखा गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उनका मानना है कि सरकार से मिलने वाली राहत और छूट को छोड़ने वाले आयकरदाताओं को कर की दरों में उल्लेखनीय राहत मिलेगी। एनबीएफसी और आवास वित्त

कंपनियों के पास कर्ज देने के लिए धन की कमी न हो, इसके लिए सरकार की ओर से लोन गारंटी स्कीम शुरू करने का वादा कर उन्होंने मरहम लगाने का भी काम किया है। एनबीएफसी के लघु और मध्यम इकाइयों को बिल आधारित कर्ज देने के लिए नियम-कायदे में संशोधन करने और सरकार के 15वें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों को मान लेने की बात कहकर उन्होंने छोटे और मंझोले उद्योगों का भी सहारा बनने का काम किया है।

लेखा परीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव, स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रियायत, लाभ की 100 प्रतिशत कटौती के लिए कुल कारोबार की सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने और विदेशी सरकारों व अन्य विदेशी निवेश की सॉवरेन धन निधि के लिए टैक्स रियायत की घोषणा कर उन्होंने भारत को औद्योगिक विकास के क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास किया है। विद्युत क्षेत्र में लाभांश वितरण टैक्स को हटाने का प्रस्ताव कर निवेशकों को लुभाने की कोशिश इस बजट में सहज ही देखी जा सकती है। एलआईसी के बड़े हिस्से को बेचने की घोषणा अवश्य ही चिंताजनक है। केंद्रीय बजट में नवगठित संघ राज्यों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव बेहद सराहनीय है। जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों में जरूरी उपाय करने की घोषणा की गई है। किसानों के लिए रेल और विमान चलाने का विचार किसी सरकार में पहली बार आया है। ग्रामीण विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन किसानों के लिए कितना हितकारी साबित होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपये और संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ की व्यवस्था कर उन्होंने देश की नब्ज को मजबूती प्रदान की है। को-ऑपरेटिव सोसायटीज को अब 30 प्रतिशत की जगह 22 प्रतिशत टैक्स देना होगा। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए, 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए स्मार्टफोन देना यह बताता है कि महिला होने के नाते वे महिलाओं की पीड़ा को बखूबी समझती हैं। शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव कर जल्द ही नई शिक्षा नीति घोषित करने की बात कह उन्होंने इस क्षेत्र की धड़कनें बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये और रक्षा क्षेत्र के लिए भारी भरकम राशि का प्रस्ताव कर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार देश के विकास को लेकर तो गंभीर है ही लेकिन वह देश की सुरक्षा और संरक्षा से भी कोई समझौता नहीं करने जा रही है। 1860 में पहला टैक्स कानून बना था। आजाद भारत में टैक्स कानून 1961 में बना लेकिन सबसे बड़ा टैक्स सुधार इसी बार नजर आया । भले ही इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हों और यह देश हित में है लेकिन इसका देश के विकास पर दूरगामी असर होना तय है। यह और बात है कि मोदी सरकार के बजट को सातवीं बार भी शेयर बाजार ने खारिज किया है। वित्तमंत्री ने नई कर व्यवस्था में 70 तरह के डिडक्शन खत्म किए हैं। करदाता छूट के लिए पुरानी व्यवस्था का विकल्प ले सकते हैं। नई व्यवस्था किसी भी लिहाज से करदाताओं पर बोझ नहीं है। बजट में सारी चीजें बयां नहीं की जा सकतीं। बजट निर्माण की अपनी मजबूरियां होती हैं लेकिन इतना जरूर है कि इसमें सभी का ध्यान रखा गया है और यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ■

राम मंदिर ऐतिहासिक धरोहर की लौटेगी गरिमा

✍ प्रमोद भार्गव

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पालन में स्वायत्त न्यास के गठन की जिम्मेदारी पूरी कर ली है। 15 सदस्यीय न्यास का नाम 'श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र' होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस न्यास की घोषणा करते हुए कहा कि न्यास में एक सदस्य दलित समाज से होगा। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि राम को 'भगवान-राम' बनाने में मुख्य भूमिका उस समाज की रही थी, जो कमजोर होने के साथ अलग-थलग पड़ा था। यह समाज उस वर्ग से आता था, जो जंगलों में निवास करता था। इसी वनवासी समाज ने राम के नेतृत्व में लंका-नरेश रावण पर विजय प्राप्त की और राम ने इस विजय के बाद एक ऐसे समरसतावादी समाज की परिकल्पना की जो फलीभूत होती हुई 'रामराज्य' कहलाई। गांधी भी भारत की स्वतंत्रता के बाद इसी तरह के रामराज्य की कल्पना करते थे लेकिन वह चरितार्थ नहीं हुई। गोया, दलित को न्यास का सदस्य बनाकर इस सरकार ने जहां छुआछूत पर कुठाराघात किया है, वहीं अयोध्या में जातीय समरसता कायम रहे, इसकी भी नींव राममंदिर के निर्माण से पहले रख दी है। न्यायालय के फैसले के तीन माह के भीतर न्यास का गठन

न्यायालय के निर्देश की समय-सीमा का पालन है। हालांकि मोदी के निंदक इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चुनावी लाभ का गणित मानकर चल रहे थे। जबकि यह कार्यवाही अदालत के साथ-साथ देश की राष्ट्रीय आकांक्षा की पूर्ति है। बहुसंख्यक हिंदू समाज ही नहीं, भारतीय इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने वाले मुसलमान भी विवादित स्थल को राममंदिर ही मानते हैं। इस कड़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक के.के. मोहम्मद पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि विवादित स्थल पर भव्य मंदिर था। यही नहीं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और शीर्ष न्यायालय की राममंदिर विवाद से जुड़ी पीठों के सदस्य रहे मुस्लिम न्यायमूर्तियों ने भी विवादित स्थल को मंदिर माना है। केवल वामपंथी इतिहास व साहित्यकार ही इस सच्चाई को हमेशा झुठलाते रहे हैं।

अब विवाद-मुक्त हुई भूमि समेत 67.703 एकड़ भूमि भी इस न्यास को सौंप दी जाएगी। याद रहे 1992 में जब विवादित ढांचे को गुस्साए कारसेवकों ने ढहा दिया और विवाद गहराया तो 1993 में अयोध्या में विवादित स्थल सहित इससे जुड़ी करीब 67 एकड़ भूमि का उस समय की पीवी नरसिंह राव सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। तभी से यह भूमि केंद्र सरकार के पास है। चूंकि अब न्यास अस्तित्व में आ गया है, इसलिए भव्य राममंदिर निर्माण के लिए इस भूमि को न्यास को दिया जाना जरूरी था। गौरतलब है कि 9 नवंबर 2019 को जब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में विवादित भूमि पर सर्वसम्मति से रामलला का अधिकार माना था। नतीजतन यह भूमि राममंदिर के लिए दे दी गई। न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी अयोध्या जिले में मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि देने का फैसला दिया था। इस निर्णय का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच एकड़ भूमि बोर्ड को आवंटित कर दी है। इन कार्यवाहियों से जल्द मंदिर निर्माण का रास्ता खुलने के साथ यह संदेश भी भारतीय जन-मानस में पहुंचा है कि इस भूखंड पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। गोया, हमारी संस्कृति एवं परंपराएं ऐसी विलक्षण है, जो दुनिया को 'वसुधैव कुटुंबकम और सर्व भवतु सुखिनः' का संदेश देती है।

सरकार ने स्वायत्त न्यास का गठन इसलिए किया है, जिससे न्यास सरकारी हस्तक्षेप से दूर रहे और कामकाज में न्यासियों को संपूर्ण स्वतंत्रता मिले। न्यास को मंदिर निर्माण और उसके संचालन के साथ-साथ आर्थिक लेन-देन की स्वायत्तता भी दी गई है। लेकिन न्यास को कोई भी अचल सम्पत्ति किसी भी स्थिति में बेचने का अधिकार नहीं होगा। न्यास के विधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि पदेन व सरकार द्वारा मनोनीत के अलावा जो दस सदस्य रहेंगे, उनमें से किसी सदस्य की मौत होने या त्यागपत्र देने अथवा किसी करणवश हटाए जाने पर, उनके स्थान पर नए सदस्य के चयन का अधिकार न्यासियों को होगा, किंतु नए सदस्य का हिंदू धर्मालंबी होना अनिवार्य है। दलित सदस्य का स्थान खाली होने की स्थिति में दलित को ही चयनित करना जरूरी होगा। पदेन सदस्यों में जिला कलेक्टर भी एक सदस्य हैं। इसमें प्रावधान रखा गया है कि अयोध्या में यदि किसी मुस्लिम कलेक्टर को पदस्थ किया जाता है तो उस स्थिति में जिले के एडीएम पदेन सदस्य होंगे। इन न्यासियों को वेतन व भत्ते नहीं दिए जाएंगे। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि राममंदिर का शिलान्याय 25 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 2 अप्रैल को राम जन्मदिन या इस बीच संभव है।

इक्ष्वाकु वंश के इस नायक राम की लंका पर विजय ही इस बात का पर्याय है कि सामूहिक जातीय चेतना से प्रगट राष्ट्रीय भावना ने इस महापुरुष का दैवीय मूल्यांकन किया और भगवान विष्णु के अवतार का अंश मान लिया। क्योंकि अवतारवाद जनता-जर्नादन को निर्भय रहने का विश्वास, सुखी व संपन्न होने के अवसर और दुष्ट लोगों से सुरक्षित रहने का भरोसा देता है। अवतारवाद के मूल में यही मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति काम करती है। लेकिन राम वाल्मीकि के रहे हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास के अलौकिक शक्तियों से संपन्न होते हुए भी वे मनुष्य हैं और उनमें मानवोचित गुण व दोष हैं। इसीलिए वे भारतीय जनमानस के सबसे ज्यादा निकट हैं। इसका एक कारण यह भी है कि राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा करके देश को सांस्कृतिक एकता में पिरोने का सबसे बड़ा काम किया था। इसी काम को कृष्ण ने अपने युग में पूरब से पश्चिम की यात्रा करके देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। राम और कृष्ण की शताब्दियों पहले की गई सामाजिक सद्भाव की ये ऐसी अनूठी यात्रा रही हैं, जो सामाजिक संरचना को आज भी मजबूती देने का काम करती है।

दरअसल, राजनीति के दो प्रमुख पक्ष हैं, एक शासन धर्म का पालन और दूसरा युद्ध धर्म का पालन। रामचरितमानस की यह विलक्षणता है कि उसमें राजनीतिक सिद्धांतों और लोक-व्यवहार की भी चिंता की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में रामकथा व राम का चरित्र संघर्ष और आस्था का प्रतीक रूप ग्रहण कर लोक कल्याण का रास्ता प्रशस्त करते हैं। महाभारत में भी कहा गया है कि 'राजा रंजयति प्रजा' यानी राजा वही है, जो प्रजा के सुख-दुख व इच्छाओं की चिंता करते हुए उनका क्रियान्वयन करे। इस परिप्रेक्ष्य में प्रजा की नरेंद्र मोदी सरकार से अपेक्षा थी कि अयोध्या में भव्य एवं दिव्य राममंदिर बने। मोदी इस राष्ट्रीय आकांक्षा पूर्ति के प्रतीक बनकर उभरे हैं। यह ऐसा अनूठा मंदिर हो जो सामाजिक समरसता के रंग में पूरी तरह रंगा हो, क्योंकि इसी भावना में इस रामनगरी का पौराणिक महत्व और ऐतिहासिक-गाथा अंतर्निहित है। साफ है, भारत के लिए राम की प्रासंगिकता, इस राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता व एकता के लिए हमेशा अनिवार्य बनी रहेगी। ■

योगी सरकार ने बजट में भी रचा इतिहास

✍ सियाराम पांडेय 'शांत'

उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में भी इतिहास रच दिया। हालांकि ऐसे प्रयास वह अपने पहले बजट से कर रही है। अपने चार बजट के माध्यम से वह प्रदेश के हर हिस्से तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि प्रतिपक्ष परेशान है। वह इसे दिशाहीन, गुमराहकारी और शब्दों की बाजीगरी वाला बजट बता रहा है। एक विपक्षी दल ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारी सरकार आई तो बताएंगे कि ऐतिहासिकता क्या होती है? यह प्रतिस्पर्धा है या कुंठा, यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बेहतर यह होता कि राजनीतिक दल एक दूसरे से बड़ी रेखा खींचने की कोशिश करते। हालांकि सच यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बजट पेश करने की शृंखला भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। 2016-17 में 3 लाख 40 हजार 312 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ था। योगी सरकार ने उस बजट में और इजाफा किया है और अब वह 5 लाख 12 हजार 560 करोड़ रुपये से भी कुछ अधिक का हो गया है। देश के सबसे बड़े राज्य के लिए बड़ा बजट अपेक्षित भी था। इस बजट की खासियत यह है कि वह बड़ा होने से अधिक जनसापेक्ष है। इसमें किसानों, नौजवानों और महिलाओं के विकास की चिंता है। बहुत कुछ नया और अलहदा है। प्रदेश के संरचनात्मक विकास और रोजगार पर जोर है। नई परियोजनाओं को लाने और उन्हें मूर्त रूप देने की कार्ययोजना है। नई परियोजनाओं के लिए 10967 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मायने रखता है। इससे साफ है कि योगी सरकार विकास की राह में पैसे की कमी को आड़े नहीं आने देना चाहती। सही मायने में यह विकास की सरपट दौड़ का बजट है। यह विकास संभावनाओं को क्षितिज तक पहुंचाने का बजट है।

योगी सरकार ने पिछले बजट से और इजाफा किया है और वह पाँच लाख 12 हजार 560 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है।

कुछ विश्लेषक इसे धार्मिकता का बजट कहने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज और गोरखपुर इस बजट के केंद्र में हैं। अयोध्या में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 500 करोड़ और काशी विश्वनाथ मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बात की प्रतीति तो कराता है कि धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने और बेघरों को अपनी छत देने की कोशिश शिद्दत के साथ इस बजट में नजर आई है। ग्रेटर नोएडा से सटे जेवर में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मौजूदा बजट में पूर्व घोषित योजनाओं को रफ्तार मिली है। साथ ही पिछले बजट में छूटे हिस्सों को नई सौगात दी गई है। बजट में एक साथ पांच एक्सप्रेस-वे, दो औद्योगिक कॉरिडोर और दो बड़े एयरपोर्ट के साथ क्षेत्र स्तर पर हवाई पट्टियों के विस्तार की योजनाएं बता रही हैं कि योगी सरकार विकास के घोड़े को तेजी से दौड़ाना चाहती है। छह नए विश्वविद्यालयों और 21 राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का संकल्प शिक्षा और स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर सरकार के बढ़ते कदम का परिचायक है। अपेक्षा की जा सकती है कि छह विश्वविद्यालयों लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, यूपी पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी,राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर,राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और 21 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सूबे में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने में बड़ी भूमिका अदा करेंगे।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे के जरिए सरकार पूरब और पश्चिम को विकास की धार देने की कवायद कर रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे और गाजीपुर-बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे अगर पूर्वांचल में विकास की संभावनाएं बढ़ाएंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे इस उपेक्षित क्षेत्र को गति प्रदान करेगा। औद्योगिक लिहाज से पिछड़े पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्यक ध्यान देते हुए 'न काहू से दोस्ती न काहू से बैर' वाली रीति-नीति का परिचय दिया है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रदेश सरकार को डिफेंस एक्सपो में मिल चुके हैं। अब पूर्वांचल के औद्योगीकरण की पहल करते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा से साफ है कि इन्फ्रॉस्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर इतना फोकस है।पूर्वांचल में कुशीनगर का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अपने अंतिम चरण में है तो पश्चिम में गौतमबुद्धनगर का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत दे सकता है। एक्सप्रेस-वे और दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 5,921.92 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नई योजनाओं के अलावा फोकस प्राथमिकता वाली पुरानी योजनाओं में कन्या सुमंगला, शबरी संकल्प योजना, मातृ वंदना योजना के लिए भरपूर आवंटन दिया गया है। सरकार की योजना पांच एक्सप्रेस-वे पर एक साथ काम करने की है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 1400 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 750 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण व भूमि क्रय के लिए 400 करोड़, प्रयागराज से मेरठ तब बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 2000 करोड़, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि क्रय व निर्माण कार्य के लिए 200 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था सरकार का विजन स्पष्ट करती है। उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका है जब दो कॉरिडोर बन रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के समानांतर डिफेंस कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के समानांतर औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान निकट भविष्य में रोजगार बढ़ाने और विकास को गति देने वाला साबित होगा। बजट में जिन नई परियोजनाओं के लिए 10967 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसमें लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल, वाराणसी और गोरखपुर में भी मेट्रो संचालन, वाराणसी में सीपेट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, मथुरा में कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस, गोरखपुर व भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने, मुरादाबाद में गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र और मथुरा में कृष्ण कुटीर आश्रय सदन खोलने का जिक्र है। कुपोषण के रोकथाम के लिए चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान उसकी सहृदयता का संकेत है। बजट में बुजुर्गों और अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में देश की पहली रैपिड रेल चलाने की योजना है और इसके लिए योगी सरकार ने 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस ट्रेन के चलने के बाद मेरठ से दिल्ली महज एक घंटे में पहुंचा जा सकेगा।

बजट भाषण में उत्तरप्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश को बचाने, सजाने और संवारने की बात तो कही ही है, यह भी कहा है कि 'गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे।' यह कविता सरकार के आत्मविश्वास का परिचय देती हैं। बजट का छोटा या बड़ा होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कार्यान्वयन को मूर्त रूप देने की। बजट को सरकारी बंदरबांट से रोकने के लिए सरकार को अपना मॉनिटरिंग सेल मजबूत करना होगा। उत्तर प्रदेश को अगर एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है तो विभागीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और राजकोषीय घाटे को दो प्रतिशत से भी नीचे लाना होगा। अन्यथा बजट तो साल दर साल बड़ा होता रहेगा लेकिन लक्ष्यपूर्ति के धरातल पर हम कहीं न कहीं पिछड़े ही रह जाएंगे। ■

सैन्य क्षेत्र में भारत की मजबूती के साक्षी बने 54 देश

✍ सियाराम पांडेय 'शांत'

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पांच दिनों तक एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का बाजार सजा। इसकी थीम डिजिटल ट्रांसफार्मेशन ऑफ डिफेंस रखी गई। सेमिनार में भारत की सामरिक शक्ति बढ़ाने के साथ रक्षा उत्पादों का निर्यातक बनने पर भी विचार-विमर्श हुआ। लखनऊ में आयोजित 11वीं मेगा रक्षा प्रदर्शनी कई मायने में बेमिसाल रही। 40 देशों के रक्षामंत्री, सैन्य प्रमुख व विदेश मंत्री के साथ 54 देशों के डिप्लोमेट व सैन्य डेलीगेट इस अविस्मरणीय पल के साक्षी बने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का असर इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका व स्वीडन समेत कई बड़े देश हमारे साथ रक्षा तकनीक साझा करने को बेताब नजर आए। आयोजन की खासियत यह रही कि इसमें 70 देशों की अत्याधुनिक रक्षा तकनीक का संगम नजर आया। इसे देखने के लिए लखनऊ और आसपास के लोग उमड़ पड़े। ढाई हजार रुपये का टिकट लेकर भी हजारों की तादाद में लोग इस मेगा रक्षा प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया तो रक्षामंत्री ने सर्वाधिक समय देकर कार्यक्रम को ऊर्जावान बनाने का काम किया।

मेगा रक्षा प्रदर्शनी में 70 देशों की 172 और भारत की 857 रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों की सहभागिता यह बताने के लिए काफी है कि दुनिया में भारत की अहमियत क्या है? इसमें रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 71 कंपनियों से करार हुए। रूस और स्पेन के साथ मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का करार हुआ। इस पनडुब्बी के निर्माण में रूस और स्पेन भारत की मदद करेंगे और बाद में ये पनडुब्बियां नौसेना के हवाले की जाएंगी।रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनी अंतरराष्ट्रीय स्तर की शारंग तोप सहित अत्याधुनिक हथियार सेना को सौंपने की घोषणा की। जेवीपीसी अल्फा कार्बाइन, बेल्टफेड एलएमजी, अमोघ-3 वरुणास्त्र, नाविक रिसीवर, डोमिनेटर ड्रोन, फाइबर ऑप्टिक गैरो बेस्ड आइएनएस सिस्टम, स्कॉर्पियन क्लास की पी-75-आई पनडुब्बी, आर्टलरी गन्स, गन, टैंक, बुलेटप्रूफ जैकेट, लाइट वेट हेलीकॉप्टर समेत 13 उत्पादों को लॉन्च किया गया। चिनूक, सुखोई-30, जगुआर, सूर्य किरण जैसे विमानों ने न केवल उड़ान भरी बल्कि कलाबाजियां दिखाईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया के लिए बड़ा बाजार, बड़ा अवसर करार दिया तो रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी विदेशी कंपनियों के साथ हुए करार को बंधन का नाम देकर मेगा रक्षा प्रदर्शनी को विशेष भावनात्मकता से जोड़ने की कोशिश की।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का असर इसी से समझा जा सकता है कि अमेरिका व स्वीडन समेत कई बड़े देश हमारे साथ रक्षा तकनीक साझा करने को बेताब नजर आए।

अभीतक डिफेंस एक्सपो में 200 से के अधिक करार हो चुके हैं। अभी और एमओयू होने के आसार हैं। इन एमओयू से एमएसएमई को भी बड़ी मदद मिलेगी। डीआरडीओ यूपीडा डिफेंस कॉरिडोर के लिए सहयोग करेगा। उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कई जिले जुड़ जाएंगे। केंद्र सरकार की मानें तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 7 गुना बढ़ा है। 2024 तक इसमें और अधिक इजाफा होगा। औद्योगिक लिहाज से उत्तर प्रदेश आगामी कुछ वर्षों में दुनिया भर में जाना जाएगा। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। इस क्रम में यूपी सरकार के साथ यूपीडा के माध्यम से 23 एमओयू संपन्न हुए हैं। 50 हजार करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर हुए हैं। बकौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह एमओयू नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के ढाई-तीन लाख युवाओं के रोजगार प्राप्ति का अवसर भी है। उनके मुताबिक, ढाई साल में ढाई लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए झांसी, अलीगढ़ में जमीन बुक हो चुकी है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, पूर्वांचल, बुंदेलखंड व गंगा एक्सप्रेस वे के जरिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है।

7 फरवरी, 2020 को रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय की योजनाओं में डीजीक्यूए की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार में 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करने संबंधी रक्षा मंत्रालय की प्रतिबद्धता दिखी। एक नॉलेज बुक का विमोचन भी हुआ जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा शुरू की गई या शुरू की जाने वाली डीजीक्यूए की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इससे पता चला कि मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति योजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण वातावरण में बौद्धिक संपदा संस्कृति को विकसित करना है। बौद्धिक संपदा सुविधा प्रकोष्ठ (आईपीएफसी) का गठन किया गया है जिसने डेढ़ वर्ष की अवधि में आईपीआर पर 15 हजार से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया और सहस्त्राधिक नए आईपीआर अनुप्रयोगों को सक्षम बनाया।

भारतीय कंपनियों को ग्रीन चैनल का दर्जा मिलने और स्व-प्रमाणन की सुविधा मिलने से निकट भविष्य में निरीक्षण की समय सीमा और लागत में कमी आने की उम्मीद है। स्वदेशी विनिर्माताओं को अपने उत्पादों का वितरण वैश्विक स्तर पर करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने और वार्षिक रक्षा निर्यात को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 35 हजार करोड़ रुपये करने के उद्देश्य से रक्षा निर्यात संवर्द्धन योजना शुरू की गई है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियां भारत में निजी उद्योग द्वारा विनिर्मित रक्षा उत्पादों के लिए गुणवत्ता सुनश्चित करेंगी। रक्षा मंत्रालय 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराकर 6-8 अत्याधुनिक परीक्षण केंद्र स्थापित करेगा। यह घरेलू रक्षा उद्योगों के लिए प्रमुख प्रोत्साहन होगा क्योंकि रक्षा परीक्षण एवं प्रमाणन बुनियादी ढांचा देश में उपलब्ध नहीं है।

इतने बड़े आयोजन पर खर्च तो होता ही है। विपक्ष इस भारी-भरकम खर्च पर अंगुली उठा सकता है और ऐसा करने का उसका हक भी है लेकिन पानी में जितना ही गुड़ डाला जाता है, वह उतना ही मीठा होता है, इस सच को भी नकारा नहीं जा सकता। देश को विकसित करने की सोच भी बड़ी बात है। इस तरह के आयोजन सेना और जनता दोनों ही मनोबल बढ़ाते हैं। अपेक्षा की जा सकती है कि यह मेगा रक्षा प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश और देश के विकास और सामरिक आत्मनिर्भरता के मामले में मील का पत्थर बनेगी। ■

'हिन्दुत्व' पर गाँधीजी का मत और मोहन भागवत

✍ डॉ. राकेश राणा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पिछले दिनों गांधी स्मृति कीर्ति मण्डप के एक मंच से हिन्दुत्व के प्रति महात्मा गांधी के सम्बन्ध में यह जो कहा है कि वे स्वयं को एक कट्टर सनातनी हिन्दू कहते-मानते थे, उससे अपने देश के सेक्युलर नेताओं और संघ-विरोधी बुद्धिबाजों में बेचैनी बढ़ गई है। उनकी बेचैनी की वजह यह नहीं है कि मोहन भागवत ने हिन्दुत्व के प्रति मोहनदास के किस मत का उल्लेख किया बल्कि इसकी असली वजह यह है कि उन्होंने जो भी कहा है सो सच कहा है और अगर देश यह जान गया कि महात्मा जी सचमुच हिन्दुत्व के प्रति आग्रही थे तो हिन्दू-विरोध पर आधारित उनके 'सेक्युलरिज्म' का आसमानी घोड़ा धराशायी हो जाएगा। उनकी बेचैनी का सबब यह भी है कि गांधी जी की हत्या के नाम पर संघ के प्रति घृणा का जो विषवमण उनके द्वारा सन 1948 से ही किया जा रहा, वह गांधी-जयन्ती के इस 150वें वर्ष से अगर धुल जाएगा या धुलना शुरू हो जाएगा तो फिर वे कहीं के नहीं रहेंगे। बहरहाल, मोहन भागवत ने जब महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचन्द गांधी को 'कट्टर सनातनी हिन्दू' बता ही दिया है तो अब हिन्दुत्व पर गांधीजी के मत की छानबीन तो होनी ही चाहिए।

हिन्दुत्व हमें यह सिखाता है कि सभी मनुष्यों को तो मोक्ष मिलना सम्भव है ही; सृष्टि के समस्त जीवों की भी मुक्ति सम्भव है। हिन्दुत्व तो जीव मात्र में एकात्म देखता है। हिन्दुत्व में सभी प्रकार के शोषण का निषेध है।

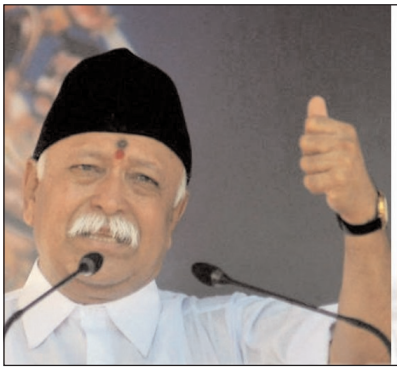

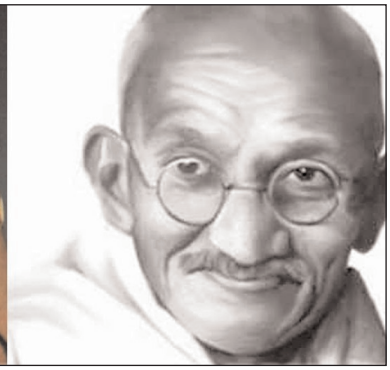

'हिन्दुत्व' को भारतीय राष्ट्रीयता का आधार बताते हुए गांधी जी ने 'हिन्दू धर्म' नामक अंग्रेजी भाषा की अपनी पुस्तक के 34वें पृष्ठ पर लिखा है- 'अंग्रेज हमें यह सिखाने की कोशिशें करते रहे हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा है। उनका यह प्रचार झूठा है। इसका कोई आधार नहीं है। अंग्रेजों के भारत आने के पहले से हम एक राष्ट्र रहे हैं। हमारे मूलभूत विचार पूरे भारत में एक ही थे। इसी कारण हरिद्वार सेतुबंध रामेश्वर व जगन्नाथपुरी आदि चारों धामों एवं विविध तीर्थों की प्रतिष्ठा है। हिन्दुत्व हमारी राष्ट्रीयता का आधार था। 24 नवम्बर 1927 के 'यंग इण्डिया' में उन्होंने लिखा है- हिन्दुत्व का विश्व को सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने सर्वप्रथम यह तथ्य प्रकाशित किया कि पुनर्जन्म सत्य है। 26 दिसम्बर 1936 के 'हरिजन' में उन्होंने लिखा है- हिन्दुत्व हमें यह सिखाता है कि सभी मनुष्यों को तो मोक्ष मिलना सम्भव है ही; सृष्टि के समस्त जीवों की भी मुक्ति सम्भव है। हिन्दुत्व तो जीव मात्र में एकात्म देखता है। हिन्दुत्व में सभी प्रकार के शोषण का निषेध है। हिन्दुत्व में समस्त जीवों के प्रति एकात्मता की यह अनुभूति मनुष्य को अपनी जरूरतें व इच्छायें सीमित व मर्यादित रखने पर बल देती है। हिन्दू धर्म व हिन्दुत्व के प्रति गांधीजी की यह दृष्टि रामायण और गीता से अभिप्रेरित है।

यह तो जगजाहिर है कि गांधीजी राजनीति का आदर्श रामराज्य रहा है और गीता उनकी समस्त राजनीतिक गतिविधियों की प्रेरणा-स्रोत रही है। 'गीता' पर उनका चिंतन-मनन तथा लेखन भी लंबे समय तक चलता रहा। सम्पूर्ण गीता का गुजराती में अनुवाद उन्होंने स्वयं किया हुआ है जो 'अनासक्ति योग' नामक पुस्तक के रूप में वर्ष 1929-1930 में नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद से पहली बार प्रकाशित हुआ। फिर उसका हिंदी, बांग्ला एवं मराठी अनुवाद भी हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी वे 'यंग इंडिया' नामक अपने अखबार में समय-समय पर प्रकाशित करते-कराते रहे थे। उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यता के सम्बन्ध में स्वयं कहा है कि ÷हिंदू धर्म, जैसा मैंने इसे समझा है, मेरी आत्मा को पूरी तरह से तृप्त करता है तथा मेरे प्राणों को आप्लावित कर देता है,... जब संदेह मुझे घेर लेता है, जब निराशा मेरे सम्मुख आ खड़ी होती है, जब क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तब मैं 'गीता' की शरण में जाता हूँ और उसके प्रभाव से मैं घोर विषाद के बीच भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूं। मेरे जीवन में अनेक बाह्य त्रासदियां घटी हैं और यदि उन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रत्यक्ष या अमिट प्रभाव नहीं छोड़ा है तो मैं इसका श्रेय 'गीता' के उपदेशों को ही देता हूँ। 'गीता' के प्रति उनकी अनुरक्ति को आप इतने ही समझ सकते हैं कि वे वर्ष 1931-32 में जब यरवदा सेंट्रल जेल में थे तब वहां से गीता के विभिन्न श्लोकों का सहज बोधगम्य भावानुवाद का पत्र प्रत्येक सप्ताह साबरमती आश्रम के तत्कालीन प्रबंधक अर्थात् अपने भतीजे नारायणदास गांधी को इस हिदायत के साथ भेजा करते थे कि आश्रम की प्रार्थना सभाओं में इसे पढ़ा जाए। उनके उन समस्त पत्रों का संकलन पुस्तक-रूप में 'गीता-बोध' नाम से हुआ है। गीता से गाँधीजी का जुड़ाव इतना गहरा था कि तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने गीता के प्रत्येक पद का अक्षर क्रम से कोश तैयार किया. जिसमें सभी पदों के अर्थ के साथ-साथ उनके प्रयोग-स्थल भी निर्दिष्ट हैं और उन्होंने इस पुस्तक को 'गीता माता' नाम दिया।

आइए अब चलते हैं दिल्ली के तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति कीर्ति मण्डम के उस मंच पर जहां सन 1948 में गांधीजी हत्या हुई और जिसके लिए संघ को लांछित किया गया, इसी कारण संघ का कोई भी सरसंघचालक आजतक वहां नहीं गया था; किन्तु मोहन भागवत ने वहां जाकर इस परम्परा को तोड़ते हुए गांधीजी को कट्टर हिन्दू घोषित किया है। भागवत जी ने कहा है कि 'गांधीजी स्वयं को कट्टर सनातनी हिंदू मानते थे और यह भी कहा करते थे कि मैं कट्टर सनातनी हिंदू हूं इसलिये पूजा पद्धति के भेद को मैं नहीं मानता हूं।' संघ प्रमुख के इस कथन में कहीं कोई अतिरंजना कतई नहीं है। 'यंग इंडिया' के छह अक्टूबर 1921 के अंक में उन्होंने स्वयं ही लिखा है 'मैं अपने को सनातनी हिंदू इसलिए कहता हूं क्योंकि, मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्मग्रंथों के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूं और इसीलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी। मैं गोरक्षा में उसके लोक प्रचलित रूपों से कहीं अधिक व्यापक रूप में विश्वास रखता हूं। इसी लेख में उन्होंने यह भी लिखा है कि 'मैं मूर्तिपूजा में अविश्वास नहीं करता।' आगे उन्होंने लिखा है- 'मैं हिन्दू धर्म के मूल विश्वासों में से एक को भी नहीं छोड़ सकता।'

हिन्दुत्व पर महात्माजी की राय को व्यक्त करते हुए रामेश्वर मिश्र मे अपनी पुस्तक 'गांधीजी की विश्व दृष्टि' में सम्पूर्ण गांधी वांग्मय के हवाले से लिखा है- मेरी दृष्टि में हिन्दुत्व एवं सत्य व धर्म तीनों परस्पर एक-दूसरे के स्थान पर रखे जा सकने योग्य हैं। हिन्दुत्व सर्वव्यापी है, सर्वसमावेशी है। विश्व में जहां कहीं भी धर्म का जो भी रूप होगा वह समस्त धर्म-रूप हिन्दुत्व में स्वतः विद्यमान है और जो धर्म रूप हिन्दुत्व में नहीं है वह असार व अनावश्यक है। स्पष्ट है कि 'एनसीईआरटी' के पूर्व निदेशक जगमोहन राजपूत की पुस्तक- 'गांधी को समझने का यही समय' का विमोचन करते हुए मोहन भागवत ने हिन्दुत्व पर मोहनदास करमचन्द गांधी के जिस मत का उल्लेख अपने भाषण में किया है वह ध्यातव्य है। गांधीजी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर उनके विचारों को इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ने-समझने और सम्यक बहस-विमर्श करने की आवश्यकता है। ■

समाज सरकार और मीडिया

✍ डॉ. राकेश राणा

किसी भी समाज में मीडिया और राजनीति का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से गहरा संबंध होता है। मीडिया विशेषतः विकास-संचार और लोकतांत्रिक सहभागिता का काम देखता है। विकास और स्वतंत्रता अंर्तसंबंधित है। जिनका पहिया स्वतंत्र मीडिया की धुरी पर घूमता है। राजनीतिक व्यवस्थाएं मीडिया की इसी स्वतंत्रता को कुतरती रहती है, जो संकट पूरे वैश्विक परिदृश्य पर है। यह कोरी कल्पना होगी कि कभी मीडिया और राज्य एक आदर्श स्थिति का निर्माण करेंगे? सत्ता तो समाज और मीडिया को अधिकाधिक नियंत्रित करना चाहती ही है पर अपनी नीति और नीयत के चलते मीडिया भी समझौते को अभिशप्त है। मीडिया पर सबसे ज्यादा नियंत्रण तो वामपंथी सरकारों के दौरान दिखा है, जो खुद को जन-सरोकारी कहते नहीं थकते।

लोकतंत्र के विकास की दिशा में समाज, सरकार और मीडिया तीनों के एजेंडा में जबतक तारतम्य नहीं है तबतक कोई सुखद परिणाम आ ही नहीं सकता है। मीडिया की भूमिका सत्ता पक्ष के गुण और दुर्गण तटस्थ और स्वतंत्र ढंग से सबके सामने लाने की है। पर नव उदारवाद के दौर की नयी राजनीति ने मीडिया की भूमिका बदल दी। आज मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जो युद्ध चल रहा है वे सत्ता का आक्रमण तय करते हैं कि बहस के केंद्र में कौन-सा मुद्दा आए। किन चिंताओं पर लोग चिंतन करें और अपना मत जाहिर करें। जैसे प्रतिनिधित्व वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक अवसर होता है जब लोगों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श होता है। सरकार को कुछ कसौटियों पर कसने की कोशिशें होती हैं कि किन मसलों पर सरकार का क्या रुख है? चुनावी माहौल से यह सब धीरे-धीरे गायब हो रहा है। सामूहिक विमर्श का भाव पूरी तरह नदारद है। मीडिया जन-विमर्श के मुददों को कुचलकर सत्ता-विमर्श में मगशूल है। यह उन मुद्दों को बीच बहस से उड़ा देता है जो किसी क्षेत्र विशेष के प्रदर्शन पर विमर्श को सीमित करते हों और जन-संघर्षों को अर्थ प्रदान करते हों।

भूमंडलीकरण के दौर में मीडिया के केंद्रीकरण ने इसकी भूमिका और स्वरूप को ज्यादा ही बिगाड़ दिया। मीडिया जनमत के बजाए पूंजीपति-वर्ग और राजनीति का हथियार बनकर रह गया है। परिणाम मीडिया की संकुचित भूमिका के चलते विकासशील समाज की सही तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। आज विकासशील देश सूचना साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की चपेट में है। जिनपर मजबूत राष्ट्र निरन्तर सांस्कृतिक आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे में एक वैकल्पिक मीडिया ही समाज को संबल प्रदान कर सकता है। विकासशील देशों को अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को मजबूत करना होगा, जिसमें मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। जिसके लिए जरूरी है मीडिया का लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण हो। विकास को गति लोकतांत्रिक सहभागिता से मिलती है। हमारा देश विविधताओं से भरा है, सबके साथ और सबके विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर सही प्रतिनिधित्व हेतु सामुदायिक मीडिया का सशक्त होना आवश्यक है। ताकि समग्र विकास के सही और संतुलित कदम उठाये जा सकें। इससे मीडिया के केंद्रीकरण का खतरा भी कम होगा और मीडिया जमीनी यथार्थ से जुड़ेगा, उसको समझेगा। अपरिपक्व मीडिया किसी भी समाज को जोखिम में डाल सकता है, अपने समाज को अराजक स्थिति में पहुंचा सकता है। जन-दबाव ही मीडिया का भी सेफ्टी-वाल्व होता है जिसके अभाव में सत्ता का हलकारा उसकी मजबूरी बन जाती है। इसलिए मीडिया यह न भूले कि उसकी रक्षा-सुरक्षा सत्ता नहीं समाज में निहित है।

समाज के विकास में मीडिया अहम है। विकास-संचार की भूमिका विशुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था में निखरकर सामने आती है। एक सफल लोकतंत्र के लिए भी मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अपरिहार्य शर्त है। विकासशील समाज में मीडिया की भूमिका कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाने की है। ताकि विकास-संचार एक सृजनात्मक माहौल की समाजार्थिक और राजनैतिक स्थितियां बना सके। सुधारों के लिए भी जनमानस को बदलकर सकारात्मक राष्ट्र निर्माण की मानसिकता का विकास कर सके। समाज को विकास के लिए प्रेरित कर सके, लोगों को स्वःस्फूर्त ढंग से नवाचारों और नये संपर्कों के लिए उद्वेलित रख सके। सामाजिक समरसता की मनो-संरचना के साथ शांति की संस्कृति के निर्माण में आगे बढ़कर काम करना ही मीडिया की केन्द्रीय भूमिका बनती है। ताकि लोकतंत्र मजबूत बन सके और एक सुखी, समृद्ध, समरस, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण अहिंसक मानवीय समाज का निर्माण हो सके। ■

जातिगत जनगणना की माँग

✍ प्रमोद भार्गव

जाति आधारित जनगणना की मांग एकबार फिर सतह पर आ गई है। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से 2021 में होने वाली जनगणना जातीय आधार पर कराने की मांग की गयी है। प्रस्ताव लाते समय आश्चर्य की बात रही कि सभी जातीय भेदों को नकारते हुए बिना विवाद के प्रस्ताव पास कर दिया गया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं। वैसे, जातीय जनगणना की मांग कोई नई नहीं है। इसी वजह से 2011 की जनगणना के साथ अलग प्रारूप पर सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना की गई थी किंतु मूल जनगणना के साथ की गई गिनती के आंकड़े न तो मनमोहन सिंह सरकार ने उजागर किए और न ही नरेंद्र मोदी सरकार ने। जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले नेताओं का कहना है कि इसके निष्कर्ष से निकले आंकड़ों के आधार पर जिन जातियों की जितनी संख्या है, उस आधार पर कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिले। हमारे नीति-नियंताओं में दूरदृष्टि है तो पहले इस विषय पर राष्ट्रीय विमर्श कराए और फिर इससे निकले निष्कर्ष पर अमल करे। यह ऐसा मुद्दा है, जिसमें सतह पर तो खूबियां दिखाई देती हैं लेकिन अनेक डरावनी आशंकाएं भी इसके गर्भ में छिपी हैं।

बृहत्तर हिन्दू समाज (हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख) में जिस जातीय संरचना को ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दुष्चक्र माना जाता है, हकीकत में यह व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि इसकी तह में जाना मुश्किल है। मुस्लिम समाज में भी जातिप्रथा पर पर्दा डला हुआ है। मुसलमानों की सौ से अधिक जातियों के बावजूद इनकी जनगणना में भी पहचान का आधार धर्म और लिंग है। शायद इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि 'जाति ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कुछ ऐसा दुष्चक्र है कि हर जाति को अपनी जाति से छोटी जाति मिल जाती है। यह ब्राह्मणवाद नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक साइकिल है। अगर यह जातिचक्र सीधी रेखा में होता तो इसे तोड़ा जा सकता था। यह वर्तुलाकार है और इसका कोई अंत नहीं है। जब इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है।' वैसे भी धर्म के बीज-संस्कार जिस तरह से हमारे बाल अवचेतन में, जन्मजात संस्कारों के रूप में बो दिए जाते हैं, कमोबेश उसी स्थिति में जातीय संस्कार भी नादान उम्र में उड़ेल दिए जाते हैं।

इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि जाति एक चक्र है। यदि जाति चक्र न होती तो अबतक टूट गई होती। जाति पर जबरदस्त कुठारघात महाभारत काल के भौतिकवादी ऋषि चार्वाक ने किया था। उनका दर्शन था, 'इस अनंत संसार में कामदेव अलंधय हैं। कुल में जब कामिनी ही मूल है तो जाति की परिकल्पना किसलिए? इसलिए संकीर्ण योनि होने से भी जातियां दुष्ट, दूषित या दोषग्रस्त ही हैं, इस कारण जाति एवं धर्म को छोड़कर स्वेच्छाचार का आचरण करो।' गौतम बुद्ध ने भी जो राजसत्ता भगवान के नाम से चलाई जाती थी, उसे धर्म से पृथक किया। बुद्ध धर्म, जाति और वर्णाश्रित राज व्यवस्था को तोड़कर समग्र भारतीय नागरिक समाज के लिए समान आचार संहिता प्रयोग में लाए। चाणक्य ने जन्म और जातिगत श्रेष्ठता को तिलांजलि देते हुए व्यक्तिगत योग्यता को मान्यता दी। गुरूनानक देव ने जातीय अवधारणा को अमान्य करते हुए राजसत्ता में धर्म के उपयोग को मानवाधिकारों का हनन माना। संत कबीरदास ने जातिवाद को ठेंगा दिखाते हुए कहा भी, 'जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।' महात्मा गांधी के जाति प्रथा तोड़ने के प्रयास तो इतने अतुलनीय थे कि उन्होंने

'अछूतोद्धार' जैसे आंदोलन चलाकर भंगी का काम दिनचर्या में शामिल कर, उसे आचरण में आत्मसात किया।

भगवान महावीर, संत रैदास, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, आम्बेडकर ने जाति व्यवस्था तोड़ने के अनेक प्रयत्न किए लेकिन जाति है कि मजबूत होती चली गई। इसकी वजह यह रही कि कुलीन हिन्दू मानसिकता, जातितोड़क कोशिशों के समानांतर अवचेतन में पैठ जमाए मूल से अपनी जातीय अस्मिता और उसके भेद को लेकर लगातार संघर्ष करती रही। इसी मूल की प्रतिच्छाया हम पिछड़ों और दलितों में देख सकते हैं। मुख्यधारा में आने के बाद न पिछड़ा, पिछड़ा रह जाता है और न दलित, दलित। वह उन्हीं ब्राह्मणवादी हथकंडों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगता है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हजारों साल के हथकंडे रहे हैं। नतीजतन जातीय संगठन और दल भी अस्तित्व में आ गए।

जातिगत आरक्षण के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 16 की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन आरक्षण किसी भी जाति के समग्र उत्थान का मूल कभी नहीं बन सकता? आरक्षण के सामाजिक सरोकार केवल संसाधनों के बंटवारे और उपलब्ध अवसरों में भागीदारी से जुड़े हैं। इस आरक्षण की मांग शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार और अब ग्रामीण अकुशल बेरोजगारों के लिए सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी से जुड़ गई है। परंतु जबतक सरकार समावेशी आर्थिक नीतियों को अमल में लाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक नहीं पहुंचती तबतक पिछड़ी या निम्न जाति अथवा आय के स्तर पर पिछले छोड़ पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार नहीं आ सकता। मुस्लिम धर्म के पैरोकार यह दुहाई देते हैं कि इस्लाम में जाति प्रथा की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि एम एजाज अली के मुताबिक मुसलमान भी चार श्रेणियों में विभाजित हैं। उच्च वर्ग में सैयद, शेख, पठान, अब्दुल्ला, मिर्जा, मुगल, अशरफ जातियां शुमार हैं। पिछड़े वर्ग में कुंजड़ा, जुलाहा, धुनिया, दर्जी, रंगरेज, डफाली, नाई, पमारिया आदि शामिल हैं। पठारी क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम आदिवासी जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जातियों के समतुल्य धोबी, नट, बंजारा, बक्खो, हलालखोर, कलंदर, मदारी आदि हैं। मुस्लिमों में ये ऐसी प्रमुख जातियां हैं जो पूरे देश में लगभग इन्हीं नामों से जानी जाती हैं। इसके अलावा ऐसी कई जातियां हैं जो क्षेत्रीयता के दायरे में हैं। जैसे बंगाल में मण्डल, विश्वास, चौधरी, राएन, हलदार, सिकदर आदि। यही जातियां बंगाल में मुस्लिमों में बहुसंख्यक हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में मरक्का, राऊथर, लब्बई, मालाबारी, पुस्लर, बोरेवाल, गारदीय, बहना, छप्परबंद आदि। उत्तर-पूर्वी भारत के असम, नागालैंड,

अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि में विभिन्न उपजातियों के क्षेत्रीय मुसलमान हैं। राजस्थान में सरहदी, फीलबान, बक्सेवाले आदि हैं। गुजरात में संगतराश, छीपा जैसी अनेक नामों से जानी जाने वाली बिरादरियां हैं। जम्मू-कश्मीर में ढोलकवाल, गुडवाल, बकरवाल, गोरखन, वेदा (मून) मरासी, डुबडुबा, हैंगी आदि जातियां हैं। इसी प्रकार पंजाब में राइनों और खटीकों की भरमार है। इतनी प्रत्यक्ष जातियों के बावजूद मुसलमानों को लेकर यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि ये जातीय दुष्चक्र में नहीं जकड़े हैं।

अल्पसंख्यक समूहों में इस वक्त हमारे देश में पारसियों की घटती जनसंख्या चिंता का कारण है। इस आबादी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रजनन सहायता योजनाओं में भी शामिल किया हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक सर्वे के मुताबिक पारसियों की जनसंख्या 1941 में 1,14000 के मुकाबले 2001 में केवल 69000 रह गई। इस समुदाय में लंबी उम्र में विवाह की प्रवृत्ति के चलते भी यह स्थिति निर्मित हुई है। इस जाति का देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसिद्ध टाटा परिवार इसी समुदाय से है। बहरहाल ऐसे समाज या धर्म समुदाय को खोजना मुश्किल है, जो जातीय कुचक्र में जकड़ा न हो? गोया, जातिगत जनगणना के क्या फलित निकलेंगे इसपर गंभीरता से विचार की जरूरत है। ■

सोशल मीडिया : अश्लील विज्ञापनों से सावधान

✍ योगेश सोनी

मौजूदा दौर के हर इंसान की जिन्दगी का अहम हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया। हालत यह है कि इंसान एक समय की रोटी खाये बिना रह सकता है लेकिन मोबाइल के बिना अपने को अधूरा महसूस करता है। बदलते परिवेश में इसके तमाम तरह के फायदे हैं लेकिन कई बार यह जिंदगी के लिए खतरा भी बन गया। इसकी चपेट में सबसे ज्यादा स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं। यदि फेसबुक के विषय में बताएं तो सबसे ज्यादा यूजर्स इस आयुवर्ग के हैं। फेसबुक पर कम आयु के बच्चों के भी अकाउंट देखने मिलते हैं। हालांकि फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए 18 वर्ष की अनिवार्यता है लेकिन गलत वर्ष डालकर इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस विषय में किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल का नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

दरअसल, आजकल सोशल मीडिया पर कई तरीके के अश्लील विज्ञापन आने लगे हैं, जिनमें बेहद गंदी भाषा का प्रयोग कर स्लोगन दिये जा रहा हैं। बच्चों पर इन विज्ञापनों और उनकी भाषा का बेहद गंभीर असर पड़ रहा है। कुछ बच्चे तो माता-पिता से इस विषय में बात कर लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। दोनों ही स्थिति में इस तरह की बातें जानने के लिए बच्चों में जिज्ञासा बढ़ जाती है। देसी भाषा में कहा जाता है- 'यह उम्र कच्ची मिट्टी की तरह होती है, जैसे ढालो वैसी बन जाती है। 'सोशल मीडिया की वजह से न जाने कितने बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। महानगरों में इसकी संख्या में लगातार इजाफा होना चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि माता-पिता दोनों ही अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। यदि कुछ अभिभावक मोबाइल न दें तो बच्चे अपना होमवर्क व अन्य महत्वपूर्ण चीजों का हवाला देकर उनसे मोबाइल ले लेते हैं। ऐसे में वह संबंधित जरूरी काम कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा लगे रहते हैं। आजकल स्कूल व कॉलेजों में होमवर्क या असाइनमेंट मेल या व्हाट्सएप पर आते हैं तो स्मार्टफोन की अनिवार्यता बढ़ गई है।

'सोशल मीडिया की वजह से न जाने कितने बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। महानगरों में इसकी संख्या में लगातार इजाफा होना चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि माता-पिता दोनों ही अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बच्चों को मोबाइल दे देते हैं।

कई घटनाओं में देखा गया है कि दोस्ती के नए-नए एपों पर दोस्ती कर बच्चे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। ऐसी खबरें रोजाना देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब अत्यंत घटिया भाषा वाले ऐसे विज्ञापनों की बाढ़, बेहद चिंताजनक है। लालच के चक्कर में सोशल माध्यम ऐसे एपों का विज्ञापन देकर बेहद गलत कर रहे हैं। हिन्दुस्तान जैसे देश जो आज भी संस्कारों व संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, यहां ऐसा करना अपराध के समान है। इसपर सुझाव यही है कि सरकार व एजेंसियों को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। किसी भी सोशल माध्यम पर हर 2-3 पोस्ट के बाद अश्लील विज्ञापनों से पश्चिमी देशों की उन्मुक्तता के रंग में रंगने का खतरा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर विद्यार्थी हैं इसलिए यह सबसे ज्यादा प्रभावित भी इसी वर्ग को करता है। एक अध्ययन के अनुसार सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल याददाश्त कमजोर करता है और मस्तिष्तक में कुछ भी सुरक्षित नहीं रह पाता। मानसिक चिकित्सकों के अनुसार खाली समय में मस्तिष्क जानकारियों को सुरक्षित करने का काम करता है। लेकिन फ्री समय में ऑनलाइन गतिविधियों के संपर्क की वजह से मस्तिष्क को आराम नहीं मिलता। लोग हर वक्त फोन रखते हैं और बार-बार नोटिफिकेशन की वजह से मोबाइल उठाकर देखा जाना भी मस्तिष्क के लिए खतरनाक है।

बहरहाल, मौजूदा दौर में बच्चों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तकनीकी दुनिया में इन चीजों से चाहे-अनचाहे वास्ता तो पड़ेगा ही लेकिन यहां माता-पिता की सतर्कता बेहद जरूरी है। खेल स्पष्ट है, यह हमारे हाथ में है कि हम किसी भी चीज से फायदा लेना चाहते हैं या नुकसान। यदि हम अपनी व अपनों की सुरक्षा का जिम्मा स्वयं ले लेगें तो निश्चित तौर इससे होने वाले खतरों को बेअसर किया जा सकता है। ■

मिलावटख़ोरी के इस दौर में खाएं क्या तो पियें क्या ?

✍ निर्मला रानी

हमारा देश विशेषकर राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में इस समय संकट व अनिश्चितता के दौर से गुज़र रहा है इस का उल्लेख अनेक आलोचकों व संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर किया जाता है। परन्तु अत्याधिक आत्मविश्वास में डूबे सत्ता प्रतिष्ठानों की ओर से हमेशा ही यही आश्वासन दिया जाता रहा है कि देश बुलंदियों को छू रहा है,राजनैतिक,आर्थिक व सामाजिक मोर्चों पर देश के फ़तेह के परचम लहरा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो वर्ष 2019-20 का बजट भाषण देते हुए देश को अगले 5 वर्षों में पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अर्थात 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने की बात कई बार कही। कितना अच्छा हो यदि सत्ता के सभी दावे व आश्वासन सही साबित हों और हमारा देश भी अन्य विकासशील देशों की ही तरह ईमानदारी से आगे बढ़ता हुआ विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो। परन्तु कुछ बुनियादी बातें ऐसी हैं जो विकास या तरक़्क़ी के ऐसे सभी दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी की वर्तमान दौर में हर देश की सभी सकारात्मक व नकारात्मक घटनाएं,सरकारी नीतियां, सामाजिक व्यवहार ,बाज़ार व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था तथा विकास व परिवर्तन आदि की सूचनाएं क्षण भर में पूरे विश्व में प्रसारित हो जाती हैं।

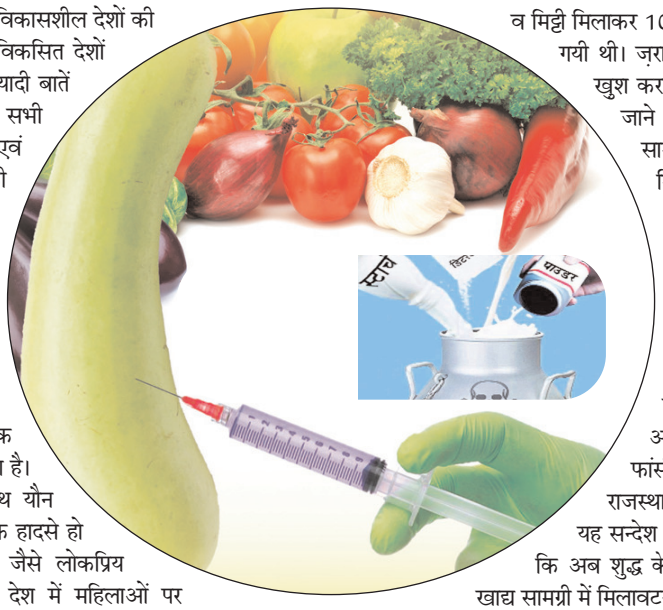

यही वजह है कि किसी भी विकसित देश से आने वाला पर्यटक हमारे देश में बेहद चौकस व चौकन्ना रहता है। हमारे देश में विदेशी महिलाओं के साथ यौन शोषण से लेकर बदसुलूकी तक के अनेक हादसे हो चुके हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे लोकप्रिय सरकारी मिशन के बावजूद आए दिन देश में महिलाओं पर अत्याचार किये जाने की ख़बरें आती रहती हैं। इसी प्रकार की एक और त्रासदी जिससे हमारा देश दशकों से जूझ रहा है वह है मिलावटख़ोरी। मिलावटख़ोरी करने वाले लालची लोग जो कि कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के इच्छुक हैं, वैसे तो जहाँ तक संभव हो प्रत्येक वस्तु में मिलावट करने की कोशिश करते हैं। परन्तु इन लालची लोगों द्वारा मिलावटख़ोरी का जो सबसे खरनाक खेल खेला जा रहा है वह है खाद्य व पेय सामग्री में होने वाली मिलावट का। आज भारतीय बाज़ार में बिकने वाली शायद कोई भी खाद्य या पेय सामग्री ऐसी नहीं है जो मिलावट के लिहाज़ से संदिग्ध न हो। भारत में सबसे पवित्र समझा जाने वाला पेय, दूध ही सबसे अधिक संदिग्ध पेय पदार्थ हो गया है। डेयरी से मिलने वाले दूध से लेकर बड़े बड़े दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव संस्थान व दुग्ध उद्योग सभी संदिग्ध हो चुके हैं। कई बार यह ख़बरें आ चुकी हैं की थैलियों में मिलने वाला दूध भी सुरक्षित नहीं है। फल सब्ज़ियों से लेकर दही पनीर मिठाई खोया सभी कुछ या तो मिलावटी है या नक़ली।

हमारे देश में ऐसे सैकड़ों मामले कभी पुलिस विभाग द्वारा उजागर किये गए तो कभी खाद्य विभाग द्वारा जिसमें की छापेमारी कर क़्वींटलों के हिसाब से ज़हरीला व केमिकलयुक्त खोया या मिठाइयां बरामद की गयीं। परन्तु ऐसी ख़बरें शायद कभी नहीं सुनाई दीं कि किसी मिलावटख़ोर को फांसी या आजीवन कारावास की सज़ा मिली हो। आख़िर क्यों ? क्या धन कमाने की लालच में आम लोगों को ज़हरीला खाद्य पदार्थ खिलाने जैसा जानलेवा षड्यंत्र जानबूझकर लोगों की सामूहिक हत्या किये जाने का प्रयास नहीं है ? यदि कोई ग्राहक पीने के लिए दूध या खाने के लिये पनीर ख़रीदता है और उसी सामग्री की क़ीमत अदा करता है फिर बेचने वालों को उस ग्राहक को दूध व पनीर के बजाए कोई ज़हरीला केमिकल या मिलावटी सामान या यूरिया अथवा डिटर्जेंट द्वारा निर्मित दूध या पनीर देने का क्या मतलब है? अभी पिछले दिनों एक मंदिर में हवन सामग्री मंगाई गई। काले तिल के 10 किलो के सील थैले को खोलकर उस काले तिल को धोया गया। अब जब सूखने के बाद उस तिल को पुनः तौला गया तो यक़ीन कीजिये उस सामग्री का वज़न केवल 3 किलो ही निकला। यानी 3 किलोग्राम तिल में सात किलोग्राम पत्थर व मिट्टी मिलाकर 10 किलो काले तिल की पैकिंग तैयार की गयी थी। ज़रा सोचिये कि भगवान व देवताओं को खुश करने तथा शांति व समृद्धि के लिए कराए जाने वाले यज्ञ व हवन के लिए जब ऐसी सामग्री बेची जा रही है तो आख़िर इन मिलावटख़ोरों को भगवान का भी क्या डर ?

राजस्थान सरकार ने गत वर्ष 'शुद्ध के लिए युद्ध' नमक एक अभियान छेड़ा है। यह अभियान कितना सफल होगा यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु इस अभियान को शुरू करने के साथ ही मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने मिलावटख़ोरों को फांसी दिए जाने की भी वकालत की है। राजस्थान की ही तरह पूरे देश से एक स्वर में यह सन्देश मिलावटख़ोरों को दे दिया जाना चाहिए कि अब शुद्ध के लिए युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। खाद्य सामग्री में मिलावटख़ोरी का ही नतीजा है कि हम तरह तरह कि नई नवेली बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से हमारे बच्चे समय से पूर्व ऐसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जिसकी बचपन में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।आज बाज़ार में बिकने वाले फल,सब्ज़ियां व मिठाइयां निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा सूंदर,आकर्षक,रंग बिरंगी हैं परन्तु यह पौष्टिक होने के बजाए ज़हरीली हैं। स्टेशन पर बिकने वाली चाय से लेकर अन्य खाद्य सामग्रियां कोई भी विश्वसनीय नहीं हैं। सब्ज़ियों का तो यह हाल है कि महानगरों में व औद्योगिक क्षेत्रों के आस पास लगने वाले खेतों में औद्योगिक कचरे वाला ज़हरीला पानी ही खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सब्ज़ी की बेल में या पौधों में ही इंजेक्शन लगाकर रातोंरात सब्ज़ी का वज़न बढ़ाया जाता है।

अफ़सोस तो इस बात का है कि मिलावटख़ोरी व खाद्य व पेय पदार्थों में ज़हर परोसने का धंधा किसी एक क्षेत्र व राज्य का विषय नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय त्रासदी का रूप धारण कर चुका है। ग़रीब से लेकर अमीर तक सभी इन हालात से जूझ रहे हैं। रिश्वतख़ोरी व भ्रष्टाचार से संरक्षित मिलावटख़ोर माफ़िया जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर खाद्य पदार्थों तक में मिलावट का बाज़ार गर्म किये हुए है। ऐसे में आम भारतवासी का यह सोचना बिल्कुल वाजिब है कि मिलावटख़ोरी के इस दौर में खाएं क्या तो पियें क्या ? ■

आपकी कुछ बुरी आदतें जो आपकी सेक्स इच्छा (libido) को कम कर देती हैं -

एक अच्छी और स्वस्थ सेक्स लाइफ आपको फिट, खुशनुमा और अपने साथी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सेक्स मनुष्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेकिन आजकल के भाग-दौड़ की भरी ज़िंदगी में लोग अच्छे तरह से अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी सेक्स की इच्छा कम होती जाती है। इसकी शिकायत मर्दों और औरतों दोनों में ही होती हैं। ज़्यादातर लोग इस परेशानी के बारे में बात करने में हिचकिचाते हैं, जो इस समस्या के बढ़ने का एक और कारण है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें। इसके साथ

ही कुछ टिप्स अपनाकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। कैफिन, एल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन करने से मर्दों और महिलाओं दोनों में सेक्स कि इच्छा खत्म हो जाती है।

1.एल्कोहल

एल्कोहल के सेवन से इरेक्शन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। एल्कोहल पीने के कारण आपको डिहाईड्रेशन हो सकता है, जिससे आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है और एंजियोटेनसिन में वृद्धि आ सकती है। यह एक हार्मोन है जो आप में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को बढ़ाता है, इसलिए अच्छी सेक्स लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीने से बचें।

2.कैफीन

कैफीन युक्त ड्रिंक्स जैसे- कॉफी, सोडा और कोला आदि का सेवन करने से आपके अंदर सेक्स करने की इच्छा खत्म होने लगती है। बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन एड्रीनल ग्लैंड्स को बहुत ज्यादा उत्तेजित करेगा जिसकी वजह से सेक्स की इच्छा खत्म हो सकती है। तो अगर आप अपनी सेक्स ड्राइव खत्म नहीं करना चाहते हैं, तो कैफीन का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।

3.अधिक मीठा खाने से बचे

अध्ययन के अनुसार ज़्यादा मात्रा में मीठे का सेवन पुरूषों के टेस्टास्टरोन के स्तर को और शुक्राणु को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अधिक मीठा खाने के कारण आपके शरीर की ऊर्जा स्तर कम हो जाती है और आपके अंदर की सेक्स ड्राइव को भी खत्म कर देती है।

4.अत्यधिक या कम एक्सरसाइज करने से

व्यायाम करने से हार्मोन सक्रिय होते हैं और काम करने की इच्छा बढ़ती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करेंगे आपके टेस्टोस्टेरॉन का लेवल प्रभावित होता है। जो आपकी उर्जा और सेक्स की इच्छा को कम कर सकता है।

5.तनाव

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तनाव के कारण सेक्स करने की इच्छा में कमी आ जाती है। तनाव के कारण मनुष्य सेक्स का पूरा आनंद नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि तनाव के कारण हमेशा थकान महसूस होती है।

6.खान पान

सैचुरेटेड फैट वाले प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, सॉसेज़ आदि ज़्यादा मात्रा में खाने से वे गुप्तांग में रक्त के संचार को कम करते हैं और इससे सेक्स की इच्छा बुरी तरह से प्रभावित होती है। साथ ही कम कैलोरी वाला खाना आपके शरीर के शक्ति को कम करता है जिससे आप में सेक्स करने की शक्ति कम हो जाती है।

7.अनिद्रा की बीमारी

पांच घंटे से कम सोने पर स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है साथ ही साथ सेक्स जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। अध्ययन के अनुसार पर्याप्त मात्रा में नहीं सोने से या अनिद्रा की बीमारी होने से महिला और पुरूष दोनों के सेक्स हार्मोन्स का स्तर घट जाता है, जो सेक्स जीवन का आनंद उठाने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

8.पोर्नोग्राफी

अधिक पोर्न देखने से या मास्टरबेशन(हस्तमैथुन) करने से आपके अंदर सेक्स ड्राइव में कमी आ सकती है।

9.रूटीन

अगर कोई कपल एक काम रोज़ कर रहे हैं तो उनकी लाइफ बोरिंग हो जाती है। ऐसे में दोनों पुरुष और महिला अपनी गतिविधियों में रुचि खोने लगते हैं।

10.मातृत्व

ब्रेस्टफीडिंग के कारण बहुत सारी औरतें की यौन इच्छा खत्म हो जाती है। शरीर में एस्ट्रोजेन की कमी के कारण ऐसा होता है। ब्रेस्टफीडिंग वाली महिलाएं को ग्रीवा बलगम (cervical mucus) की शिकायत हो जाती है, जो उनकी योनि(Vagina)में सूखापन ला देता है। ब्रेस्टफीडिंग से महिलाओं को लुब्रिकेशन(Lubrication)कम होता है, जिसके कारण उनमें यौन इच्छा खत्म हो जाती है। ■

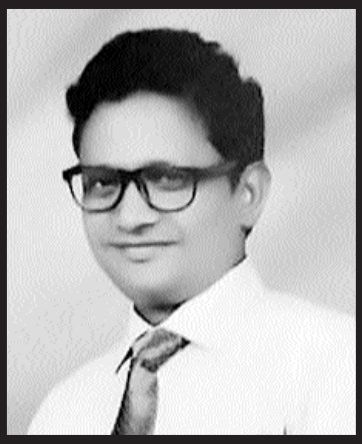

डॉ. बी.के. कशयप

BAMS.DNYS,APC
PARISHAND,
NEW DELHI
Y.N.MAHARASHTRA,
MUMBAI

प्रयागराज शहर में

द सिटी स्टैन्डर्ड

अंग्रेजी समाचार पत्र

The City Standard

सम्पर्क . मो.- 7905230036, गोकरन शुक्ला - 8799689003

सिटी ऑफिस - 1 ए हाशिमपुर रोड, टेगोर टाऊन, प्रयागराज-211002

KASHYAP CLINIC Pvt. Ltd.

sexoLogist

ISO 9001 : 2015
ISO 13485 : 2003

हमारी शुभकामनाएं आपका आनंदमय जीवन

सुप्रसिद्ध साइको सेक्सोलॉजिस्ट

डा0 बी.के.कश्यप

आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवम् योग द्वारा उपचार

(आयुर्वेदाचार्य) नाड़ी विशेषज्ञ

BAMS, DNYS, APC. PARISHAD, NEW DELHI, Y.N.MAHARASHTRA, MUMBAI

राजेश मेडिकल हॉल

333,वेणी माधव मन्दिर,दारागंज,प्रयागराज Timing 9 am to 10 am

क्श्यप क्लीनिक, सिविल लाइन्स

30, नावाब युसुफ रोड,हाईकोर्ट पानी की टंकी,प्रयागराज Timing 11 pm to 8pm

8756999981, 8756999982, 8756999983, 8004999984

Web : www.drbkkashyapsexologist.com | E-mail : dr.b.k.kashyap@gmail.com
www.justdial.com Kashyap Clinic, Civil Lines, Allahabad - Fb : DrBkKashyap-09335410105/09889005053